महानगर नई दिल्ली बुधवार 4 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

गुरुग्राम का मामला : स्कूटी 15 हजार की, जुर्माना 23 हजार

गुरुग्राम, 3 सितंबर (भाषा)।

गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर वीकल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपए का चालान जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी निवासी दिनेश मदान पर आवश्यक दस्तावेज न रखने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया। जिला अदालत के बाहर उसे यातायात पुलिसकर्मियों ने रोका था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, 'वह आरसी, इंश्योरेंस के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं दिखा सका। इसलिए यातायात पुलिस कर्मी ने उस पर आरसी के लिए पांच हजार, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने के लिए पांच हजार, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने के लिए 10 हजार, तीसरा पक्ष बीमा न होने के लिए दो हजार और हेलमेट या पगड़ी नहीं पहनने के लिए एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया।' मदान ने कहा, 'मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। यातायात पुलिसकर्मी ने मुझ से स्कूटी की चाभी सौंपने को कहा लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसने तत्काल 23 हजार रुपए के चालान की रसीद काट दी और मेरी गाड़ी जब्त कर ली।' उन्होंने कहा कि उनके स्कूटर की कीमत महज 15 हजार रुपए है।

पुलिस के मुताबिक स्कूटी चालक के पास आरसी, इंश्योरेंस के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी नहीं थे।

मदान ने कहा, 'मैंने घर से फोन के वाट्सऐप पर पंजीकरण की प्रति मंगा ली थी लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी ने जुर्माने की पर्ची निकाल दी थी। यह रकम कम हो सकती थी अगर उसने थोड़ी देर इंतजार किया होता।' बोकन ने कहा कि उन्होंने मदान और अन्य उल्लंघनकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि बाद में दस्तावेज पेश करने पर उन पर लगाया गया जुर्माना उसी हिसाब से कम कर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पंचों-सरपंचों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा

जल्द बहाल होंगी मोबाइल सेवाएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से खतरे का सामना करने वाले सभी पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ ही दो-दो लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उनसे मुलाकात की। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय पर गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसे बहाल कर दिया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अनुसार शाह ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की पंचों और सरपंचों की मांग पर विचार किया जाएगा। शाह ने मंगलवार को तीन बाकी पेज 8 पर

हालात सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आश्वासन।

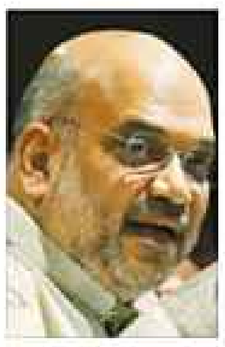

पंचों व सरपंचों को मिलेगा बीमा कवर व पुलिस सुरक्षा

राज्य में अब हालात में तेजी से सुधार

नई दिल्ली/जम्मू, 3 सितंबर (भाषा)।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाई गई निषेधाज्ञा महज 13-14 पुलिस थाना क्षेत्रों तक सीमित रह गई है और पुलिस गोलीबारी या आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले महीने रद्द किए जाने के बाकी पेज 8 पर

ओएनजीसी में आग, चार की मौत

मुंबई, 3 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित 'ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (ओएनजीसी) के संयंत्र में मंगलवार को आग लगने की घटना में सीआइएसएफ के तीन कर्मियों सहित चार लोगों की मौत हो गई और अन्य तीन घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि तीनों घायल भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के कर्मी हैं।

सीआइएसएफ की उपमहानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र) नीलिमा सिंह के अनुसार सीआइएसएफ को सुबह ओएनजीसी के एलपीजी संयंत्र में आग लगने की जानकारी मिली। सीआइएसएफ के कर्मी और अन्य रिसाव का पता लगाने मौके पर पहुंचे। वे एक वॉल्व को बंद करने में कामयाब रहे, इसके बाद यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई और रिसाव तो नहीं हो रहा, लेकिन तभी वहां विस्फोट हो गया। इसमें सीआइएसएफ के तीन कर्मी और ओएनजीसी के डीजीएम की मौत हो गई। इसके बाद भी सीआइएसएफ की दमकल टीम ने बचाव अभियान जारी रखा और आग पर काबू पाने की कोशिश की।

सीआइएसएफ के तीन कर्मचारियों और ओएनजीसी के डीजीएम की मौत, आग लगने के बाद धुएं की मोटी परत इलाके में छा गई।

ओएनजीसी ने बताया, हादसे से गैस प्रसंस्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गैस को हजीरा संयंत्र की ओर मोड़ दिया गया है।

ओएनजीसी ने बताया कि इसका गैस प्रसंस्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और गैस को गुजरात के सूरत जिले के हजीरा संयंत्र की ओर मोड़ दिया गया है। उसने कहा कि आग जल निकासी क्षेत्र में मंगलवार सुबह लगी, जिस पर दो घंटे के भीतर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि आग लगने के बाद धुएं की एक मोटी परत इलाके में छा गई। पुलिस ने संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में बसे गांवों में रहने वाले लोगों से न घबराने बाकी पेज 8 पर

फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे भूपेंद्र हुड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

रोहतक की पिछले महीने हुई रैली में कांग्रेस पर रास्ता भटकने और बदल जाने जैसे आरोप लगाकर अपने बागी तेवर दिखाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके समर्थक के फिलहाल पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपनी हालिया मुलाकात के बाद हुड्डा के तेवरों में नरमी है और अब उनके समर्थकों ने भी उन्हें सलाह दी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्हें पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पार्टी नेताओं की समिति ने मंगलवार को उन्हें इस मामले में कोई भी निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर मंगलवार को उस विशेष समिति के सदस्यों व अन्य समर्थक नेताओं की बैठक हुई जिसका गठन उन्होंने रोहतक रैली के बाद किया था। तीन दर्जन सदस्यों वाली इस समिति से कहा गया था कि वह बताए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुड्डा खेमे को अगला कदम क्या उठाना चाहिए। गठन के बाद हुई पहली बैठक में इस समिति के सदस्यों ने सूबे में पार्टी संगठन की लचर हालत पर अपनी चिंता जताई लेकिन कांग्रेस में बने रहने या कोई और रास्ता चुनने के लिए हुड्डा को अधिकृत कर दिया। समिति के सदस्य एक-एक करके पूर्व मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें अपनी राय से अवगत कराया।

पार्टी हाईकमान के फैसले का करेंगे इंतजार। *समर्थकों* ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को कोई भी फैसला लेने को अधिकृत किया।

कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला लेना चाहे ले, लेकिन जल्दी करे : संपत सिंह

बैठक के बाद समिति के सदस्य व हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सभी नेताओं से अलग-अलग मुलाकत की। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा कि हम कोई नई पार्टी बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस में ही रहकर, इसको ही मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तंवर को हटाना हमारा मकसद कभी नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि हरियाणा में न कोई जिला अध्यक्ष है, न प्रदेश की समिति है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान चाहे जो निर्णय ले लेकिन उसको अब जल्दी से जल्दी निर्णय करना होगा।

पाकिस्तान में हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण

कराची, 3 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़की को कथित तौर पर अगवा करके उसे इस्लाम में धर्मांतरित कराने का नया मामला सामने आया है। एक ही सप्ताह में हिंदू लड़की के जबरन धर्मांतरण का यह दूसरा मामला है।

गैर लाभकारी संगठन ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि रेणुका कुमारी को 29 अगस्त को सुक्कूर के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अगवा किया गया है। अधिकारी ने बताया कि रेणुका को संस्थान से अगवा किया गया है। वह वहां से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी।

रेणुका कुमारी को 29 अगस्त को सुक्कूर के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अगवा किया गया

उन्होंने कहा, 'हमारी जानकारी के मुताबिक यह सिंध प्रांत में हिंदू लड़की को अगवा करने और जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने का बाकी पेज 8 पर

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉनसन ने सदन में खोया बहुमत

लंदन, 3 सितंबर (भाषा)।

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के लिए होने वाले अहम मतदान से पहले कंजरवेटिव पार्टी के एक सांसद के दल-बदल कर 'ब्रेक्जिट' विरोधी लिबरल डेमोक्रेट पार्टी में शामिल हो जाने से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को संसद में अपना बहुमत खो दिया। इस बीच, डाउनिंग स्ट्रीट ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री जॉनसन अक्तूबर में आम चुनाव कराए जाने के लिए बाकी पेज 8 पर

ब्रेक्जिट को लेकर एक सांसद ने दल बदला। *अक्तूबर* में आम चुनाव के लिए तैयार जॉनसन

सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिलती दिखी। उनको गुरुवार तक तिहाड़ जेल भेजे जाने की संभावना टल गई। दरअसल, सीबीआइ को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वह उन्हें अपनी ही हिरासत में रखे जबकि जांच एजंसी ने जोर दिया कि आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में अब और रखे जाने की जरूरत नहीं है। पूरी खबर पेज 8 पर

कांग्रेस नेता शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में ईडी ने मंगलवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुरा के विधायक शिवकुमार पूछताछ के लिए चौथी बार मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि दिन भर चली पूछताछ के बाद उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शिवकुमार को ईडी बुधवार को यहां अदालत में पेश करेगी और उनकी हिरासत की मांग करेगी। ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन बाकी पेज 8 पर

रैगिंग और अपमान से गुजर कर पाया सम्मानित पेशा

तिरुवनंतपुरम, 3 सितंबर (भाषा)।

हीदी सादिया ने केरल के पहले ट्रांसजेंडर टीवी पत्रकार के रूप इतिहास रचा है और उसने सोमवार को लैंडर 'विक्रम' के आर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग होने पर देश के दूसरे चंद्रमिशन की इस उपलब्धि की अपनी पहली रिपोर्टिंग की।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के के श्यालजा ने उसे बधाई देते हुए फेसबुक पर लिखा, ' सादिया देश के दूसरे ट्रांसजेंडरों के लिए प्रेरणास्रोत है। अपनी डिग्री के बाद उसने पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया और वह कैराली न्यूज से जुड़ी। उसने चंद्रयान 2 की उपलब्धि की रिपोर्टिंग की।' सादिया को केरल की सत्ताधारी माकपा द्वारा संचालित खबरिया चैनल कैराली ने नौकरी दी। उसने सोमवार को चंद्रयान 2 पर अपनी पहली लाइव रिपोर्टिंग की। सादिया ने कहा, 'मुझ जैसे कई लोग हैं जो मीडिया के पेशे बाकी पेज 8 पर

पत्रकार के समर्थन में उतरे विपक्षी दल

लखनऊ/मिर्जापुर, 3 सितंबर (जनसत्ता/भाषा)।

प्रदेश के एक स्कूल में छात्रों को मध्यान्ह भोजन में नमक-रोटी परोसे जाने की खबर का खुलासा करने वाले एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर स्थानीय पत्रकार और प्रदेश के विपक्षी दल उसके समर्थन में उतर आए बाकी पेज 8 पर

दरअसल

मजबूती

वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी में हेलिकॉप्टर को 'वॉटर केनन सैल्यूट'

सेना व वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी : एअर चीफ मार्शल धनोआ

वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुए आठ अपाचे हेलिकॉप्टर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

अमेरिका से खरीदे गए आठ अपाचे हेलिकॉप्टर मंगलवार को वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिए गए। ये पठानकोट स्थित 125 हेलिकॉप्टर यूनिट 'ग्लेडिएटर्स' का हिस्सा होंगे। वायुसेना के पठानकोट एअरबेस पर एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की मौजूदगी में हुए आयोजन में हेलिकॉप्टर को 'वॉटर केनन सैल्यूट' दिया गया।

ये मारक (स्टील्थ) हेलिकॉप्टर राडार की पकड़ में नहीं आते हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग निर्मित ये आठ हेलिकॉप्टर सौदे की पहली खेप हैं। भारत ने चार साल पहले कुल 22 अपाचे एएच-64ई हेलिकॉप्टरों की खरीद का करार किया है। इन हेलिकॉप्टरों को बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस हेलिकॉप्टरों की खरीद भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अपाचे हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेना की अभियान क्षमता में वृद्धि करेंगे।' वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अपाचे हेलिकॉप्टर बाकी पेज 8 पर

अपाचे हेलिकॉप्टर विश्व के अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में से एक है और इसे अमेरिका समेत कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं।

अपाचे की विशेषताएं

एएच 64ई अपाचे में उच्च क्षमता के 'नाइट विजन सिस्टम' हैं। इनसे दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकेगा।

यह मिसाइल से लैस है और एक मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है।

अपाचे 21 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 293 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।

इसमें 30 मिलीमीटर की दो गन लगी हैं। इनमें एक बार में 1,200 गोलियां भरी जाती हैं। हेलिकॉप्टर में 16 एंटी टैंक एजीएम-114 हेलफायर और स्ट्रिंजर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी बख्तरबंद वाहन जैसे टैंक, तोप, बीएमपी वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है।

स्ट्रिंजर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा-70 मिसाइल भी लगी होती हैं जो जमीनी लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Manoj Kumar S/O Ramesh Kumar R/O B-3/165 B-3 Block Yamuna-Vihar North East Delhi-110053 changed my name to Manoj Singla. 0040510667-5

It is general information that I JATIN KUMAR S/o Sh.RAMBIR SINGH residing at H.No.-246,Gali No-7,D-Block, Brij Puri, Delhi-110094 inform that name of mine has been wrongly written as JATIN in my Caste Certificate No.2837/211/SDM/S PUR/2002. The actual name of mine is JATIN KUMAR which may be amended accordingly. 0040510733-1

It is for general information that I,Tarun Kumar son.of Dharam Pal Gupta residing at-2908/217,Vishram Nagar,Tri Nagar,Delhi-110035,declares that my minor son name has been wrongly written BHAV in school Records.But actual name is BHAV GUPTA,which may be amended accordingly. 0040510683-2

It is for general information that I,BALVINDER SINGH S/o-HARBHAJAN SINGH,Residing at,A-147, HARI-NAGAR,DELHI-110064,inform that name of mine has been wrongly-written as BALWINDER SINGH SAWHNEY in my son's JAIJYOT SINGH aged 17-years educational documents.The actual name of mine is BALVINDER SINGH respectively which may be amended accordingly. 0040510755-9

It is for general information that I, Amit kumar S/O Sh. Subhash Chander R/O-C7/83A, Keshav-Puram, Delhi-110035. Informs that my name has been wrongly-written as Amit Kumar Arora in school-records of my minor son Navtej Arora aged 14years and my minor daughter Reet Arora 11years. My actual name is Amit Kumar which may be amended accordingly. 0040510725-10

I,Vinay / Vinay Kumar / Vinay Goyat S/o Sh.Tejbir Singh R/o H.No.330, Sector-5,Huda, Karnal, Haryana-132001 have changed my name to only Vinay Goyat for all purposes. 0040510630-4

I,Vikash Kumar S/o Sh. Dinesh Singh R/o Vill. Karmaini Gazi,Post. Nechua Jalalpur, Dist. Gopalganj, Bihar-841503 have changed my name to Vikash Kumar Singh for all purposes. 0040510627-1

I,Vijay Gautam / Vijay Kumar / Vijay Goyat S/o Sh.Tejbir Singh R/o H.No. 330,Sector-5,Huda, Karnal, Haryana-132001 have changed my name to only Vijay Goyat for all purposes. 0040510630-2

I,Ravindra Prasad S/o Jai Kishun Shah R/o-RZ-E-2B, Jai-Vihar,Phase-1,Najafgarh, Delhi-110043,have changed the name of my minor daughter from Kusum to Sneha Kumari. 0040510719-9

I,Nisha Kumari,W/o-Sh. Naresh Kumar,R/o-B-623/624,DDA Colony,Chaukhandi West Delhi,Tilak-Nagar,New Delhi-110018,inform that Nisha Kumari and Nisha Aneja is one and the same person. 0040510733-10

I,Piyush Sethi S/o Yog Raj Sethi, H.No.1, Kakrola-Mor,Vipin-Garden,Uttam-Nagar, New-Delhi-110059,have changed my minor daughter's name Senorita Sethi to Simran Sethi. 0040510685-6

I,Naresh Kumar,S/o-Sh.Kewal Kishan,R/o-B-623/624,DDA Colony,Chaukhandi,West-Delhi,Tilak Nagar,New.Delhi-110018 inform that Naresh Kumar and Naresh Kumar Aneja and Naresh Aneja is one&the same person 0040510763-1

I,Kuldeep Singh Rana S/o.Sh.Rajpal Rana resident of Vill.Saidpur,Tehsil-Kharkhoda, District-Sonepat(HR),have changed my name from Kuldeep to Kuldeep Singh Rana and will be called/ known by the name of Kuldeep Singh,in future. 0040510622-1

I,Harikishor Sah S/O Jay Prakash Sah R/O-C-64, Block-C, Rajeev Nagar Extn. Begum pur, Delhi-110086. Changed My Name To Hari Kishore. 0040510725-2

I,Geeta Kumari,W/o Sh.Umesh Chandra Roy R/o:Village-Ratan Tola,P.O.Mahinawan, P.S.Maner,Distt.-Patna(Bihar), Have Changed My Name,From Geeta Kumari To Geeta Roy.,For All Future Purposes. 0040510667-6

I,Amarjeet Singh,S/o-Jai Singh,R/o-A-11A,Fateh-Nagar Tilak-Nagar,New-Delhi-110018.have changed the name of my minor daughter Kimreet aged-17years and she shall hereafter be known as Kimreet Kaur. 0040510755-2

I,Akshay Kumar Deshwal S/o-Azad Singh Yadav R/o-L-26/7,DLF,phase-II, Gurugram (Haryana)-122008, have changed my MInor Son's name from Vaikhan Deshwal to Vaikhan Yadav. 0040510667-3

I, VINOD S/O RAGHUBIR R/O-B-562, MADIPUR-COLONY, DELHI-110063.have changed my name to VINOD KUMAR., for all future purpose. 0040510661-9

I, hitherto known as Sangita Sharma W/o Kamal Prashad Sharma, residing at House No - 230/23, Gali No. - 8, Railway Colony, Mandawali, Shakarpur East Delhi - 110092 have changed my name and shall hereafter be known as Sudershana Sharma. It is certified that I have complied with other legal requirements in this concern. 0040510653-1

I, Vinod Kumar Gupta S/o Shri Bhaiya Ram R/o R-109/1, Model Town-III, Delhi-110009 (India) do hereby inform that the following names are of same person i.e. me Vinod Kumar, Vinod Gupta, Vinod kumar Gupta and in future I will be known by the name Vinod Kumar Gupta for all purposes. 0040510623-1

I, Vinkal Malhotra S/o Vijay Malhotra R/o:RZB-56A, Mahavir-Enclave, Palam Dabri-Road, New Delhi-45 Have Changed My Name to Mayank Malhotra. 0040510661-5

I, Vikas Ruhella S/o,Radhey Shyam R/o-WZ-72, Khampur, Opp.West Patel-Nagar, N.Delhi-110008,have changed my minor daughter's name Angel Rajput to Maira Rajput. 0040510685-9

I, Tisha Goel D/o Sushil Kumar Goyal R/o B-87,Vinobha Kunj Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85 changed my name to TISHA GOYAL 0040510719-2

I, Tasneem Akhtar W/o Mohd Nasir R/o,2213 Naya Mohallah Qasimjan Ballimaran Delhi - 110006, have changed my name to Tasneem Nasir, Permanently. 0070672770-1

I, Tarun Kumar S/O Shri Rakesh Kumar Baghla R/O D-14/157, Sector-7,Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Tarun Kumar Baghla.,for all purposes. 0040510763-3

I, Tajender Singh S/o Daya Singh R/o 31-C, Gali No-3, New Krishna Nagar, Delhi-51 have changed my name to Tajinder Singh for all Future purposes. 0040510635-1

I, Syed Shahnawaz Ayazi S/o Ayaz Uddin R/o F-17/1 4th Floor Joga Bai extn Jamia Nagar N.D-110025 have changed my name to Shahnawaz Ayazi. 0040510639-3

I, Suraiya W/o MD Saifuddin Molla R/o L-4/B Batla House Jamia Nagar N.D-110025 have changed my name to Suraiya Begum. 0040510639-1

I, Suman Devi W/o-Surender Kumar R/o:WZ-55, Choukhandi-Village, Tilak-Nagar, New Delhi-18.Have Changed My Name to Chinta Devi for all Future Purposes. 0040510661-6

I, Suman D/o Balbir Singh Shekhawat R/o RZF-770/5, Gali.No.11, Raj-Nagar-2, Palam-Colony, South West Delhi-110077,have changed my name to Suman Shekhawat. 0040510685-5

I, Sukhbir S/O Hari Kishan R/O-H.No-322 Village-Budhena Ballabgarh Faridabad-121004. Have Change My Name To Sukhbir Singh. 0040510725-8

I, Srishti Saluja W/O-Lagan Verma R/O-A-302, Prashant-Vihar, Rohini Sector-14, New Delhi-110085,Have Changed My Name After-Marriage To Srishti Verma. 0040510667-1

I, Sonia Garg W/O.Sushil Garg R/O.A-361, Chet Ram, gali.no.1, near Dr.Vinod-clinic, Moujpur,Delhi-110053.have changed my name to Reena Garg.,for all purposes 0040510685-4

I, Shyam Singh S/O-Chandra Bhan Singh R/O Rz-2552, 1st-Floor, Gali.No-27, Tughlakabad Extn, N.Delhi-110019. changed my name to Shyam Singh Rathore 0040510755-5

I, Sheesham Arora, W/o Shri Rajinder Kumar Arora, R/o 113, Indira Vihar Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Informs that Misisim Arora and Sheesham Arora, both are the names of same person. 0040510675-1

I, Shashikant Mahrour S/o Sh. Harish Chand Mahrour R/o H.No. 243-244, IInd Floor, Pkt. E-21, Sector-3, Rohini, Delhi-85. Has changed my daughter's name Anushka Mahrour to Samaira Mahrour for all purpose. That Anushka Mahrour & Samaira Mahrour is the one and same person. 0040510636-1

I, Shakeela Begum W/o Mohammad zaki R/o 3117, Gali Wakil Wali Kucha Pandit Lal Kuan Delhi-6 have changed my name to Shakeela Naaz to all Purposes. 0040510650-2

I, Sanjeev Kumar S/o Madan Lal R/o-D-155,Tagore Garden Extension,Delhi-110027,have changed my name to Sanjeev Kumar Chawla for all future purposes. 0040510683-5

I Prashant Srivastava R/O A-195, 2nd floor, Sudarshan Park, Moti Nagar, Delhi 110015 have changed my name to Prashant Kumar Srivastava. 0070672776-1

I Mutta Battlla Jacob Dason S/O Krupadanam R/O 213/6, Munirka-Village, New Delhi-110067 Have Changed my Name to Muthabathula Jacob Dason. 0040510661-10

I Jai Dev S/o R L Mittal R/o 41,Chhannamal Park East Punjabi Bagh Delhi-26.have changed my name to Jaidev Mittal. 0040510661-8

I Anju Bala W/o Jaidev Mittal R/o 41,Chhannamal Park East Punjabi Bagh Delhi-26 have changed my name to Anju Mittal. 0040510661-7

I, Sanjai Kumar Yadav S/O Guru Parsad Yadav R/O GH/D, Subzi-Mandi, Roshanara-Road, Delhi-110007, Changed my name to Sanjay Kumar Yadav. 0040510667-4

I, Sangita Shrivastava Chopra D/o Jwala Prasad Shrivastava and W/o Kamal Chopra R/o 1930, 2nd Floor, Kingsway Camp, Outram Lines, G.T.B Nagar, Delhi-110009, that my name has been wrongly written as Sangita Chopra in my Passport No : E6344918. The actual name of mine is Sangita Shrivastava Chopra 0070672777-1

I, Sandhyaben Vijay Khemchandani W/o Vijay Khemchandani R/o F-29, Mansarover Garden, New Delhi-110015, have changed my name to Sandhya Khemchandani for all purposes. 0040510634-1

I, Samuel Vinay Rao, son of Late K.S.V. Sanjeeva Rao, residing in J-2/44, Ground Floor, DLF Phase-II, Gurgaon, Haryana-122002, do solemnly informs that my name is written in some documents as Samuel Vinay Rao and insome as Sam Vinay Rao". That Samuel Vinay Rao and Sam Vinay Rao are one and the same person. This is my true statement. 0040510643-1

I, Saifuddin S/o Shoukat Ali R/o L-4/B Batla House Jamia Nagar N.D-110025 have changed my name to Mohd Saifuddin Molla. 0040510639-2

I, Sahas F/o Kashvi R/o-910, Baroda-House Apts, Plot-40A, Sector-10, Dwarka, Delhi have changed my daughter's name to Kashvi Mor. 0040510667-7

I, SHIKA SHARMA W/o Mr.Sandeep Kumar R/o-WA-142, First-Floor, Shakarpur, East Delhi-110092,have changed my name to SHIKHA SHARMA.,for all purposes. 0040510733-2

I, Renu Nakipuria W/o Rupesh Singhal R/o-2104, Verona Tower,Mahagun Moderne, Sector-78,Noida, UP,have changed my name to Renu Agarwal for all purposes. 0040510733-4

I, Rashid Ahmad S/o Shabbir Khan R/o-65, Kila Road, Ashok Nagar, Kasganj, UP-207123 have changed my name to Rashid Khan. 0040510733-5

I, Rakhi Kapoor W/O Sanjay Dhawan R/O 71/11, Street No-9,West Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051.changed my name to Radhika Dhawan. 0040510755-6

I, Rakesh Kumar Agarwal S/O Shyam Lal Agarwal R/O D-1/22, Gali no.5, Sitapuri,Part-1, Dabri, Delhi-110045. Changed My Name To Rakesh Kumar Aggarwal. 0040510725-3

I, Rajkumar S/o.Late Sh.Arjun Das Sachdeva R/o-K-46,J.J Colony,Sriniwas puri,New Delhi-110065,have changed my name to Raj Kumar for all future purposes 0040510633-2

I, Rajini W/o Rajeev Sharma R/o.H No-147, Double Story, Welcome, Sheelampur-3 Delhi-110053 Have Changed My Name Rajni Sharma,For All Purposes. 0040510755-11

I, Rajesh Kumar S/O Chattur Bhuj R/O B-3/59-60, First-Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Rajesh Kumar Aggarwal. 0040510725-4

I, Raj Bahadur Singh S/o Mr. Raja Ram Singh R/o H. No.–2699/1, First Floor, Street No.–13, Ranjeet Nagar, New Delhi–110008, have changed my name from Raj Bahadur to Raj Bahadur Singh for all future purposes. 0040510720-1

I, Priya Rani w/o Naveen Nagar R/o.C1/6 Nai Sadak,Shastri Nagar,Meerut, U.P.,have changed my name Priya Bhadana for all purposes. 0040510683-1

I, Prem Singh S/o Charan Singh R/o G-204,Gali-2, SGM Nagar, Faridabad, Haryana-121001, that name of my father has been wrongly written as Chand Singh in my Pan Card. The actual name of my father is Charan Singh 0070672781-1

I, Prem Prakash S/o Hukam Singh Sharma R/o 49 Budhpur Post-Office Alipur, Delhi-110036, changed my name to Prem Prakash Sharma. 0040510719-7

I, Prayanka D/o Rajeev Sharma R/o.H No-147,Double Story Welcome Sheelampur-3 Delhi-110053 Have Changed My Name Prayanka Sharma For All Purposes. 0040510667-11

I, Parvej Alam S/O Qaisar Hasan H.No-886-887, Kh.No-17, Gali.No-30/5, Jaffrabad, Delhi-110053. Have Changed My Name To Parvez Alam. 0040510667-9

I, Pardeep Kumar S/o Rattan Chand R/o 31-C, CGH-Complex, Vasant-Vihar, New-Delhi-110057 have changed my name to Pradeep Rana,for all purposes. 0040510667-8

I, Aarchitaa D/o Raj Kumar Verma R/o-101 Pocket-A-1 Sector-5 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Aarchita for all purposes. 0040510719-5

I,Akshay Kumar Deshwal S/o-Azad Singh Yadav R/o L-26/7,DLF,phase-II,Gurugram (Haryana)-122008, have changed my MInor Son's name,from Yayath Deshwal to Yayath Yadav. 0040510667-2

I, Rashid S/o Shabbir Khan R/o 65, Kila Road,Ashok Nagar, Kasganj, UP-207123 have changed my name to Rashid Khan. 0040510733-6

I, Paramjeet Singh Khanna S/O Charanjeet Singh R/O 20B/15AB, Tilak-Nagar, New-Delhi-110018 have changed my name to Paramjeet Singh.,for all purposes. 0040510685-2

I, Omanakuttan s/o Chandran Pillai r/o 310, Janta Flats, Badarpur, Delhi 110044, have changed my minor (DOB: 08/12/2011) daughter's name from KARTHIKA NAIR to PRIYANKA NAIR. 0040510669-1

I, Nisha Rastogi D/O Dinesh Kumar Rastogi R/O Flat.No-63, Savarkar-Apartment, Plot No-39, I.P.Extn, Delhi-110092 Changed My Name To Nisha Rustagi. 0040510733-3

I, Subham Chauhan R/o 191, Pocket-A, Sarita Vihar, New Delhi 110076 have changed my name to Shubham Chauhan. 0070672774-1

I, Nirmala W/O Amit Ranjan Kumar R/O 688 3rd-Floor-West Parmanand Colony Delhi-110009 Changed My Name To Nirmala Mehto.,For All Purposes. 0040510719-4

I, Nirmal Jyoti W/o Pankaj Khurana R/o House No. 82-83, 3rd Floor Gyan Park, Chander Nagar Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my minor son's name from Param Khurana alias Param aged 14 years to Parm Khurana forever 0070672790-1

I, Muskan Goel d/o Sushil Kumar Goyal R/o B-87,Vinobha Kunj Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85 changed my name to Muskan GOYAL. 0040510719-3

I, Muhammad Haris S/o Ajmal Malik R/o 15, Block R-D.D.A Flats Qtrs Turkman Gate Delhi-6 have changed my name to Mohammad Haris for all purposes. 0040510650-1

I, Mohit S/o Rajkumar Saini R/o G-235, Gali No.7, Shiv Mandir-Road, Saroopnagar, Delhi-110042 have changed my name to Mohit Saini. 0040510685-8

I, Mohd Khursheed alias Khursid S/o Mohd Nagina, R/o RZD-117, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041. All names are of same person and finally change his name to Khursid. 0040510725-7

I, Md Sahid S/o Shafi Mahammed R/o-B-709, DDA-Colony, Khyala Phase-1, Delhi-110018,have changed my name to Mohd. Shahid. 0040510661-4

I, Matlub Ahmad S/O Abdul Hameed R/O-L-1, 923 Gali No-17, Asthal Mandir-Road, Sangam Vihar, N.Delhi-110062.changed my name to Matloob Ahmad. 0040510755-7

I, Manoj Kumar S/o, Bindeshwar Mishra R/o,F-136, Sudershan-Park, Motinagar, N.Delhi-15 changed my minor son's name Ashutosh to Ashutosh Kumar Mishra. 0040510733-8

I, Manisha Seam Mishra daughter of Manmohan Seam and ex. Wife of Rakesh Mishra, Residing at House No.- D-14/6, Second Floor, Presidency Flats, Ardee City, Sector-52, Gurugram, Haryana-122002, declare that I got divorce from my husband vide court decree No. KT11D00167 dated 01-07-2011, further I have changed my name and shall hereafter be known as MANISHA SEAM 0070672797-1

I, Manish Gupta R/o-40A.Grd Floor, Bhagya Vihar, Rani Khera,Delhi-110081,have changed my minor son's name Naitik Gupta to Naeteek Gupta Permanently. 0040510755-8

I, Mamta W/o Sh.Raj Kumar R/o-K-46 Sri Niwas Puri,New Delhi-110065,have changed my name to Mamta Sachdeva for all future purposes 0040510633-1

I, Malti D/o Subhash Chandra Nawani W/o Uma Nand R/o Kh.No. 53/4, Pradhan Enclave, Village Burari, Delhi-84 have changed to my name Mansi for all Purposes 0040510685-12

I, MANREET KAUR D/o BHUPENDER SINGH R/o 104, Paschim Vihar Extn., New Delhi-110063, that my name is wrongly mentioned in my Meerabai Polytechnic (Commercial Art), diploma as MANPREET KAUR instead of MANREET KAUR Roll No. 227922, year 2005, my name is MANREET KAUR. 0040510624-1

I, Kamal Kumar S/o Pramod Kumar R/o-17-A,S/F, Anarkali-Garden, Prop. No.17, Jagat Puri, Delhi-110051 have changed my name to Kamal Rathore. 0040510719-8

I, Kajal S/O Jai Parkash R/O 411/125, S75, Devli Mod, Khanpur, New Delhi-110062 have Changed My Name To Kajal Prakash 0040510763-5

I, KM Neeshu Singh d/o-Kamlesh Singh r/o-N-385 Mangolpuri Delhi-83, have to change my name Nishu Singh.for all future purposes. 0040510725-9

I Sarabjeet kaur W/o-Amarjeet Singh R/o A-11A Fateh-Nagar Tilak-Nagar New Delhi-110018 have changed my name to Saravjeet Kaur. 0040510755-1

I Sanjeev Kandhari S/o Bhagwan Dass R/o-F-32 Ground Floor, Kalkaji, Delhi-110019, have changed my name to Ssanjev Kandhaari. 0040510661-1

I Radika, Radhika Maddhesia W/O Ram Jagat R/O-231 Second-Floor Raja Garden (CORNER Ka)Delhi-110015 Have Changed Name To Radhika. 0040510661-3

I, Judhisthir Haldar S/O Amala Haldar R/O C-70, Bhoomiheen Camp, Govindpuri, Kalkaji,Delhi-110019. Have Changed My Name To Tapan Majhi. 0040510719-1

I, Jai Laxmi Tiwari d/o Mohan Tiwari r/o A-271, Vikas Puri, Delhi-110018 have changed my name to Jai Lakshmi Tiwari. My correct date of birth is 10/08/1993 and not 09/08/1991. 0040510625-1

I, Jagvinder Singh R/o B-48, Subhadra Colony, Sarai Rohilla, Delhi-35 have changed my minor daughter name from Sargun Gulati to Sargun Kaur Gulati permanantly. 0040510670-1

I, Inder pal Singh Gujral S/O.Kuldeep Singh R/O.2/322C, Subhash-Nagar, Tagore-garden, New-Delhi-110027.have changed my name to Inder pal Singh,for all purposes. 0040510685-3

I, Hardeep Kaur Gujral W/O.Inder pal Singh R/O.2/322C, Subhash-Nagar, Tagore-garden, New Delhi-110027.have changed my name to Hardeep Kaur.,for all purposes. 0040510685-1

I, Gaurav Khosla S/o Jatinder Kumar Khosla R/o WZ-980 UG-Floor Rani Bagh Shakurbasti, Delhi-34 changed my name to Gaurav Kumar. 0040510725-6

I, Gaurav Arora R/o S-277 Second Floor, Greater Kailash-1, Delhi.Have Changed My Daughter's Name From Anavi Arora To Anvi Arora. 0040510667-10

I, Fahad S/o.Shamim Anwar R/o-D-52/1,Block-B Abulfazal Enclave-Part-2,Jamia-Nagar, Okhla Delhi-110025, have Changed my name to Fahad Shamim Permanently. 0040510725-1

I, Deepak Tiwari S/O Shyam Sunder R/O C-6/139 C, Keshav Puram, Delhi-110035. Have Changed My Name To Deepak Kumar. 0040510725-5

I, Deepak Soni W/o Ramesh Sharma R/o E-202, Bhagyawan-Apartment, Mayur-Vihar PH-1, Delhi-110091, have changed my name to Deepa Sharma. 0040510719-10

I, Bhupinder Singh Multani S/O Amrik Singh., R/O C-102, Amrapali-Sapphire, Sector-45, Noida, Gautam-Budhnagar, U.P-201301, Changed My Name To Bhupinder Singh. 0040510763-4

I, Ayan Ahmad Zaidi S/o Wasif Abbas Zaidi R/o Plot No-33A, 2nd Floor, Gadda Colony, Zakir Nagar, Jamia Nagar, New Delhi-110025, have changed my name from Ayan Ahmad to Ayan Ahmad Zaidi for all Purposes. 0040510674-1

I, Arshad Khan S/o Mr. Shamshad R/o F-86-A, Ground Floor, Abul Fazal Enclave-I, New Delhi-110025 have changed my minor son's name from Abdul Rahman Lodi to ABDUL RAHMAN for all future purposes. 0040510632-1

I, Anuradha D/O Sudhir Chander Singh R/O Plot.No-117, Sainik-Vihar Part-1, Vikas-Nagar, Uttam-Nagar, N.Delhi-110059 changed my name to ANURADHA Singh. 0040510755-4

I, Angeeta Wadhwa W/O Shri.Rajesh Kumar Wadhwa R/O A-1/402, Printers-apartments, Sector-13, Rohini,New Delhi-110085,have changed my name to Sangeeta Wadhwa. 0040510763-2

I, Amita Kandhari W/o Sanjeev Kandhari R/o-F-32 Ground-Floor, Kalkaji, Delhi-110019, changed my name to Ameetta Kandhaari. 0040510661-2

I, Amit Sinha S/o Krishna Mohan Sinha R/o 302, Chandram, Jagat Narayan Road, Patna, Kadamkuan, Patna, Bihar-800003, that my name has been wrongly written as Amit Krishna Mohan Sinha in my Passport No : H4730175. The actual name of mine is Amit Sinha 0070672771-1

I, Hazel Sharma,D/o Ms.Glory Samuel R/o-H.No.1-162, 3rd-floor, Humanyun-Pur, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029,have changed my name to Hazel Samuel.,for all fuure purposes. 0040510755-3

I, Ajit Pal Singh Kalra son of Varinder Pal Singh Kalra resident H-75 Vikas Puri, Delhi-110018, have changed my name to Ajit Pal Singh. 0040510684-1

I, Ajay Kumar S/o Jagdish Rai Singhal R/o QU-8B Pitampura Delhi-110034,changed my name to Ajay Singhal for all purposes. 0040510719-6

I, Achyut K Sharma S/o,Ramashraya Kishore Sharma R/o-RZ/H-3/1, FlatNo.1, UGF, Lane-6, Raghunagar, Dabri,Delhi-110045,have changed my name to Achyut Kishore Sharma. 0040510685-10

I, Abhinav Sood S/o Desh Bandhu Sood R/o L-12, Kailash Colony, New Delhi-110048, have changed my minor daughter's name from Ayishani Sood aged 8 years to Ayeshni Sood forever 0070672782-1

I hitherto known as DEVENDRA KUMAR S/O LAXMI NARAYAN employed as Executive Engineer(E) in O/oCE, NDZ-7 CPWD, Vidhyut Bhavan, New Delhi residing at 23/164, Lodhi Colony, New Delhi-110003, havechanged my name and shall hereafter be known as DEVENDRA KUMAR SACHAN. 0040510679-1

I, Karmjit Kaur and DOB is 22.10.1987 Spouse of Hav Gurjit Singh of Vill-Gharyala, Tehsil Patti, Distt-Amritsar, Punjab,have changed my name from Karmjit Kaur to Karamjeet Kaur and DOB is 22.10.1987 to 23.04.1988.Vide affidavit dated 31.08.2019,before (SDM Karawal Nagar,Delhi) 0040510683-4

I Vinay S/o Raj Kumar Bansal R/o H.No.10, 2nd-Floor, Gali.No.D-1, Chattarpur, Delhi-110074 have my name to Vinay Bansal. 0040510685-7

नाम परिवर्तन

मैं पिंकी कुमारी पत्नाया, मैं सहोदर कलाम की बेटी हूँ, मेरा पता 81/H/4 Dr. Suresh Sarkar Road, P.S - Entally, Kolkata-14 है. मैं यहाँ यह बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता के कि नाममात्र गलत सहोदर पढ़ना है. कृपा गलती की बजाय से सहोदर के स्थान पर बाबू पढ़ना और 10th & 12th के सिलसिले मेरा सीमा परिवारण, और मेरे अपना कार्ड पर लिखा हुआ है. बाबू और सहोदर पढ़ना एक ही व्यक्ति है. मेरी शपथपत्र (Affidavit) 19.08.2019 में मेरे पिताजी का नाम सहोदर पढ़ना उल्लिखित किया गया है.

खोया+पाया

I,Yogesh Toora S/O Piara Ram Toora have lost/misplaced my Allotment Letter,Possession Letter and Share Certificate (M.No.331) i/r my Flat D105,issued by External Affairs Employees CGHS (Panchsheel Apartment), Plot-24,Sector-4, Dwarka,New Delhi-110078.Mob.9818147433. 0040510509-4

I,Shanta Nand Sethi S/O-Late Shri.Ramkishan Sethi,R/O-227-Bank Enclave 2nd-Floor Laxmi-Nagar Delhi-110092, Have Lost My Property-Original Documents-227 Bank-Enclave 2nd-Floor Laxmi-Nagar Delhi-110092,Finder Please Contact-9899900189. 0040510763-10

I,YANNA Aggarwal D/o M.L Aggarwal R/o h.no -44 pocket-9 sec-24,Rohini Delhi-85.have lost my original certificate class-10th (2016)Roll.no-8183496 class-12th(2018) Rollno.-9152707 CBSE-Delhi. 0040510733-9

I, MANREET KAUR D/o BHUPENDER SINGH R/o 104, Paschim Vihar Extn., New Delhi-110063, have lost my original marksheet of Class 10th, Roll No. 6377655 year 1998 CBSE & Provisional certificate of CBSE and MEERABAI Polytechnic course Commercial Art 5th Semister Marksheet Roll No. 227922, December 2004. 0040510624-2

I,Gurpreet Ahuja, have lost/misplaced Originals Property Documents of Address 303-Ansal Imperial Tower,Nariana(Flat Buyer Agreement Dated-26-2-11,with No.W861611,Allotment letter /mutation/ possession Letter/ Payment Receipts (370608/371379/371301) Date-7/4/2007 and8/5/2007.Finder-Pls.Contact:9871669003. 0040510763-9

LOST AND FOUND

I, Geeta Bai Ors Lt. S D Bai would like to inform the general public that I am the owner in possession of property A-47, Sector 37, Faridabad and I was in possession of original Sale Deed vide bearing no. 284-registration dt. 16/7/1975 registered at Tis Hazari, New Delhi and original Power of Attorney dated 7/11/1981 doc no.70830 registered at Kashmere Gate, New Delhi. These docs relate to the title of my predecessors in the said property which I have misplaced. If anyone finds it, kindly contact me at 8826003832 within 10days from the date of issue of this Ad. Misuse of the lost docs will be illegal.

रिक्त स्थान

MANGALMAY
INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
(Approved by NCTE & Affiliated to GGS Univ. Meerut)

वीएएम कोर्स हेतु आवश्यकता
प्रिंसिपल (एजुकेशन)– योग्यता NCTE व UGC मानकों के अनुसार तथा कम से कम 8 वर्ष का अनुभव।
वीएएम प्रवक्ता – शैक्षिक विज्ञान एवं एडवरटाइजिंग मार्केटिंग, शारीरिक शिक्षा, फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी एवं मल्टीमीडिया शिक्षा। योग्यता NCTE व UGC मानकों के अनुसार।
अभ्यर्थी अपना विवरण ईमेलआईडी के साथ निम्न को पर भेज सकते हैं

Chairman - MMT
Plot 8 Knowledge Park-2 Gr Noida
Email-mangalmay1@yahoo.com
info@mangalmay.org

PUBLIC NOTICE

I, Shobha Madan S/o Ashok Kumar Madan R/o. Plot No. 139, Second Floor, Front Portion, Guru Harkrishan Nagar(Paschim Vihar), New Delhi, has lost the Original conveyance deed unregistered and other documents of property no. Plot No. 139, Second Floor, Front Portion The Hindustan CHBS Ltd. Guru Harkrishan Nagar (Paschim Vihar) New Delhi **Finder Please Contact : 9811659020**

PUBLIC NOTICE

Be it know to all that I, Raj Kumar Jain Son of Late Shri Suraj Bhan Jain Resident of F-40 A, MIG Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064, Purchaser of Flat No. F-40 A, Hari Nagar (G-8 Area, Rajouri Garden) New Delhi-110064, has applied for Conversion of the aforesaid flat from lease hold to freehold vide application no. 152251, Dated 09/05/2019, in DDA. All original documents i.e. Possession Letter, N.O.C for Electric and Water Connection and Site Possession Slip letter of above flat have been lost. An FIR No. 1175191/2019 to this effect has been lodged in Crime Branch, Delhi. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Ph. No. 9711815661 within15 days from the date of publication of this notice. The person claim any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Deputy Director(LAB) Housing or Director(Pl)-1, D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Vipin Saini** s/o Shri Ram Swaroop Saini, & **Smt. Hem Lata Saini** w/o Vipin Saini, both residents of 3134, Barawala Chowk, Gali Hathi Khana, Sadar Bazar, Delhi-110006, **disowned their son Mr. Sachin Saini and his wife Kajal and their to be children,** from their all movable immovable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

Sd/-
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, DELHI-110006

PUBLIC NOTICE

Please take notice that my client Shri Dayanand S/o Shri Sarjeet Singh R/o A-29/A Khasra No. 19/20, Double Storey, Gali No 1/2, A-Block, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-110094 has severed all his relations with his son Bhupinder Kumar @ Sonu and his wife Smt. Manju presently residing at A-29/A Khasra No. 19/20, Double Storey, Gali No 1/2, A-Block, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-110094 due to their disobedience misconduct, cruel and abusive behaviour towards my aforesaid client and debarred them and their children from his all movable and immovable properties Any body dealing with the aforesaid son and daughter-in-law of my client shall do at his/her/their own cost and risk. My client shall not be responsible.

Sd/-
(Parvinder Singh) Advocate
Ch. No. Y-61, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

For & on behalf of my clients Mr. Rajender Kumar s/o Late Pyare Lal & Mrs. Vimla w/o Mr. Rajender Kumar, both r/o A-55, Anand Vihar, Nangli Shakrawati Mor, Najafgarh, New Delhi-43, I serve this Public Notice that my clients severs thair relations from their son namely Mr.Harish Kumar and his wife Mrs.Pooja and also Debars their said son and his wife Pooja from their properties both movable & immovable for all intents and purpostes. Anyone deals with them shall do at his own risks.

Sd/-
BINOD KUMAR JHA (Advocate)
B-5, SUNEJA TOWER-I, DISTT. CENTRE, JANAKPURI, NEW DELHI-58

PUBLIC NOTICE

Be it know to all that my client Sh. Ashok Kumar, S/o Pratap Singh, R/o B-1/373, Ist Floor, Sec. 17, Rohini, Delhi-89, hereby have debarred and disowned his son namely Jatin Kanwal from his movable and immovable properties/assets and sever all his relations in all respects with him due to his anti family activities and disrespectful behavior towards my client. If anybody deals with him, he/she will do so at his/her own risks, costs, and consequences, my client shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
NAVEEN KUMAR (Advocate)
Enrolment No. D-2057/04

PUBLIC NOTICE

Be it known to all, that my client Ms. Sushi Baswani w/o Late Sh. B.S Baswani R/o 22-B Surya apartment, plot no.21, sector-13, Rohini Delhi-110085 have severed all her relations and disowned her son Vikas Baswani and his wife Bimlesh Baswani, from all of her movable and immovable properties due to the unethical behavior of them towards my client and not taking care of my client in her old age and are acting against her interest and they will not have any right or claim over the same. Vikas and Bimlesh have shifted elsewhere address not known yet. My client will not be responsible for any of their acts or deeds of her son & daughter in-law. Who so ever deals with them shall do so at their own cost and risk.

Sd/-
GAURAV SOOD (Advocate)
Ch No. 204, W. Wing Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Smt. Bhagwan Devi Wife of Late Diwan Singh, R/o D-20, Prem Nagar-2, Kirari Suleman Nagar, Sultanpuri, C-Block, North West, Delhi-110086 has severed all her relations with her son Suresh S/o Late Sh. Diwan and his wife Smt. Babita, due to their disobedient, adamant and quarrelsome nature and henceforth my client also debars her above named Son Suresh and his wife and their children namely Geetanjali and Twinkle from all her movable and immovable properties in all respects.

Sd/-
(SUBHASH BAGHEL) Advocate
Enrol. no. D-1161/13

PUBLIC NOTICE

My clients Jai Nisha W/O Kasimuddin and Kasimuddin, both R/o Block-M-1st, Gali no-9, H. No.-539, Sangam Vihar, New Delhi-110062 has severed their all the relations and disowned/debarred their eldest son Rashid khan and his wife Rizwana from their all movable-immovable properties and assets. My clients should not be responsible for their any acts and deeds against anyone.

Sd/-
ASIF ALI (ADVOCATE)
Ch. No. 685 Saket Courts New Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public at large in their own interest that my Client, Sh. Kulbeer Singh S/o Sh. Bhoom Singh R/o T-28, H-7 B-7, Janta Park, West Patel Nagar, Near Water Tank, Delhi, has complete ownership rights, well as well as possession rights by virtue of agreement to sell and purchase and GPA dated 08/05/2003 entered with Smt. Meenu Dutta and his legal heirs in respect of property no.525, Pocket C-2, Sector 36, Rohini, Delhi area measuring 32 mr. situated under Rohini Residential Scheme-1981 by virtue of Priority No. 23374 Application No. 243007 issued by DDA. Any person who deals with the aforesaid property, against the interest of my client shall face with legal consequences civil as well as criminal and will be dealt so at his own peril and costs.

**Mayank Gakkhar (

पॉलीथीन बैग का उपयोग बंद करें : सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

नरेला जोन के सहायक आयुक्त बलराज सिंह ने रोहिणी पॉकेट 19 सेक्टर–24 आरडब्लूए के सदस्यों के अनुरोध पर अचानक दौरा किया और सभी सफाई कर्मचारियों को विशेष हिदायत दी। इस मौके पर आरडब्लूए के सदस्य कोमल, सरोज, अनुज आदि मौजूद थे। सिंह ने बताया की सरकार जल्द ही प्लास्टिक पोली बैग बंद करने जा रही है। इसलिए सभी लोग इसका उपयोग बंद करें।

इसी दौरान एनजीओ के चेयरमैन रोहित त्रिपाठी ने घोषणा की कि वह सेक्टर–24 में रहने वाले सभी लोगों को कपड़े या जुट के थैले जल्द उपलब्ध करवाएंगे।

सोनिया गांधी से मिलीं 'आप' विधायक अलका लांबा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक अलका लांबा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। पार्टी नेतृत्व से विभिन्न कारणों से नाराज बताई जा रहीं अलका की कांग्रेस अध्यक्ष से हुई मुलाकात को उनकी कांग्रेस में वापसी की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है।

सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अलका ने अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष ही नहीं संप्रग की अध्यक्ष भी हैं और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की एक बहुत बड़ी नेता हैं। देश के मौजूदा हालात पर उनसे लंबे समय से चर्चा अपेक्षित थी, आज मौका मिला तो हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। राजनीति में विमर्श का यह दौर चलता रहता है और चलते रहना चाहिए।

लांबा कांग्रेस से ही 'आप' में गई थीं और चांदनी चौक से विधायक बनीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पार्टी नेतृत्व से उनके रिश्तों में तल्खी महसूस की जा रही है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अलका ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक की। ऐसे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह 'आप' को छोड़ कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा सकती हैं।

HOMI BHABHA CENTRE FOR SCIENCE EDUCATION
Tata Institute of Fundamental Research
NATIONAL OLYMPIAD PROGRAMME 2019 - 2020
In Astronomy, Biology, Chemistry, Junior Science & Physics
All students wishing to participate in the programme must appear for corresponding **National Standard Examinations (NSEs)** on November 24, 2019 (for NSEJS on November 17, 2019). Qualification in NSEs is the first step towards participation in the corresponding **International Olympiads of 2020.**
For details see: http:// www.iapt.org
AND http:// olympiads.hbcse.tifr.res.in
Important date :
Enrolment of Students for NSEs: August 21 - September 15, 2019

कोचिंग के लिए सरकार देगी एक लाख

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत दिल्ली में हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने योजना में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के बच्चों के लिए थी। सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग के बच्चों को कोचिंग सेंटर में शिक्षण के लिए मदद दी जा सकेगी। योजना के तहत दिल्ली सरकार अब तक 40 हजार रुपए उपलब्ध कराती थी। कैबिनेट ने इस धनराशि को 40 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' का लाभ बच्चों ने लिया है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी बढ़ाया है। इससे बच्चे अन्य विशेष कोर्स के लिए मुफ्त कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस योजना का लाभ दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थी ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एसी वर्ग के अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपए तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा को आठ लाख रुपए तय किया है। छात्र को किसी परीक्षा के लिए कोचिंग लेनी है, उसी हिसाब से यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लिए नोडल एजंसी दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, सरकार उपलब्ध कराएगी। इस योजना के लिए धन की कोई कमनहीं होने दी जाएगी। प्रेसवार्ता में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी उपस्थित थे।

इन श्रेणियों में मिलेगी आर्थिक मदद

- सिविल सर्विस–स्टेट पब्लिक सर्विस : अधिकतम 12 माह के लिए एक लाख रुपए
- यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन : 4 माह के लिए 40 हजार रुपए
- न्यायिक सेवा परीक्षा : 12 माह के लिए एक लाख रुपए
- पेशेवर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा : 11 माह के लिए एक लाख रुपए
- ग्रुप ए व बी, प्रवेश परीक्षा एमबीए, क्लैट : 6 माह के लिए 50 हजार
- अन्य ग्रुप की ए व बी श्रेणी, एसएससी, बैंक, एलआइसी, जीआइएस : 5 माह के लिए 30 हजार
- सी श्रेणी की परीक्षा जो 10 व 12 कक्षा के आधार पर होती हैं : 4 माह के लिए 24 हजार
- साक्षात्कार : एक माह के लिए 10 हजार रुपए सिविल व 5000 रुपए अन्य परीक्षा

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक),
केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली
दूरभाष एवं फैक्स: 23379308, ईमेल: delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

फा. सं.– आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामला/2019–20/627 दिनांक:–26/08/2019

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित तारीखों में सुनवाई के लिए नियत है:–

क्रम सं.	मामला सं. एवं मामला शीर्षक	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम	सुनवाई की अगली तारीख
1	अपील न. 32/252/एनडी/2019 आयकर उप आयुक्त, सर्कल 12(1) बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स इनफिनिटी ई–सॉलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड)	1. मारी रविचंद्र राव 2. मारी प्रभाकर नाग	19.09.2019
2	155/252/एन.डी./2019– आयकर उप आयुक्त, सर्कल 12(2) बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स इनलाइफ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड)	1. सचिन गुप्ता 2. दिनेश जैन	01.10.2019
3	अपील नं. 58/252/एन.डी./2019–सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड 10(2) बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स ग्रीन क्लीन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड)	1. विकास कुमार 2. प्रमीला	23.09.2019
4	अपील नं. 28/252/एन.डी./2019– आयकर अधिकारी वार्ड 6(3) बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स ग्रैपल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1. जितेंद्र दूगर 2. नवीन कुमार नहाटा	11.09.2019

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों/निदेशकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित मामलों में सुनवाई की उपर्युक्त तारीखों पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष उपस्थित हों।

भवदीय,
हस्ता./–
(अमर जीवन)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)–3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0007/1920

KIOCL Limited
Pellet Makers to the Nation

Chairman's Statement
43rd Annual General Meeting

Dear Shareholders,

I am delighted and privileged to apprise you about the encouraging performance of your Company during the Financial Year 2018-19. Amidst continued challenging business environment, initiatives taken have resulted in enhancing profitability, reinforcing our leadership in Pellet making industry. I, on behalf of the Board of Directors as well as dedicated employees of KIOCL, present to you the Company's Annual Report for the Financial Year 2018-19.

Key Performance Highlights

Let me share the key performance highlights for the FY 2018-19. Your Company has:

- Surpassed "Excellent" Target in Production and Dispatches by producing 2.24 Million Tons and dispatching 2.21 Million Tons of Pellet respectively.
- Achieved export sales of 1.52 Million Tons of Pellets, highest after closure of Captive Mines at Kudremukh.
- Achieved revenue from Operations Rs. 1887.71 crores, shot up by 15%, highest since inception.
- Achieved record turnover of Rs. 2013 crores, which is highest since inception as against Rs. 1784 crores in the Financial Year 2017-18, registering growth of 13%.
- Earned an Operating Profit of Rs 67.20 crores from pellet plant during the year after a gap of six years since the Financial Years 2011-12.
- Earned a Profit Before Tax of Rs. 184.12 crores compared to Rs. 86.09 crores in the year before, registering an increase of 114 %. Net Profit (PAT) stood at Rs. 111.86 crores compared to Rs. 81.48 crores in 2017-18 up by 37%.
- Concluded Buy-back 1,25,88,235 equity shares, representing 1.98% of the Paid-up Equity Share Capital with total outgo of Rs. 214 crores.
- Proposed to pay a total dividend of Rs. 99 crores for the year 2018-19, which is 13.33% on the paid up share capital, post buy-back of equity shares, which would be the highest dividend paid since 2005-06, subject to the approval of shareholders.
- Your Company is spreading its footprint globally by successfully supplying pellets to steel mills in South Korea, Japan, Europe, Middle East etc.

Economy & Steel Sector Scenario

India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers of the World (currently ranked 6 by size) in the next 10 years. The size of the Indian economy was $1.85 trillion 5 years back which has now grown to $2.67 trillion. Government of India is aiming to achieve $5 trillion economy in the next five years by 2024.

To boost the capacity and consumption, our Steel Ministry had announced the National Steel Policy -2017 that targets an annual production

of 300 million tonnes, and annual per capita consumption of 160 kg by 2030.

Wide range of continuing infrastructure projects are likely to support growth in steel demand. India is the world's second-largest steel producer with production standing at 106.5 Mt in 2018. Global steel demand in 2018 was increased by 2.1% and Worldsteel forecasts that the same will reach 1,735 Mt in 2019, an increase of 1.3% over 2018. In 2019, steel consumption of the country is expected to grow 5.7% year-on-year to 92.1 Mt, and steel demand is increasing every consecutive year and it is being forecasted by worldsteel that it will overtake the United States in steel demand in 2019.

India's iron ore output was around 207 Mt in FY19 against 201 Mt in previous fiscal. Iron ore supplies from some of the mines from Minas Gerais State in Brazil is expected to have some effect following breach of a tailing dam belonging to major miner Vale and subsequent mining restrictions and environmental concerns. The expected supply shortage is likely to support global iron ore and pellet market in 2019.

Your Company's exports have been predominantly to China as China consumes nearly 50% of iron ore produced in the World. The Company has been making consistent efforts to expand its market base to reduce the risk of overdependence on single market.

As a result of these efforts, your Company exported pellets to Steel Mills in UK, Japan, South Korea, Oman etc. Out of total exports of 69%, about 40 % of exports made during FY 2018-19 were to markets other than China. UK alone contributing for 17 % of total exports.

Creating KIOCL of tomorrow

Your Company is moving to the next level of sustained performance by converting the emerging opportunities into potential success stories. Your Company is debt free Company with surplus funds that can be invested for its growth. Therefore, your company has embarked on a transformational journey by large size capital investments to the tune of Rs. 3500 crores.

In this regard, the Company has identified following road map and vision:-

- Setting up of 1.79 LTPA Coke oven plant and 2.0 LTPA Ductile Iron Spun Pipe Plant along with Modernization of Blast Furnace Unit.
- Develop Devadari iron ore block, in Bellary district, Karnataka with all infrastructure by end of 2022.

- Setting up of 5 MW Solar Power Plant in Karnataka.
- Setting up of 2.0 MTPA Pellet Plant with M/s RINL at Vizag under Joint Venture.
- Modernization of Pellet Plant Unit, Mangalore.
- Mineral exploration activities along with exploratory drilling on allocation of areas by Ministry of Mines, Govt. of India and Govt of Karnataka.

Apart from above, your Company has entered in to an MoU with M/s SAIL for exploring the Techno-Economic Feasibility for consideration of setting up of a Pellet Plant at a suitable location and suitable capacity.

Follow-On Public Offer

The Board of your Company at its Meeting held on 06-08-2019 had approved the Follow on Public Offer (FPO) for sale of 15% of Paid up Equity Share Capital of the Company by the President of India, acting through the Ministry of Steel, Government of India, at a price to be determined by the Book Building process by the selling shareholder and the Company in consultation with the Book Running Lead Manager.

Corporate Governance

The philosophy of your Company in relation to corporate governance is to ensure transparency, disclosures and reporting that confirms fully with the laws and regulations of the country in order to promote ethical conduct & practices throughout the organisation for enhancing stakeholders' value. Your Company is committed to comply with the provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 relating to Corporate Governance and the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises, Government of India.

CSR initiatives

Beyond business, our CSR initiatives have also helped the organization in making a positive impact in people's lives. At the same time, it also sensitizes us to our role as an important stakeholder of the society and environment. In

FY'19, your Company spent Rs. 32.51 lakhs for its various CSR programs with target areas spanning from Education, Promotion of Sports, Clean Drinking Water, Health Care, Contribution to Chief Minister's Relief Fund and Development of aspirational District. In the FY'19, your Company has contributed Rs. 50 lakhs i.e. Rs. 22 lakhs contribution from employees one day salary and balance Rs. 28 lakhs from the CSR Fund for the FY 2019-20 towards disaster management, rehabilitation and reconstruction activities in flood affected areas of Karnataka.

Partners on the Journey

Aspirations in our journey cannot be achieved without acknowledging dedicated and committed efforts of each & every member of KIOCL family. I take this opportunity to once again thank the Board Members and particularly distinguished Govt. Nominee Directors and Independent Directors for providing leadership support to your Company and its employees. I also thank the employees for contributing immensely. I would also like to thank and acknowledge the continued co-operation, trust and support of various Government / Regulatory authorities, Company's valued customers, suppliers, vendors, investors, bankers and shareholders.

Notwithstanding the shifts and turns in the market, Shareholders belief in our growth story and enduring association with us is what keeps us motivated to emerge stronger with every passing year. At the successful closure of yet another financial year, I express my gratitude to the Shareholders of the Company and look forward to continuing this journey for achieving greater heights together.

Dhanyawaad!!

MV Subba Rao
Chairman - cum - Managing Director

Ecology Our Mission; Obsession
KIOCL Limited
(A Govt. of India Enterprise)

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	37.0 डि.से.	37.0 डि.से.	37.0 डि.से.	38.0 डि.से.
न्यूनतम	29.0 डि.से.	29.0 डि.से.	29.0 डि.से.	28.0 डि.से.

परिवार राजपथ पर आइसक्रीम खाने आया था

इंडिया गेट पर डंपर ने पिता और बेटी को कुचला, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

- डंपर चालक को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई गई है
- हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए, पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया

इंडिया गेट पर सोमवार देर रात आइसक्रीम खाने आए एक परिवार के दो सदस्यों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इसमें पिता केवल धीवान और पुत्री मान्या की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। डंपर चालक रमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चालक के भी हाथ में चोट लगी है। चालक की मेडिकल जांच लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कराई गई है। रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वह डंपर चलाते समय शराब के नशे में था या नहीं। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी के स्कूल परीक्षा खत्म होने पर सोमवार देर रात आइसक्रीम खाने के लिए इंडिया गेट पहुंचा था। बेटी ने अपने व्यापारी पापा केवल धीमान (42) से वादा लिया था कि जब उसकी परीक्षा खत्म हो जाएंगी तो वे लोग शाम के समय इंडिया पर आइसक्रीम खाने जाएंगे। बेटी से किया वादा निभाने के लिए ये परिवार सोमवार रात इंडिया गेट पहुंचा था। रात करीब 12:20 बजे एक बेकाबू डंपर (नंबर-ओडी-08 जी-2288) मान सिंह रोड पर पहले डिवाइडर से टकराया फिर आगे बढ़ते हुए तीन ऑटो को कुचलता हुआ वहां मौजूद राहगीरों पर जा गिरा। इसकी चपेट में धिवान परिवार भी आ गया। डंपर अपनी ओर आते देख व्यापारी ने अपनी पत्नी पूनम और एक बच्ची मायरा को तो दूर धकेल दिया लेकिन वह अपनी छोटी बेटी आठ साल की मान्या और खुद को नहीं बचा सके। बेकाबू डंपर उन्हें रौंदता हुआ क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। धीमान परिवार के मुताबिक जब हादसा हुआ तो पुलिस मौके पर मौजूद थी। धीमान ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था लेकिन बच्ची की सांसें चल रही थीं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह परिवार स्कूटी से राजपथ आया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दुर्घटना में माता सुंदरी रोड के रहने वाले तिपहिया चालक दीपक कुमार और उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर राम सिंह और एक अन्य व्यक्ति भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में तीन तिपहिया और एक स्कूटी दोपहिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने धारा 279, 337, 304ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बदरपुर के रहने वाले चालक रमन (24) को मौके से गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है।

डीयू में फीस वृद्धि नहीं होने देंगे : एबीवीपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के संबद्ध किसी भी कॉलेज या विभाग में फीस बढ़ोत्तरी नहीं होने दी जाएगी। डीयू छात्र संघ (डूसू) में रहते हुए हमने इसके लिए लगातार संघर्ष किया और आगे भी करेंगे। एबीवीपी और डूसू के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर एक साल का लेखा-जोखा पेश किया। इस मौके पर एबीवीपी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी, प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव, वर्तमान डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह और सह-सचिव ज्योति चौधरी मौजूद थे।

मोनिका ने बताया कि पिछले साल हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि डूसू का आधा बजट हम छात्राओं से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी ठीक वैसा ही है। उन्होंने बताया कि एक साल के दौरान छात्राओं के लिए साहसी, स्वयंसिद्धा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विभिन्न पक्षकारों के साथ परिचर्चा आयोजित कर कुछ सुझाव सरकार को हमारी ओर से भेजे गए हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि हमने डीयू के विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रशासन के खिलाफ संघर्ष किया और अधिक बार हमें कामयाबी मिली। उन्होंने बताया कि हमने पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके बाद जाकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके लिए विश्वविद्यालय एक कैलेंडर बनाए ताकि विद्यार्थियों को पता रहे कब उन्हें आवेदन करना है। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष के बाद ही डीयू का पुस्तकालय अब चौबीसों घंटे खुलने लगा है। शक्ति ने बताया कि हमने एक साल के बाद डीयू प्रशासन से छात्रावासों को लेकर कई बार मुलाकात की लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद हम एक प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले जिन्होंने हमारे प्रस्ताव के आधार पर डीयू को छात्रावास निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने सांसद मनोज तिवारी से दिव्यांगों के लिए परिसर में बस चलवाने के लिए 20 लाख रुपए भी मंजूर कराए हैं।

डूसू चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए नामांकन करने का अंतिम तिथि चार सितंबर है। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। दोनों ही संगठन चार पदों के लिए 10 से 12 प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे। उम्मीदवार सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

डीयू प्रशासन ने नामांकन का अंतिम दिन होने के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हुड़दंग न मचाएं। एनएसयूआइ की ओर से करीब 10 उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाएगा। हालांकि टिकट पाने की दौड़ में चार नाम आगे चल रहे हैं। इनमें शहीद भगत सिंह कॉलेज की छात्रा चेतना त्यागी, कैंपस लॉ सेंटर के आशीष लांबा, देव नगर खालसा कॉलेज के अंकित भारती और दयाल सिंह कॉलेज के अभिषेक चपराना शामिल हैं। बताया जा रहा है कि संगठन सुनीत पहल, संजू खारी और वैष्णव सिंह से भी नामांकन करा सकता है।

दाखिले से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगा डीयू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला संबंधित शिकायत निवारण समिति के पास तक पहुंचीं शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डीयू प्रशासन ने साफ किया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नए दाखिले नहीं होंगे। डूसू चुनाव के संपन्न होने के बाद दाखिले से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। 12 सितंबर को डूसू चुनाव हैं और इसके नतीजे एक से दो दिन के बाद सामने आ सकते हैं।

खबरों में शहर

कथा-कहानी में मनन और सिनीवाली का रचना पाठ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

कथा-कहानी के दूसरे वर्ष साल पहली गोष्ठी में गांधी शांति प्रतिष्ठान में सुरेंद्र मनन और सिनीवाली ने अपनी कहानियों का पाठ किया। सुरेंद्र मनन ने 'काया परकाया' और सिनीवाली ने 'अतिथि' कहानी पढ़ी। इस मौके पर नूर जहीर और राकेश कुमार के अलावा रमेश उपाध्याय, शंकर, जानकी प्रसाद शर्मा, राकेश तिवारी, विवेक मिश्र, हीरालाल राजस्थानी और रचना ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मोमिना, शिवम, अनुपम सहित कई शिक्षक और शोधार्थी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन प्रेम तिवारी ने किया। स्वागत हरियश राय ने और धन्यवाद ज्ञापन राकेश तिवारी ने किया।

एआरएसडी कॉलेज में 'अभिनय' का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज (एआरएसडी) की रंगायन सोसायटी की ओर से 'अभिनय' नाम से एकल अभिनय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम वर्ष के 52 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अवनी बाई के ऐतिहासिक चरित्र को निभाने वाली नेहा पोल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ख्याति अधलखा को दूसरा और घरेलू हिंसा पर बेहतरीन अभिनय करने पर हादिया युसूफ को तीसरा पुरस्कार दिया गया। कॉलेज के प्रचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विद्यार्थियों को कला और कलाकार के बीच के गहरे रिश्ते व रंगायन सोसायटी की विशेषताओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कई कलाकार व निर्देशकों की प्रथम पाठशाला रंगायन रही है, जहां उन्हें मांजकर रंगमंच चमकाने के लिए तैयार किया जाता है।

चितरंजन पार्क में बुजुर्ग की हत्या पर कैंडल मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

ग्रेटर कैलाश इलाके के चितरंजन पार्क में बुजुर्ग कृष्ण खोसला को फ्रिज में अगवा कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पुलिस ने सोमवार देर रात दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर मुख्य आरोपी किशन व टेम्पो चालक प्रदीप शर्मा, दीपक यादव, सर्वेश, प्रभु दयाल को गिरफ्तार कर संगम विहार में छिपाकर रखा गया बुजुर्ग का शव बरामद किया। पुलिस पूछताछ में किशन ने खुलासा किया है कि बुजुर्ग की पत्नी को नशीला पदार्थ सूंघाकर घटना को अंजाम दिया। जब वह बेहोश हो गई तो बुजुर्ग का गला दबाकर हत्या करदी गई। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए फ्रिज में शव को डालकर संगम विहार ले गए। पुलिस की लापरवाही के खिलाफ रोष और बुजुर्गों की सुरक्षा की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला गया।

एक्सप्रेस-वे के फ्लाईओवर पर दिखेंगी कलाकृतियां

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 सितंबर।

ग्रेटर नोएडा के एक्स्पो मार्ट में चल रहे यूएन ग्लोबल कांफ्रेंस के दौरान 9 दिसंबर से वीवीआइपी लोगों के आने-जाने का सिलसिला बढ़ जाएगा। इस आयोजन में 196 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विदेशी मेहमानों को प्रदेश की संस्कृति से वाफिक कराने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर दो तरह की कलाकृतियां बनाई जाएंगी। पहली हैप्पीनेस यानी खुशी का अहसास कराएंगी। जबकि दूसरी योग के तरीकों को दर्शाएंगी।

सेक्टर-61 स्टेशन पर मेट्रो के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या की

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 सितंबर।

सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक ने ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले की पहचान संचित कुमार (22) के रूप में हुई है। वह सेक्टर-44 में रहता था। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। थाना फेज थ्री पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

घटना की वजह से ब्लू लाइन मेट्रो पर सेवा बाधित रही। संचित निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता था। सूचना मिलने पर थाना फेज थ्री पुलिस के एसएसआइ वीरेंद्र सिंह ने शव को ट्रैक से हटवाया। इस वजह से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी से अक्षरधाम जाने वाली मेट्रो सेवा करीब आधे घंटे बाधित रही।

पुलिसकर्मी पर चलाई गोली राहगीर को लगी, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

- मृतक की पहचान हर्ष विहार में रहने वाले 50 साल के राजू के रूप में हुई

नंदनगरी इलाके में कार सवार बदमाशों ने जब पुलिस कांस्टेबल अजय पर गोली चलाई तो कांस्टेबल को बच गया लेकिन एक राहगीर की जान चली गई। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान बदमाश फरार होने में सफल हो गए लेकिन कार के नंबर के आधार पर उनकी पहचान कर ली गई है। मारे गए व्यक्ति की पहचान हर्ष विहार के रहने वाले 50 साल के राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने धारा 307, 353, 186, 34 के साथ 25/27 शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दे रही है।

पुलिस के मुताबिक नंदनगरी में सोमवार देर रात तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे कार में सवार तीन बदमाश तेज गति से गाड़ी चलाते हुए भाग रहे थे। उस दौरान पुलिस कांस्टेबल अजय गश्त पर थे। उन्होंने मामला संदिग्ध होने की आशंका से पीछा किया तो बदमाशों ने अजय पर गोली चलानी शुरू कर दी। उनकी गोली से अजय तो बच गया लेकिन राजू उसका शिकार हो गया।

घायल राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में रखा गया है। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने कहा कि बदमाश गाजियाबाद के हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

सीलमपुर में चार मंजिला इमारत गिरी, दो मरे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

सीलमपुर में सोमवार देर रात एक चार मंजिला इमारत गिर गई जिसके मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। पुलिस ने छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए देर रात तक राहत-बचाव कार्य जारी रहा। मंगलवार सुबह सारा मलबा साफ कर दिया गया। मरने वाले की पहचान मोनी (22) और यासिन (52) के रूप में हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एसडीएम को घटना के जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक सीलमपुर के के-ब्लॉक स्थित झुग्गियों में यह हादसा सोमवार देर रात हुआ। झुग्गी बस्ती में भी लोग पक्का मकान बनाकर रहने लगे हैं। इसी कॉलोनी में बेहद कमजोर इमारतों में एक सोमवार रात भर भराकर गिर गई। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचीं दिल्ली अग्निशमन और पुलिस की टीमें मलबे को साफ करना शुरू किया तो उसमें कई लोग फंसे हुए पाए गए। छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जबकि दो लोगों की लाश मिली। कमजोर इमारत की सूचना लोगों ने कई बार स्थानीय प्रशासन को दी थी। इमारत के बाहर बैठे हुए लोगों को गंभीर चोट आई। घायलों को जग प्रवेश चंद्र और गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गयाख जहां मोनी और यासिन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

वहीं, अरमान (31), शाजिया बेगम (25) और शमसुद्दीन (45) गंभीर रूप से घायल हो गए।

वेबसाइट के माध्यम से पा सकेंगे आरएफआइडी टैग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

नगर निगम के रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआइडी) टैग परियोजना का कार्यान्वयन के लिए ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल मंगलवार को सामने आए। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 2019 की मध्यरात्रि से 13 में से किसी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं लिया जाएगा। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद आरएफआइडी परियोजना का कार्यान्वन प्रभावी हो रहा है क्योंकि टोल प्लाजा पर लाइनें छोटी हो रही हैं और समूची प्रक्रिया सुचारू बन रही है। ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल ने सचिव सुनीता नारायण और दक्षिणी निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय की उपस्थिति में आज वेबसाइट का शुभारंभ किया। इससे वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों, चालकों को आरएफआईडी टैग प्राप्त करने के लिए हो रही कठिनाइयों में बहुत मदद मिलेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से वे रिचार्ज करा सकेंगे ताकि इसीसी और एमसीडी टोल का भुगतान क्रेडिट और डेबिट कार्ड या नेटबेंकिंग से किया जा सके।

चीनी नागरिक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों के आने पर होगा पोस्टमॉर्टम

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 सितंबर।

चीनी के एक नागरिक एरिक की मौत के मामले में अभी तक पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका है। मामला संदिग्ध होने की वजह पुलिस मृतक के परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमॉर्टम कराएगी। पुलिस एरिक के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है।

दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट दो निवासी संदीप कुमार की सेक्टर-63 में बैट्री बनाने की कंपनी है। उनकी कंपनी में कारोबारी दौरा करने के लिए चीनी नागरिक जांग लिसू उर्फ एरिक आए थे। वे कंपनी के सेक्टर-70 स्थित गेस्ट हाउस में ठहरे थे। 29 अगस्त की रात संदीप ने सेक्टर-18 स्थित एक बार में पार्टी आयोजित की थी। इसमें संदीप, एरिक और एक महिला तानिया शामिल हुए थे। जहां उन्होंने काफी शराब पी थी। देर रात संदीप अपनी कार से एरिक व तानिया को छोड़ने के लिए रवाना हुए थे। एरिक कार की पिछली सीट पर बैठे थे। बताया गया है कि कार जब एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-105 के पास पहुंची, तो एरिक ने पिछली खिड़की खोल दी। इससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए। संदीप ने पुलिस को बताया कि नशे में होने के कारण उन्हें एरिक के कार से नीचे गिरने का पता नहीं चला। जब वे सेक्टर-105 से करीब 12 किलोमीटर दूर सेक्टर-70 गेस्ट हाउस पहुंचे, तो पता चला कि वह कार में नहीं है। इसके बाद एरिक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो पता चला कि वह यथार्थ अस्पताल में है। 30 अगस्त की रात को एरिक की मौत हो गई थी।

निगम का अस्पताल बना कुत्तों का आशियाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल कुत्तों का आशियाना बन चुका है। चारों तरफ फैली गंदगी से परेशान मरीजों का कहना है कि बिना वर्दी काम कर रहे डॉक्टर और नर्स रोगियों के उपचार में ज्यादा रुचि नहीं लेते जिससे लोगों का बुरा हाल है। सुरक्षाकर्मी इधर-उधर घूमते रहते हैं और लिफ्ट का आलम यह है कि जब अस्पताल के कर्मचारी को ऊपरी मंजिल पर जाना होता है तो वह तब ही खुलती है।

मंगलवार सुबह जब दिलशाद गार्डन स्थित निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में जानकारी लेने के बाबत जाना हुआ तो आइसीयू और स्वागत कक्ष के सामने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचने के उपाय तो लिखे हुए थे लेकिन वहीं कुत्ते भी आराम से चलकर रोगियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। हर जगह कुत्ते ही कुत्ते मानो ऐसा लग रहा था जैसे यह मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों का अस्पताल है।

1997 से पहले अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने वाले अधिकारी-कर्मचारी निशाने पर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 सितंबर।

- अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कर बनी 53 इमारतों को नोटिस जारी
- सिर्फ कागजों पर लिया कब्जा, मौके पर अवैध लोगों का कब्जा

1997 से पहले अधिग्रहित हुई गांवों की जमीन का एक नया घोटाला सामने आया है। विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहित कर कागजों में तो कब्जा ले लिया लेकिन वास्तविकता में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर वहां अवैध निर्माण कर लिया। ऐसे मामलों की हाल में हुई जांच में 53 ऐसी इमारतों का पता चला है। इन इमारत के मालिकों को प्राधिकरण ने इमारत खाली करने को कहा है। ताकि इमारत ध्वस्त कर जमीन खाली कराकर किसानों के भूखंड काटे जा सकें।

प्राधिकरण की सीईओ के निर्देश पर अलग-अलग श्रेणी में अवैध इमारतों को चिह्नित कर ढहाने का काम किया जा रहा है। इसमें पांच हजार से लेकर एक लाख वर्ग मीटर तक के भूखंडों की पहचान की गई है। ज्यादातर भूखंड 1997 से पहले विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित किए गए थे। लेकिन इन जमीनों का अधिग्रहण केवल कागजों पर हुआ। जहां भू-माफियाओं ने साठगांठ कर अवैध इमारतों का निर्माण कर कब्जा कर लिया। वर्षों पहले हुए इस निर्माण का निरीक्षण किसी अधिकारी ने नहीं किया। अब इन्हें खाली कराया जा रहा है।

बताया गया है कि 1997 से लेकर बसपा और सपा शासनकाल में कई अधिकारी इन मामलों में लिप्त रहे हैं। इनकी एक सूची तैयार की जा रही है। ताकि सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस कड़ी में हाल ही में अवैध बैंक्वेट हॉल को ढहाने गए प्राधिकरण अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज मिले, जिसमें अभियंताओं से लेकर यूनियन से जुड़े अधिकारियों के नाम सामने आए थे। उसके बाद फाइलों की जांच का काम तेज कर दिया गया है।

दो युवकों के मिले शव, सीने और सिर पर गोली के निशान

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 सितंबर।

- वारदात की जगह से तमंचा और बाइक एवं कार टायर के निशान पाए गए
- एक दूसरे की हत्या या अन्य जगह हत्या कर शव डालने की पुलिस जता रही आशंका

थाना सूरजपुर इलाके में मंगलवार सुबह जुनपत गांव के पास दो युवकों के शव पड़े मिले। घटना स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। दोनों युवकों के सिर और सीने में दो-दो गोलियों के निशान हैं। पुलिस ने मौके से एक तमंचा बरामद किया है। घटना स्थल के आसपास मोटरसाइकिल और कार के टायरों के निशान मिले हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अन्य जगह हत्या कर शवों को यहां डालने या दोनों ने एक-दूसरे को गोली मारने की आशंका जताई है।

मंगलवार सुबह राहगीरों से घटना की सूचना मिलने पर पहुंची थाना सूरजपुर पुलिस ने दोनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे। ग्रेटर नोएडा की क्षेत्राधिकारी प्रथम तनु श्रीवास्तव के मुताबिक शवों की पहचान नहीं हो सकी है। मौके से तमंचा और मोटरसाइकिल और कार टायरों के निशान मिले हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल सकेगी कि यह हत्या है या फिर दोनों युवकों ने ही एक दूसरे को गोली मारी है। मृतकों के बारे में पुलिस पूछताछ कर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटेट सेंटर : शहरीकरण पर चर्चा, गुलमोहर हॉल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

संगीत और नृत्य

इंडिया हेबीटेट सेंटर : कथक नृत्य, द स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत कार्यक्रम, सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, 40 मैक्समूलर मार्ग, दोपहर साढ़े तीन बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : समित दास की पेंटिंग्स और फोटो प्रदर्शनी, सेंटर एनेक्स आर्ट गैलरी, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह ग्यारह बजे।

चिन्मयानंद मामले में यूपी सरकार ने किया एसआइटी का गठन

लखनऊ, 3 सितंबर (भाषा)।

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में आरोपों की जांच एवं दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन कर दिया।

गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के सुखदेवा नंद विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत विधि छात्रा एवं उसके भाई द्वारा प्रबंधन तंत्र पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए उनकी जांच और निष्पक्ष विवेचना के लिए एसआइटी का गठन कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि एसआइटी गठित करने तथा छात्रा व उसके भाई की पढ़ाई किसी अन्य कालेज से कराए जाने तथा छात्रा व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (लोक शिकायत) नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में एसआइटी के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसमें सेनानायक, 41वीं वाहिनी, पीएसी, गाजियाबाद श्रीमती भारती सिंह को भी नामित किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नवीन अरोड़ा इस दल में स्वच्छ छवि के अन्य पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करेंगे।

यह एसआइटी शाहजहांपुर प्रकरण में लगाए गए आरोपों की जांच एवं दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा आयुक्त, बरेली मंडल व कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली को पीड़ित विधि छात्रा व उसके भाई का प्रवेश महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली अथवा उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में कराने के संबंध में भी तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

चिन्मयानंद के हरिद्वार आश्रम से खाली लौटी पुलिस

शाहजहांपुर (उप्र), 3 सितंबर (भाषा)।

स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ करने गई पुलिस टीम उनके हरिद्वार आश्रम से वापस लौट आई है क्योंकि टीम को चिन्मयानंद वहां नहीं मिले।

पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के क्रम में एक टीम उनसे पूछताछ के लिए उनके हरिद्वार आश्रम भेजी गई थी। वहां वे नहीं मिले। टीम सोमवार को वापस लौट आई। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजन दिल्ली में हैं, परंतु उनके घर पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा पुलिस बराबर पूरे मामले की निगरानी कर रही है और लड़की के पिता या परिवार को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता प्रतीत होगी तो वह उपलब्ध कराई जाएगी।

गलत जानकारी देने के मामले में अमित जोगी गिरफ्तार

बिलासपुर, 3 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की पुलिस ने चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे एवं पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

शासकीय अधिवक्ता संजीव राय ने मंगलवार को यहां बताया कि आज सुबह अमित जोगी को गिरफ्तार करने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

राय ने बताया कि अदालत में जोगी (जो अधिवक्ता भी हैं) ने अपनी जमानत के लिए पैरवी की जिसका विरोध किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने (राय ने) अदालत से कहा कि मामला गंभीर श्रेणी का है, इसलिए जोगी को जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जोगी की जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे एवं पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया था।

बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने आज शहर के मरवाही सदन से अमित जोगी को गिरफ्तार किया था।

अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा

वेंकैया नायडू, अमित शाह सहित अन्य ने दिवंगत नेता को किया याद

नई दिल्ली, 3 सितंबर (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक नेताओं एवं प्रबुद्ध लोग शामिल हुए।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि निस्वार्थ और समर्पित जनसेवा से, अरुण जेटली भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए, जो लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसमें जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें विभिन्न दलों के नेता मौजूद थे जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जदयू नेता केसी त्यागी, अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल, बीजद के पिनाकी मिश्रा आदि शामिल हैं।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, 'नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा में अरुण जेटली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।' वहीं, नायडू ने कहा कि उनके ज्ञान का व्यापक विस्तार और महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण उन्हें विलक्षण राजनेता बनाता था।

उत्तर प्रदेश में महंगी होगी बिजली, अधिसूचना जल्द

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई बिजली दरें सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आठ फीसद से 12 फीसद तक दाम बढ़ाए हैं। जबकि उद्योगों के लिए बिजली के दाम में पांच से 10 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है और इसे जनविरोधी फैसला बताया है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व में कमी को पूरा करने के मकसद से मंगलवार को बिजली की दरें 11.69 फीसद तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आयोग ने नियामक अधिभार (राज्य की वितरण कंपनियों के लिए 4.28 फीसद) समाप्त कर दिया है। इस हिसाब से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में औसत 7.41 फीसद की बढ़ोतरी होगी।

बाबरी मस्जिद मामले में वादी इकबाल अंसारी पर हमला

अयोध्या, 3 सितंबर (भाषा)।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में मुख्य वादियों में शामिल इकबाल अंसारी पर मंगलवार को कथित रूप से हमला किया गया। अंसारी ने दावा किया कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने मामला वापस नहीं लिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हमलावरों से बचाया। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में ले लिया है।

अंसारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर एक व्यक्ति व एक महिला उनके आवास पर आए। महिला ने वर्तिका सिंह के तौर पर खुद का परिचय दिया और दावा किया कि वह अंतरराष्ट्रीय शूटर है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं विवाद में से अपना दावा वापस ले लूं और ऐसा नहीं करने पर उसने धमकी दी कि वह मुझे गोली मार देगी। अंसारी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरे सुरक्षाकर्मी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले में चोट नहीं आई है। फैजाबाद के पुलिस अधीक्षक (नगर) विजय पाल सिंह ने कहा कि हमने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुसलिम पक्षकारों की तरफ से मुकदमा लड़ने पर वरिष्ठ वकील राजीव धवन को कथित रूप से धमकाने पर दो व्यक्तियों से जवाब तलब किया है।

झूठी शान के लिए बहन की गला काट कर हत्या, भाई गिरफ्तार

बहराइच, 3 सितंबर (भाषा/जनसत्ता)।

जिले में शादीशुदा रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग से नाराज एक व्यक्ति ने अपनी सगी बहन की गला काट कर हत्या कर दी और उसके कटे सिर को पेट्रोल डाल कर जला दिया। पुलिस ने ढाई माह पूर्व भारत-नेपाल के सीमावर्ती रूपईडीहा क्षेत्र में परिवार की झूठी शान के लिए हत्या के इस मामले का खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को बताया कि जून में रूपईडीहा थाना क्षेत्र स्थित बाबागंज के निर्माणाधीन मकान में एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त के लिए शव के फोटो आसपास के गांवों में बंटवाए गए। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। इसी बीच, मामले की छानबीन के दौरान सोमवार को सर्विलांस की मदद से शक होने पर पुलिस ने जमशेद नामक युवक को पकड़ कर पूछताछ की तो वह मृतका का सगा भाई निकला। पूछताछ के दौरान उसने झूठी शान की खातिर की हत्या का गुनाह कुबूल कर लिया।

SOUTH INDIAN Bank

[नियम 8 (1)]

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत द साउथ इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.2.2019 अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक/गारन्टर 1) श्री उन्नीकृष्णन के, पुत्र स्व. केएम रमण नैयर, निवासीः आरजेड-1-37, महावीर एन्क्लेव, पालम गाँव, दिल्ली-110045 2) श्रीमती विजय लक्ष्मी वी, पत्नी उन्नीकृष्णन के, निवासीः आरजेड-1-37, महावीर एन्क्लेव, पालम गाँव, दिल्ली-110045, 3) श्री उमेश कुमार, पुत्र उन्नीकृष्णन के, निवासीः आरजेड-1-37, महावीर एन्क्लेव, पालम गाँव, दिल्ली-110045 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 12,40,558.00 (रुपए बारह लाख चालिस हजार पांच सौ अन्ठावन मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं लागतों को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 13,60,162.00 (रुपये तेरह लाख साठ हजार एक सौ बासठ मात्र) 28.8.2019 को तथा उस पर ब्याज तथा लागतों के लिये द साउथ इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्री उन्नीकृष्णन के तथा श्रीमती विजया लक्ष्मी वके संयुक्त नाम में उसके नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक शेयर के साथ फ्लैट नं.: एफएस-1, 2रा तल, सम्पत्ति सं. 1-37, महावीर एन्क्लेव, पालम गाँव, नई दिल्ली-110045 में जिसका विशेष रूप से विवरण एसआरओ, नई दिल्ली के बिक्री प्रलेख सं. 8768 तिथि 23.10.2009 के अंतर्गत वर्णित है तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति की चौहद्दी है: उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड।

तिथिः 29.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली द साउथ इंडियन बैंक लि.

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED
CIN:L74899DL1968PLC004962
Regd. Off.: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Tel.: 011-40552341 Email: secl@salora.com Website:www.salora.com

NOTICE OF THE 50TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 50th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2019 at 11.00 A.M. at India Islamic Cultural Centre, 87-88, Lodhi Road, Lodhi Gardens, Lodi Estate, New Delhi – 110 003 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Electronic copy of Notice of 50th AGM and Annual Report of the Financial Year 2018-19 have been sent to all those Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (Skyline)/ Depository Participant(s). Physical copy of Notice of 50th AGM and Annual Report of the Financial Year 2018-19 have also been sent to all other Shareholders at their registered address through permitted mode. Notice of 50th AGM and Annual Report for Financial Year 2018-19 are also available on the Company's website www.salora.com

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close during the period from 22nd September, 2019 to 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 50th AGM of the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing to its Members e-voting facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder –

1.	Date of completion of Dispatch of AGM Notice and Balance Sheet	03.09.2019
2.	Record Date/Cut-off date for providing E-Voting Facility to shareholders	21.09.2019
3.	Date and time of commencement of voting through electronic means	25.09.2019 9:00 AM
4.	Date and time of end of voting through electronic means	27.09.2019 5:00 PM
5.	Voting through electronic means shall not be allowed beyond	5:00 PM on Friday, 27.09.2019
6.	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the e-voting	Mr. Virender Rana Manager-e-Voting Email: virenr@skylinerta.com Tel. No.:011-26812682

For e-voting instructions, Shareholders may go through the instructions sent with the Notice of 50th AGM and in case of any queries / grievances connected with e-voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Shareholders available at the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

For Salora International Ltd.
Sd/-
((Silky Gupta)
Company Secretary &
Compliance Officer

Place: New Delhi
Date : 03.09.2019

MMTC

कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत
फोन नं.: +91-11-24362200, 24361889 फैक्स नं.: 24360724
ईमेल: ganarayanan@mmtclimited.com
वेबसाइट: www.mmtclimited.com, CIN No.: L51909DL1963GOI004033

विषय: आपके (शेयरधारकों) द्वारा कंपनी में धारित ईक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य सूचना

[illegible]

1.	Date of completion of Dispatch of AGM Notice and Balance Sheet	03.09.2019
2.	Record Date/Cut-off date for providing E-Voting Facility to shareholders	21.09.2019
3.	Date and time of commencement of voting through electronic means	25.09.2019 9:00 AM
4.	Date and time of end of voting through electronic means	27.09.2019 5:00 PM
5.	Voting through electronic means shall not be allowed beyond	5:00 PM on Friday, 27.09.2019
6.	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the e-voting	Mr. Virender Rana Manager-e-Voting Email: virenr@skylinerta.com Tel. No.:011-26812682

[illegible]

तिथि: 29.8.2019
स्थान: दिल्ली

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आरसी सं. 343/2017 दिनांकित : 16-08-2019

कर्नाटका बैंक बनाम मेसर्स दीपांशु हिमांशु इंटरप्राइजेज

मेरे आदेश दिनांकित 16-08-2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति दिनांक 28-09-2019 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी –

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' होगी

नीलामी की तिथि एवं समय : 28-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे और मध्या. 12.00 बजे के बीच (मध्या. 12.00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तारों सहित, यदि अपेक्षित है)

[redacted]

(i) संपत्ति विवरण सं. 1 भूमि माप 220 वर्ग गज और कवर्ड क्षेत्र 1340 वर्ग फुट जो खसरा नंबर 46/17 में स्थित, गांव समयपुर, अलाउद्दीन जिले समयपुर एक्सटेंशन, दिल्ली के नाम से जाना जाता है।
(ii) सुरक्षित मूल्य : रु. 79,20,000/- (रुपए उन्यासी लाख बीस हजार मात्र)
(iii) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) : रु. 7,92,000/- (रुपए सात लाख बानवे हजार मात्र)

निबंध और शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' होगी।
2. ईएमडी 'वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर/सी सं. 343/2017' के पक्ष में निम्नवर्णित ब्लाइट/पे आर्डर के माध्यम से अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा निम्नलिखित खाता – कर्नाटका बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, 8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली, खाता संख्या: 1443500200003701, आईएफएससी कोड : KARB0000544 में जमा करनी होगी। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा ईएमडी के बराबर एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भुगतान का मूल प्रमाण पहचान पत्र (निर्वाचन आयोग/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें आप संपत्ति/भवनपत्र के लिए पात्र होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 28-09-2019 सायं 5.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी की अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण सत्यापित विवरण पर "आरसी सं. 343/2017" तथा प्रेषक का विवरण अर्थात नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर इत्यादि दीर्घांकित किया जाना चाहिए।
4. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाताओं को सूचना दी जाती है कि वे अपनी बोली पेश करने से पहले ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net अथवा सहायक बैंक के तथा/अथवा श्री अरुणाचला पी., चीफ मैनेजर, मो. नं. 09100016680, फोन नं. 011-25513466 ईमेल delhiarm@ktkbank.com से सम्पर्क करें।
6. परिभाषित बोलीदाताओं से मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., ए-201 /208, गाला स्ट्रीट II, ओरियंट क्लब एलिस ब्रिज के सामने, अहमदाबाद-380006, फोन नं. 079-40230808/ 807/ 831/ 832/ 833/ 813-820, ई-मेल – support@auctiontiger.net, सम्पर्क व्यक्ति – श्री कुशल कोठारी, सम्पर्क नं. 9978591888 / 8980600773 ई-मेल kushal@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, सम्पर्क नं. 7982880393 ई-मेल delhi@auctiontiger.net और सहायक नं. हेल्पलाइन नं. 079-40230833/41072508 के पोर्टल पर रूपए की प्रोसेसिंग फीस तथा यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्ति आदेश के बाद किया जाना अपेक्षित है, जो उपलब्ध ई-नीलामी में बोलीदान के लिए अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. ए-201 /208, गाला स्ट्रीट II, ओरियंट क्लब एलिस ब्रिज के सामने, अहमदाबाद-380006, फोन नं. 079-40230808/ 807/ 831/ 832/ 833/ 813-820, ई-मेल – support@auctiontiger.net, सम्पर्क व्यक्ति – श्री कुशल कोठारी, सम्पर्क नं. 9978591888 / 8980600773 ई-मेल kushal@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, सम्पर्क नं. 7982880393 ई-मेल delhi@auctiontiger.net और सहायक नं. हेल्पलाइन नं. 079-40230833/41072508 से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल वे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र होंगे जो वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड और डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान पुष्टि के पात्र हैं।
9. इच्छुक बोलीदाता को 26-09-2019 को शाम 5:30 बजे से पहले तक अपनी बोलियां दे चुके हैं तथा जो सूचित मूल्य से कम नहीं है ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र होंगे जो 28-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे और मध्या. 12.00 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। नीलामी समाप्त होने के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने पर नीलामी समाप्त होने का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
10. बोलीदाता सफलता सुनिश्चित हेतु अपनी बोली रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) तक बढ़ाएंगे।
11. सफल बोलीदाता अपनी ईएमडी ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल पश्चात नीचे वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएम बैंक नाम : कर्नाटका बैंक के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
12. सफल/सफलता बोलीदाता को बिक्री/बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का विमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तत्काल प्रभाव राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद, वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 343/2017 के पक्ष में ई-नीलामी समाप्त होने के बाद 24 घंटे के भीतर प्राप्त करना होगा तथा वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय द्वारा प्रदान भेजना होगा कि ई-नीलामी समाप्त होने के बाद 3 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
13. क्रेता को बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 343/2017 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से, वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि से 15वें दिन अथवा पूर्व, उस तिथि को छोड़कर, और 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्य दिवस को रजिस्टर, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2 प्रतिशत निर्णय शुल्क तथा रु. 1000/- से ऊपर सफल राशि पर 1 प्रतिशत निर्णय शुल्क के साथ जमा करनी होगी। (शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जमा करने की तिथि से वह वसूली अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री को नई उद्घोषणा के बाद, सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी। चूककर्ता क्रेता द्वारा जमा की गई राशि, बिक्री खर्चे काटकर, यदि अधिकारियों द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकारी खाते में जमा कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति या उसके किसी अंश की अनुसूची बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे जब्त माने जाएंगे।
14. अधिकारियों के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य नहीं माना जाता है, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी प्रारम्भित करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम माना होगा।

संपत्ति का विवरण

लाट सं.	बिक्री के तहत सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति का ज्ञात बिक्री भार का स्थिरीकरण राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी अंतरभार का विवरण	सम्पत्ति के बारे में किए गए कोई दावा तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
(i)	संपत्ति विवरण सं. 1 भूमि माप 220 वर्ग गज और कवर्ड क्षेत्र 1340 वर्ग फुट जो खसरा नंबर 46/17 में स्थित, गांव समयपुर, अलाउद्दीन जिले समयपुर एक्सटेंशन, दिल्ली के नाम से जाना जाता है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(शिव कुमार)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली

RELIGARE

रेलिगेअर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोनः + 91-11-46272400, फैक्स नं. + 91-11-46272447,
वेबसाईटःwww.religare.com ई-मेलः investorservices@religare.com

35वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलिगेअर एंटरप्राईजेज लिमिटेड (''कंपनी'') की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (यहां के बाद ''एजीएम'' के रूप में वर्णित) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 4.00 बजे अप. में श्री सत्य साई इन्टरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त एजीएम की सूचना तिथि 08 अगस्त, 2019 में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। एजीएम की सूचना प्रेषण की पूर्णता तिथि 01 सितम्बर, 2019 है।

एतद्द्वारा सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.religare.com तथा साथ ही एजंसी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो, वे उसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा श्रीमती रीना जायरा कंपनी के कंपनी सचिव को लिखित अनुरोध भेजकर उसकी एक प्रति मांग सकते हैं। उक्त एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित वांछित दस्तावेज एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एवं एजीएम स्थल पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन, 44 एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (''आईसीएसआई'') द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानक-2 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कंपनी 'https://evoting.karvy.com' के माध्यम से कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक मद पर एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। लेकिन, रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

i. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार, 25 सितंबर, 2019 (5.00 बजे सायं आईएसटी) में बंद होगी।
ii. बुधवार, 25 सितंबर, 2019 (5.00 बजे सायं आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iii. मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 (''कट-ऑफ तिथि'') होगी। रु. 10/- (रुपए दस) प्रति की सम मूल्य के 0.01% 2,50,00,000/- गैर-संचयी गैर-रूपांतरणीय विमोचनीय प्रेफरेंस शेयरों (''प्रेफरेंस शेयरों'' पर पिछले दो वर्षों से कम्पनी द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं करने के कारण कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का उपरोक्त प्रेफरेंस शेयर्स धारित करने वाले शेयरधारक भी उनके द्वारा धारित प्रेफरेंस शेयरों के अनुपात में सूचना में वर्णित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
iv. एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे एजीए

जनसत्ता

4 सितंबर, 2019

पाक को झटका

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मंच हो, जहां कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को मुंह की न खानी पड़ी हो। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के भारत सरकार के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान पिछले एक महीने में संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका सहित कई देशों की शरण में जा चुका है और कश्मीर मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिशें करता रहा है। मगर उसे सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। हाल में मालदीव जैसे छोटे-से देश में भी पाकिस्तान को ऐसा ही झटका लगा। मालदीव में दक्षिण एशियाई देशों के स्पीकरों के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का मसला उठाया, लेकिन उसे कोई तवज्जो नहीं मिली, बल्कि सम्मेलन के बाद जारी माले घोषणापत्र में भी कश्मीर पर पाकिस्तान के सारे दावों को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ी कूटनीतिक हार है। यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर मसले पर अब दुनिया के राष्ट्र भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं।

पहली बात तो यह कि माले के शिखर सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने का कोई औचित्य ही नहीं था। यह सम्मेलन दक्षिण एशियाई देशों की संसद के सदनों के अध्यक्षों का था और इसका मूल विषय सतत विकास था। लेकिन पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहां भी बाज नहीं आए और विकास के मूल विषय से हटते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर भारत ने कड़ा प्रतिकार किया और संबंधित देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति की। सदस्यों का कहना था कि इस मंच से कश्मीर का मसला इस मंच से नहीं उठाया जा सकता। मालदीव की संसद के अध्यक्ष ने तो साफ कहा कि इस फोरम पर किसी देश के अंदरूनी मामले को नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच जो संवाद हुआ है उसे कार्यवाही से निकाल दिया गया और इसी वजह से घोषणापत्र में भी कश्मीर मसले पर कुछ नहीं कहा गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही कूटनीतिक नाकामी से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है। कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार पाकिस्तान सरकार की रणनीति का हिस्सा अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दुनिया के तमाम मुल्कों में जा-जाकर उनके राष्ट्र प्रमुखों से मिलेंगे और बताएंगे कि कश्मीर में भारत क्या कर रहा है। इसी रणनीति के तहत पिछले एक महीने में पाकिस्तान ने इस्लामी देशों सहित कई देशों से कश्मीर पर समर्थन मांगा। लेकिन उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा। यहां तक कि इस्लामी देशों के संगठन तक से कोई भरोसा या मदद के संकेत नहीं मिले। किसी देश ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत के फैसले को गलत नहीं बताया बल्कि साफ कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। सवाल है कि ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे। शाह महमूद कुरैशी तो पाक अधिकृत कश्मीर में एक जनसभा में इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों का समर्थन मिलना आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस सच्चाई से मुंह मोड़ रही है और अपनी अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है।

शहर में बुजुर्ग

दक्षिणी दिल्ली की एक संभ्रांत कॉलोनी में रह रहे एक इक्यानबे वर्षीय बुजुर्ग की जिस तरह उनके नौकर ने गला दबा कर हत्या कर दी और फिर लाश को फ्रिज में डाल कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया, वह न सिर्फ राजधानी में बढ़ते अपराध, बल्कि शहरों में रह रहे बुजुर्गों की असुरक्षा को भी रेखांकित करता है। यह बुजुर्ग दंपति ग्रेटर कैलाश के एक मकान में किराए पर रह रहा था। उनके घरेलू सहायक ने दोनों को रात के भोजन में कोई नशीली दवा दे दी और बेहोश होने के बाद पति की गला दबा कर हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपति का एक बेटा आस्ट्रेलिया में रहता है, जबकि दूसरा बेटा इसी शहर में अपना कारोबार करता और माता-पिता से अलग रहता है। महानगरों में यह विडंबना नई नहीं है कि बहुत सारे बुजुर्ग अपनी संतानों की उपेक्षा का शिकार हैं। इस वजह से कई लोग वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं, तो कई घरेलू सहायकों के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जिन बच्चों को मां-बाप पढ़ा-लिखा कर योग्य बनाते हैं, वही बुढ़ापे में उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं, संवेदना का इस तरह कुंद होते जाना बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे ही उपेक्षित लोगों में से कुछ अपने लोभी सहायकों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं।

दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल पुराना है। इस तरह वृद्धों की हत्या के अनेक उदाहरण हैं। कई मामलों में उनके रिश्तेदार ही संपत्ति आदि हड़पने की मंशा से उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार लूट की वारदात भी हो चुकी है। घरेलू सहायक भी घर का सामान लूटने के मकसद से अपने दोस्तों के साथ मिल कर ऐसा कर देते हैं। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने संभ्रांत इलाकों में अलग से गश्त शुरू की थी। पड़ोसी निगरानी योजना चलाई थी। अकेले रह रहे बुजुर्गों के घरों में आपात घंटी की व्यवस्था की गई थी, जिसे बुजुर्ग दबाएं तो सीधे थाने में सूचना पहुंचे। अब तो जगह-जगह कैमरे यानी सीसीटीवी लगाए गए हैं। मोबाइल फोनों में ऐसे ऐप्प हैं, जिनके इस्तेमाल से महिलाएं और बुजुर्ग आपातकाल में सीधे पुलिस थाने को सूचना भेज सकते हैं। घरेलू सहायकों की पहचान दर्ज कराने का नियम भी है। फिर भी बुजुर्गों की सुरक्षा की कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं कराई जा सकी है। ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई ताजा वारदात इसका एक उदाहरण है।

महानगरों में युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पुलिस और समाज के लिए चिंता का विषय है। इसकी कुछ वजहें साफ हैं। संचार माध्यमों पर अपराध की घटनाओं को कुछ अधिक जगह मिलने लगी है, फिर सोशल मीडिया के आने से आपराधिक घटनाओं के नाट्य रूपांतरण खूब उपलब्ध होने लगे हैं। महानगरों में सुख-सुविधा वाली और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने की ख्वाहिश युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ी है। वे आसानी से धन अर्जित करने की तरकीबें सोचते रहते हैं। ऐसे में वे लूटपाट और हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। आसानी से धन अर्जित करने की योजनाएं बनाने में संचार माध्यमों पर उपलब्ध आपराधिक घटनाओं के नाटकीय रूपांतर उनकी मदद करते हैं। बुजुर्ग चूंकि अक्सर अशक्त होते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना बहुत आसान होता है। ग्रेटर कैलाश के घरेलू सहायक की भी आसानी से धन अर्जित करने की लालसा को इन्हीं नाट्य रूपांतरों और आपराधिक घटनाओं की प्रस्तुतियों ने पंख दिए होंगे। महानगरों में बुजुर्गों की हिफाजत पर अभी और गंभीरता से सोचने की दरकार है।

कल्पमेधा

जातियां व्यक्तियों से बनती हैं लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवल संस्थाओं द्वारा होता है।

-डिजराइली

एनआरसी से निकलते सवाल

संजीव पांडेय

एनआरसी की अंतिम सूची आ गई है। कानूनी दावपेंच और राजनीति अब शुरू होगी। एनआरसी को अंतिम रूप दिए जाने की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इस सूची में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगे हैं। जिन 19.06 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, उनमें से लाखों लोगों के पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन उन्हें एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सवाल असम सरकार के महत्त्वपूर्ण लोगों ने ही उठाया है।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी हो गई है। इसके साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अंतिम सूची से उन्नीस लाख लोग बाहर हो गए हैं। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। पिछले साल जारी सूची में चालीस लाख लोगों को बाहर किया गया था। इसमें से बाहर किए लोगों ने अपना पक्ष रखा, इसके बाद अब अंतिम सूची आ गई। अंतिम सूची में इक्कीस लाख लोग और जुड़ गए और उन्नीस लाख लोग बाहर रह गए। बाहर हुए लोगों को अपने भारतीय नागरिकता संबंधी दावे के लिए विदेशी पंचाट में अपील करनी होगी। एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के पास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार होगा।

एक अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में नहीं है, उनका क्या किया जाएगा। क्या उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा? क्या वर्तमान परिस्थितियां भारत को यह अनुमति देती हैं कि जो लोग विदेशी घोषित हो चुके हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए? दक्षिण एशिया में भारत की कुछ मजबूरियां हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने साफ कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर से निकाले गए लोगों का मामला भारत का आंतरिक मामला है। इसका बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। जयशंकर ने यह बात बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बैठक के बाद कही थी। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री भारत आए थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। लेकिन उस दौरान दोनों तरफ से कोई साझा बयान नहीं आया था। तब यह अंदेशा जताया गया था कि दोनों मुल्कों के बीच महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ विवाद है, जिसमें भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों का मसला भी शामिल है। हालांकि पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश के दौरे पर गए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने बांग्लादेश सरकार को साफ कहा था कि बांग्लादेश निश्चिंत रहे, एनआरसी से निकाले गए लोगों को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। बांग्लादेश खुद इस समय रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में वह भारत से वापस भेजे गए लोगों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। फिर, भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक अवैध नागरिकों को वापस भेजने को लेकर कोई संधि भी नहीं है।

पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से खराब संबंध झेल रहा भारत बांग्लादेश को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। इसके आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक कारण हैं। भारत ने हाल में अनुच्छेद 370 हटा कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर मसले का अंतराष्ट्रीयकरण करने में लगा है। इस स्थिति में भारत को मुसलिम बहुल देश बांग्लादेश का समर्थन हासिल करना जरूरी है। बांग्लादेश इस समय एक उभरती आर्थिक शक्ति है। उसकी जीडीपी विकास दर आठ प्रतिशत है। बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी भी 1888 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत से थोड़ा ही कम है। कई और कारणों से भी बांग्लादेश भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश में उर्जा, सड़क, दूरसंचार, रेल आदि क्षेत्र में विकास की काफी संभावना है और वहां भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। यही नहीं, दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत को चीन का भी डर है। बांग्लादेश से संबंध खराब होने की स्थिति में वह चीन के नजदीक जा सकता है। चीन ने 'बेल्ट एंड रोड' पहल के तहत 2016 में चीन-बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा दी है। इसके तहत चीन ने बांग्लादेश में अड़तीस अरब डालर के निवेश की योजना बनाई है। आज बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में काफी आगे निकल चुका है। यह दुनिया का दूसरा बड़ा रेडीमेड कपड़े का निर्यातक बन गया है। ऐसे में भारत बांग्लादेश की उभरती हुई अर्थव्यस्था को नजर अंदाज नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में भारत किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर से निकाले गए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने की जिद नहीं करेगा।

भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या पर हमेशा राजनीति होती रही है। 2003 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने भारत में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या दस लाख के करीब बताई थी। लेकिन नवंबर 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने इनकी संख्या दो करोड़ बताई थी। अब अगर एनआरसी के आंकड़ों को देखें तो असम में उन्नीस लाख अवैध नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। आंकड़ों में ये भिन्नता साफ करती है कि भारत सरकार के पास कोई सही आंकड़ा भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर नहीं है। हालांकि अब समय बदला है। बांग्लादेश की अच्छी होती आर्थिक स्थिति ने बांग्लादेशियों को बेहतर रोजी-रोटी का विकल्प बांग्लादेश से ही मुहैया करवा दिया है। इससे भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ की संख्या कम हुई है।

एनआरसी की अंतिम सूची आ गई है। कानूनी दावपेंच और राजनीति अब शुरू होगी। एनआरसी को अंतिम रूप दिए जाने की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इस सूची में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगे हैं। जिन 19.06 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, उनमें से लाखों लोगों के पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन उन्हें एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सवाल असम सरकार के महत्त्वपूर्ण लोगों ने ही उठाया है। अंतिम सूची को चुनौती देने की तैयारी हो गई है, क्योंकि चार से पांच लाख लोगों को भारतीय नागरिक साबित करने वाले जरूरी दस्तावेजों को एनआरसी ने रिकार्ड में नहीं लिया। इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। चूंकि उस समय बांग्लादेश बना नहीं था और धार्मिक आधार पर पूर्वी पाकिस्तान मे हिंदुओं के साथ काफी भेदभाव था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग भाग कर भारत में आ गए थे। लाखों आवेदकों के पास उस समय जारी किया गया शरणार्थी प्रमाणपत्र मौजूद है। ये प्रमाणपत्र जमा भी करवाए गए, लेकिन उन्हें संज्ञान मे नहीं लिया गया। अब ये लोग विदेशी न्यायाधिकरण में जाने की तैयारी में हैं।

दरअसल, एनआरसी मसुलिम विरोधी नहीं बल्कि बांग्ला विरोधी है। बेशक इसे धार्मिक रंग देकर राजनीति होती रही है, लेकिन अभी निकाले गए उन्नीस लाख लोगों में हिंदुओं की संख्या काफी है। दरअसल, एनआरसी की अंतिम सूची से कोई पक्ष खुश नहीं है। जो विदेशी घुसपैठियों को निकाले जाने की लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, वे नाराज हैं। क्योंकि एनआरसी से निकाले जाने वालों की संख्या उनकी उम्मीद से काफी कम है। जबकि निकाले गए पक्ष का कहना है कि आवेदन के बाद जांच की पूरी प्रक्रिया ही खामियों भरी है। उन लाखों लोगों का नाम एनआरसी से निकाल दिया गया जिनके पास भारत की नागरिकता साबित करने के दस्तावेज मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय में एनआरसी के मूल आवेदक असम पब्लिक वर्कस ने उन्नीस लाख लोगों को एनआरसी से निकाले जाने को मजाक करार दिया है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का तर्क है कि एनआरसी से निकाले जाने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। वहीं, ऑल असम माइनोरिटी स्टूडेंट यूनियन बहुत सारे भारतीय नागरिकों को विदेशी घोषित करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल है कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं, यह एनआरसी से कैसे तय हो पाएगा?

सौंदर्यीकरण और रोटी

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

दुनिया मेरे आगे

पिछले दिनों हमारे शहर का रंगोरूप अचानक निखर गया। बरसात की फुहारों का जादू मात्र होता तो सिर्फ सड़कें धुली-धुली लग रही होतीं। पर असल में जादू शहर के प्राधिकरण का है जिसकी बदौलत सड़कें पहले से दोगुनी चौड़ी लग रही हैं। जिन फुटपाथों पर कल तक फल-सब्जियों की रेहड़ियों और पान-बीड़ी-गुटके की गुमटियों की भरमार से पैदल चलना दूभर था, आज वे खाली थीं। फुटपाथ वाली साग-सब्जी की दुकानों द्वारा बिखराया कचरा और प्लास्टिक थैलियां अचानक अंतर्ध्यान हो गई हैं। किसने घुमा दी यह जादू की छड़ी? किसने शहर के छोटे-छोटे पटरी वाले दुकानदारों को अचानक जिम्मेदार नागरिक बना दिया! जरूर वे अब प्राधिकरण द्वारा निर्मित अधिकृत दुकानों में चले गए होंगे। अपनी वातानुकूलित कार की पिछली सीट पर बैठ कर मैं अखबार में खोया ही रह जाता यदि सड़कों पर बिखरा हुआ सूनापन मुझे पहले बहुत सुंदर, फिर कुछ अजीब और अंत में भयावह न लगने लगा होता।

अचानक इन सूनी सड़कों के बाद लेबर-चौक चौराहा आ गया। रियल एस्टेट सेक्टर का गुब्बारा फूटने के बाद से दिहाड़ी मजदूरों की जमात इस चौराहे पर दिखने लगी थी। उस गुब्बारे के फूटने की आवाज अब उन लाखों लोगों की उच्छवास में डूब चुकी है जो नीले आसमान के नीचे एक छत की कामना में जीवन भर की कमाई गंवा कर बैंकों के कर्जदार बन गए हैं। लाखों अधबने गगनचुंबी रिहायशी अपार्टमेंटों में पसरा सन्नाटा अब लेबर चौक में जमा भारी भीड़ के बीच गूंज रहा था।

अचानक मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह दो साल पहले स्थानीय गोल्फ क्लब में मेरा कैडी था। एक दिन उसने बड़े उत्साह से बताया था कि उसे मानेसर में एक कार बनाने वाले कारखाने में नौकरी मिल गई। बिना कोई कौशल अर्जित किए दसवीं तक की पढ़ाई का नतीजा थी यह अकुशल श्रमिक की नौकरी। फिर भी वह बहुत उत्साहित था। आज उसे इस लेबर चौक पर देख कर आश्चर्य हुआ। पूछने पर उसने अपनी कहानी बयां कर दी। छह महीने पहले कारखाने ने मंदी की चपेट में आकर छंटनी कर दी थी। लेकिन नोएडा के एक पुराने साथी ने उसे एक एक्सपोर्ट यूनिट में काम दिला दिया था। जल्दी ही वह यूनिट भी मंदी की चपेट में आ गई। बेकारी के दिनों में ही सारी बचत गांव भेजनी पड़ गई थी जहां पिता बारिश में ध्वस्त घर की मरम्मत के लिए सहायता की गुहार लगाए हुए थे।

पिछले दिनों अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों ने सभी का ध्यान जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्रित कर रखा था। देश की आजादी का अखंडता से नाता जुड़ते देख कर सबके मन में देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी। इस जोशोखरोश के बीच देश की डावांडोल आर्थिक स्थिति से केवल वे रूबरू हो पा रहे थे जिनके ऊपर मंदी का कहर सबसे पहले बरपा हुआ था। मेरे जैसों के लिए तो महंगी गाड़ियों का घर से निकलते ही भयंकर जाम में फंस जाना देश की जबर्दस्त तरक्की का जीता जागता प्रमाण था। धीरे-धीरे आर्थिक मंदी का भी जिक्र होने लगा जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। यह जरूर सोचा था कि पार्किंग की तंगी और जाम से निपटने के लिए निजी कार की अपेक्षा ओला-ऊबर जैसी टैक्सी सेवाएं अधिक सुविधाजनक होंगी। तब कहां सोचा था कि कुछ महीनों के अंदर ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र के साढ़े तीन लाख कामगारों पर सेवा समाप्ति की गाज गिरेगी और इस सुनामी को रोका न गया तो दस लाख से भी अधिक नौकरियां दम तोड़ देंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ-साथ बड़े कारखानों को कल-पुर्जे, स्टील और पेंट आदि माल मुहैया कराने वाले छोटे से लेकर भारी उद्योग भी मंदी की चपेट में आएंगे।

देश की भारी भरकम समस्याओं से ध्यान हटा कर मैंने उससे पूछा 'तो अब? क्या दिहाड़ी मजदूरी के अलावा और कोई उपाय नहीं?' वह कातर होकर बोला-'था न साहेब। कर्ज लेकर एक फलों की रेहड़ी लगाई थी। पिछले हफ्ते कमेटी वाले उसे जब्त करके ले गए।'

मैं स्तब्ध हूं। आर्थिक मंदी से लड़ते उद्योगों को सरकार शायद रिजर्व बैंक से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ की थैली पाने के बाद राहत दे सकेगी। लेकिन हमारे प्राधिकरण ने जिन सात सौ दुकानों को बनवाने की घोषणा की और उन्हें आबंटित करने के पहले ही उससे सौ गुना से भी अधिक बेसहारा गरीबों को फुटपाथों से हटा दिया, उन तक यह राहत कब पहुंचेगी! मेरी धुंधलाती आंखों के सामने अखबार में छपी मोबाइल और चेन आदि झटकने की खबरें और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेकसूर सैन्य बलों पर बम फेंकते आतंकियों की तस्वीरें नाच रही हैं। मैं सोच रहा हूं फुटपाथों और सड़कों की सुंदरता ज्यादा जरूरी थी या इन जैसों के लिए रोटी।

मंदी की मार

देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र संकट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक सुस्ती के चलते जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसद रह गई है। विनिर्माण क्षेत्र की दर आधा फीसद रह गई है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर दो फीसद रह गई है। देश के सार्वजनिक बैंक घाटे में हैं। उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी के कारण कंपनियों का कारोबार ठप हो गया है और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हालात देख कर लगता है कि सरकार इस अप्रत्याशित मंदी से अनभिज्ञ थी, इसलिए इन मुश्किलों से निपटने की को तैयारी नहीं थी। अब आनन-फानन में बड़े फैसले किए जा रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह मंदी अचानक नहीं आई, बल्कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों में किए गए गलत आर्थिक फैसलों के कारण ऐसा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम आम व्यापारियों के लिए मारक साबित हुए। सरकार को चाहिए कि पिछली गलतियों से सबक लेकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योग्य अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की सलाह मानते हुए कदम उटाने चाहिए।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली (नागपुर)*

संकट में जाधव

अंतरराष्ट्रीय अदालत के दबाव में पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने को बाध्य हुआ। तीन साल की प्रतीक्षा के बाद भारत के उपउच्चायुक्त कुलभूषण से मिले। लेकिन जो बातें सामने आई हैं वे चिंताजनक ही हैं। कुलभूषण की बातों से लग रहा है वह पाकिस्तानी दबाव में है और वही बोल रहा है जो पाकिस्तानी अधिकारी चाहते हैं। हालांकि यह तो होना ही था। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की गई। ऐसे में उसे मालूम है कि कुछ देर में भारतीय दूत तो उसके पास से चले जाएंगे। उसके बाद उन्हें तो पाकिस्तानियों की कैद में ही रहना है। कुलभूषण मामले में आइसीजे ने पिछले जुलाई में जो फैसला दिया था उसे पूरा न्याय तो नहीं कहा जा सकता। क्या पाकिस्तान की सैन्य या सिविल अदालतों से जाधव को न्याय मिल सकेगा? जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सजा देने वाला जज यह कह चुका है कि उसने दबाव में आकर सजा सुनाई थी। ऐसे में कुलभूषण का क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। निकट भविष्य में तो कुलभूषण के पाकिस्तान के चुंगल से छूटने के आसार दिखाई नहीं देते।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी (जमशेदपुर)*

भ्रष्टाचार का नतीजा

झारखंड की कोनार नदी पर सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी, जिसे पूरा होने में बयालीस साल का समय लग गए। फिर कोढ़ मे खाज यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा परियोजना का उद्घाटन करने के महज चौदह घंटे के अंदर ही यह परियोजना ढह गई। इससे पैंतीस गांव की फसलें पानी में डूब कर तहस-नहस हो गई। इस घटना से जाहिर होता है कि देश में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कि क्या दशा है? भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का दीमक राष्ट्र को पूरी तरह से जर्जर कर रहा है। जो अधिकारी भी इस परियोजना में शामिल रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान या चीन से आए हुए लोग नहीं हैं, यही के हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी देश का नमक खाने वाले लोग विकास निर्माण में इस प्रकार की सेंध लगाएंगे तो देश की क्या हालत होनी है! सोचा जा सकता है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)*

नागरिकता पर सवाल

देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर फिर सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े और जरूरी काम में इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो सकती है कि ज्यादातर लोगों के नाम ही गायब हैं? यह एक चिंता का विषय है। इसको तो सीधा पैंसे और समय की बर्बादी कहेंगे। जो संस्था एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई उस तक ने आंकड़ों में फेरबदल की शिकायत है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) भी इसके विरोध में बोल रहा है। भाजपा और कांग्रेस भी इससे अछूते नहीं रहे और एनआरसी पर सवाल उठा रहे हैं।

क्या यह असल में देश के नागरिक पर सरासर हमला नहीं है। सवाल उठना वाजिब है लेकिन इतनी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया में ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि एनआरसी में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। इस मसले को लेकर आवाज उठानी होगी ताकि एनआरसी में फिर सुधार किए जाएं और असल नागरिक को उसका अधिकार दिया जाए।

● *आशीष, रामलाल आनंद कालेज, दिल्ली*

'फिट इंडिया' अभियान

दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़ कर कुछ भी नहीं है। शरीर अगर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। इसी कड़ी में सरकार अब आम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए अभियान चला रही है। पहले स्वच्छता, फिर योग और अब 'फिट इंडिया अभियान'। हाल में प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान का उदघाटन करके इसकी शुरुआत की। इस अभियान का असली मकसद प्रत्येक नागरिक को दुरुस्त रखना है। इसके लिए सरकार बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी, शहर हो या गांव हर जगह लोगों को फिट रहने के तरीके बताए जाएंगे। इस अभियान में देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी शामिल किया गया है जिसके तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को पंद्रह दिवसीय फिटनेस प्लान तैयार करना होगा और बाकायदा उसे अपने पोर्टल, वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। भारत की जीडीपी को देखें तो स्वास्थ्य पर देश में सिर्फ इसका एक फीसदी ही खर्च होता है जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर आम जीवन में लोगों का अधिकतर खर्च दवाइयों में हो रहा है। सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत के तहत वातावरण शुद्ध करने की ओर बढ़ रही है तो योग और फिट इंडिया के जरिए लोगों को भी सेहत के लिए सचेत करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देश भी हमसे काफी आगे हैं। निस्संदेह यह अभियान सरकार की अच्छी पहल साबित हो सकता है।

● *देवपाल सिंह राणा, हापुड़।*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

epaper.jansatta.com

पंजाब के कालूवाला गांववालों को बेड़ों का सहारा

कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा, कभी बाढ़ की दहशत और पाकिस्तान से अक्सर ही छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी के सतलुज में मिलने के बाद लाल-काले रंग के इस पानी की वजह से कई जानलेवा बीमारियों से जूझते इस गांव के लोग इन सब दुश्वारियों के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। गांव के लोगों राशन लाने, अपनी फसलों को बिक्री के लिए बाजार पहुंचाने के लिए पूरी तरह बेड़ों पर ही निर्भर हैं। हर साल इस गांव को बाढ़ की मार पड़ती है। घर और फसलें पानी में डूब जाती हैं।

बीमारियों से बचाव के उपायों में लापरवाही

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान में भारी बारिश की वजह से बीमारियों की शुरुआत हो गई है। हर साल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बीमारियों की रोकथाम और बचाव के उपायों पर दो महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। राजधानी जयपुर समेत कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। वहीं अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार से पीडित मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों से बचाव के उपायों के लिए कोई कारगर कार्ययोजना तैयार नहीं की है। सरकारी अस्पतालों में हालात बिगड़ते जा रहे है।

राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियां आधी-अधूरी रहने से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पैदा होने के आसार बन गए है। स्वास्थ्य विभाग के आंकडों पर गौर करें तो बारिश शुरू होने के बाद डेंगू के 700, स्वाइन फ्लू, वायरल और अन्य बुखार के 500 से भी ज्यादा मरीज एक महीने में सामने आए हैं। मलेरिया के 64 मरीजों की पुष्टि जयपुर शहर में हुई है। निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या तो इससे कई गुना ज्यादा है। प्रदेश के सरकारी और निजी चिकित्सा केंद्रों पर वायरल बुखार से पीडितों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा विभाग के पिछले दिनों चले अभियान में ही सामने आया कि प्रदेश में साधारण बुखार से दस लाख लोग बीमार हैं।

राजस्थान

सरकार ने डेंगू, स्वाइन फ्लू और मलेरिया को अधिसूचित बीमारियों की सूची में शामिल किया है। जयपुर शहर और जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों पर एंटी लार्वा छिड़काव कराए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाएं मुहैया करा दी हैं। बीमारियों पर काबू पाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर डॉक्टरों से सचेत रहने और सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में पर्याप्त दवाइयां और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव और पीडित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। विभाग ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में लार्वा रोधी छिड़काव करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
-रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री

स्वास्थ विभाग बीमारियों का मौसम शुरू होने के साथ ही कागजों में कार्ययोजना बना लेता है पर उसे धरातल पर लागू नहीं करा पाता। हालांकि इसके लिए विभाग के पास अतिरिक्त बजट का आवंटन भी हो जाता है लेकिन इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता है।

जयपुर शहर में कई जगहों पर साफ-सफाई और एंटी लार्वा के छिड़काव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर के 90 वार्डों में जल भराव वाले स्थानों पर छिड़काव के लिए 25 फील्ड वर्कर भी चिकित्सा विभाग के पास नहीं है। इतना ही नहीं जयपुर नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में फोगिंग मशीनें तक नहीं है। ऐसे में लोगों को मौसमी बीमारियों से बचा पाना स्वास्थ्य महकमें की तैयारियों पर सवालिया निशान लगाता है।

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के डॉक्टर एसएन शर्मा का कहना है कि बारिश का मौसम है। बरसात थमने ही डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियां बढ़ेंगी। प्रदेश में सितंबर के बाद ये बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान अभी से चलाने की जरूरत है।

गर्व को मिलेगा चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए देखने का मौका

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड के हरिद्वार के बीएचईएल के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के कक्षा आठवीं के छात्र गर्व सक्सेना 7 सितंबर को बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर सजीव उतरते हुए देखेंगे। गर्व 4 सितंबर को हरिद्वार से बेंगलुरु जाएंगे। जब इस बात की खबर गर्व सक्सेना के परिवार वालों और स्कूल के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गर्व की इस सफलता से हरिद्वार का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय पटल पर चमका है। जिससे गर्व और उसका परिवार तथा उसके स्कूल के शिक्षक और छात्र-छात्राएं खुशी के मारे झूम उठे। गर्व सक्सेना बेहद खुश हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ चंद्रयान दो के चंद्रमा में उतरने का सजीव चित्रण देखने का मौका मिलेगा।

गर्व सक्सेना ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक मेल से पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसरो में चंद्रयान दो का सजीव चित्रण देखने के लिए पूरे देश के छात्र-छात्राओं के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गर्व सक्सेना ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और पूछे गए सभी 20 सवालों के जवाब दिए और जब उन्हें इसरो की सूचना से यह पता चला कि प्रधानमंत्री के साथ चंद्रयान-2 का सजीव चित्रण देखने के लिए चुना गया है तो बेहद खुशी हुई। गर्व ने बताया कि वह बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और अब उन्हें अपने छात्र जीवन में इसरो जाने का मौका मिल रहा है।

गर्व सक्सेना के पिता पंकज सक्सेना बीएचईएल हरिद्वार की उपनगरी शिवालिक नगर में रहते हैं और वे तथा गर्व की मां मिलकर कोचिंग सेंटर चलाते हैं। गर्व सक्सेना के दादा वीके सक्सेना बीएचईएल हरिद्वार से अपर महाप्रबंधक के पद से 2006 में सेवानिवृत्त हुए हैं। गर्व को अपने दादा की तरह ही इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने की तमन्ना है।

गर्व के पिता पंकज सक्सेना का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने इसरो की प्रतियोगिता को पास करके चंद्रयान-2 के चंद्रमा में उतरने के सजीव प्रसारण को देखने के प्रधानमंत्री के दल में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसरो में कोई जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है और फिर प्रधानमंत्री के साथ जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता है।

"मैं बहुत खुश हूं। इस मुकाम तक ईश्वर की कृपा और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूं।
-गर्व सक्सेना

"गर्व ने हमें भी नहीं बताया कि वह इसरो की किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। जब इसरो से उसके नाम से हमारे घर में पत्र आया, तब हमें इसका पता चला।
-रश्मि सक्सेना, गर्व की मां

उत्तराखंड

"उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने इसरो की प्रतियोगिता को पास किया है। इसरो में कोई जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है और फिर प्रधानमंत्री के साथ जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता है।
-पंकज सक्सेना, गर्व के पिता

गर्व की माता रश्मि सक्सेना भी अपने पति के साथ कोचिंग सेंटर चलाती हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनका बेटा इसरो में प्रधानमंत्री के साथ चंद्रयान-2 का सजीव प्रसारण बेंगलुरु में जाकर देखेगा तो उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने इसरो का पत्र देखा तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है।

गर्व के स्कूल डीपीएस, रानीपुर, बीएचएल, हरिद्वार के प्रधानाचार्य डॉ अनुपम जग्गा का कहना है कि गर्व सक्सेना ने हमारे स्कूल का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। हमें उस पर गर्व है। वह एक बहुत ही धीर-गंभीर छात्र है। उसकी इस महत्त्वपूर्ण सफलता से पूरा स्कूल आल्हादित है। नौकरशाही का कामकाज इतना ढीला है कि कई सालों तक अग्निशमन विभाग के जमीन मिल ही नहीं पाती है। एअरपोर्ट के पास भी एक फायर स्टेशन बनाने के लिए विभाग ने जमीन मांगी है। लेकिन अभी तक नहीं मिली है। कहीं डीडीए से जमीन मिल नहीं पा रही है तो कहीं डीडीए ने चिन्हित तो कर रखा है लेकिन आबंटित नहीं किया है।

केंद्रीय विद्यायलों के 16 विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ देखेंगे चंद्रयान-2 की लैंडिंग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से कराई गई ऑनलाइन अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों (केवी) से 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये देश भर से चुने गए 60 विद्यार्थियों के साथ सात सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान-2 की लैंडिंग के ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनेंगे। देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से कुल 1,50,279 विद्यार्थियों ने इसरो की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया था।

चुने गए विद्यार्थियों में दिल्ली के मनोज्ञा सिंह, गुजरात के निश्चल बदाया व अनुष्का अग्रवाल, कर्नाटक के जिशान संजीब, मध्य प्रदेश की कनिष्का गुप्ता, चंडीगढ़ के अक्षत, लक्ष्यद्वीप की बीवी नफारसत निधा, असम की देवलीना हजारिका, राजस्थान की गरिमा शर्मा, जम्मू-कश्मीर के ऑजसव, सिक्किम के यश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की श्रीजल चंद्रकार, मिजोरम की अनया सिंह, मेघालय की अविप्सा पति, मणिपुर की सोनी और अरुणाचल प्रदेश की तेजश्विनी शामिल हैं।

इटावा सफारी की 'अनदेखी'

दिनेश शाक्य
इटावा।

चंबल की छवि को बदलने के इरादे से बीहड़ों मे निर्मित इटावा सफारी पार्क की अनदेखी भाजपा सरकार में खूब हो रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंत्री सफारी देखने के बाद उसकी सराहना तो करते हैं लेकिन बात उद्घाटन तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि सांसद ने दावा किया है कि दो अक्तूबर तक सफारी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश

2012 में हुआ निर्माण

सफारी पार्क के निर्माण का कार्य 2012 में शुरू हुआ था और अब यह लगभग पूरा हो गया है। पहले यहां लायन सफारी बनाई जानी थी लेकिन बाद में इटावा सफारी पार्क बनाकर इसमें चार सफारियां बनाई गई। योगी सरकार के मंत्री सुरेश पासी, पूर्व वन मंत्री दारा सिंह चौहान समेत कई नेता, विधायक और सांसद सफारी की सराहना भी कर चुके हैं।

इटावा सफारी पार्क वाकई में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे प्रदेश का गौरव भी बढ़ेगा। गुजरात से यहां शेर लाए गए हैं, जिनसे पर्यटक भी बढ़ेंगे और प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। जब पर्यटक आएंगे तो निश्चित है कि सारी व्यवस्थाएं माकूल कर ली जाएंगी।
-सुरेश पासी, मंत्री, उत्तर प्रदेश

इटावा सौभाग्यशाली है कि गिर के बाद इटावा एशियाटिक लायन का प्रजनन केंद्र स्थापित हुआ है। शेरों की विलुप्त होती प्रजाति का एक दूसरा आशियाना भी स्थापित करा दिया गया है।
-वी.के.सिंह, निदेशक, इटावा सफारी पार्क

शावक है शान

शेरनी जेसिका ने पहले शिंबा सुल्तान उसके बाद बाहुबली की पैदाइश की। इसके बाद चार और शावक शेरनी जेसिका से हुए लेकिन एक की मौत के बाद अब तीन बचे है हालांकि तीनों शावकों का अभी नामकरण नहीं हुआ है। लाइन सफारी को खोलने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वो शर्त बाधा खड़ी करती है जिसका नियम यह कहता है कि जब तक दस शावक नहीं होगे सफारी चालू नहीं होगी।

फेसिलेशन सेंटर

इटावा सफारी पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए दिल्ली की कोठारी एसोसिएट से भी मदद ली गई है। उस कंपनी से 118 करोड़ से फेसिलेशन सेंटर बनाया है।

इसमे मुख्य द्वार, थीम वेस निर्माण, फोरडी थिएटर खूबसूरत प्लांनिग की गई है। आर्किटेक्ट फ्रेंक बीड़ाल ने भी यहां पर अपनी टीम के साथ काम करके इटावा सफारी पार्क को नया रूप दिया है। पार्क का यही रुप लोगों को लुभा रहा है।

कुम्हारटोली की मूर्तियों की दुनिया भर में मांग

शंकर जालान
कोलकाता।

उत्तर कोलकाता स्थित मूर्तिकारों के मठ कहे जाने वाले कुम्हारटोली इलाके में वैसे तो सैकड़ों मूर्तिकार हैं, जो कभी सरस्वती, कभी गणेश, कभी काली, कभी शीतला, कभी विश्वकर्मा और कभी दुर्गा की प्रतिमा बनाकर न केवल अपने और अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी जुटाते हैं, बल्कि छोटी-बड़ी आकार की मुंह बोलती मूर्तियां बनाने के लिए देश-दुनिया में चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन इन सैकड़ों मूर्तिकारों में सुकुमार पाल, आनंद रक्षित, पंकज पाल, देवाशीष मंडल और चायना पाल ऐसे मूर्तिकारों के नाम हैं जितनी बनाई दुर्गा प्रतिमा न केवल पानी के रास्ते दुनिया के कई देशों में जाती हैं, बल्कि काफी सुर्खियों में भी रहती हैं। बांस और लकड़ी के ढांचे पर रस्सी से पुआल (बिचाली) बांधकर मूर्ति आकार देने के बाद यहां के मूर्तिकार मिट्टी का ऐसा लेप चढ़ाकर ऐसी मूर्ति गढ़ देते हैं, जो मानो मुंह से अब बोली..., अब बोली...!

दुगार्पूजा के दौरान इनकी व्यस्तता काफी बढ़ जाती है। शहर या आसपास के इलाकों के पंडालों में जाने वाली प्रतिमा का काम तो महालया तक चलता है, वहीं दूसरे शहर और देश में जाने वाली प्रतिमा जुलाई के अंत में रवाना कर दी जाती है।

बंगाल

मिट्टी के अलावा फाइबर, थर्माकोल और सोला से बनी यहां की प्रतिमा की ख्याति व मूर्तिकारों के हुनर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां बनी मूर्ति हर साल दुनिया के कई देशों में भेजी जाती है। इस बार जिन देशों में कुम्हारटोली में बनी प्रतिमा भेजी गई है उनमें अमेरिका, जापान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया का नाम शामिल है। महिला मूर्तिकार चायना पाल को एक चाल (एक साथ दुर्गा, लख्खी, सरस्वती, गणेश व कार्तिक) की मूर्ति बनाने में महारत हासिल है। इस बार चायना की बनाई दुर्गा प्रतिमा नेपाल और बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई है। वहीं, सुकुमार पाल के हाथों बनी फाइबर की प्रतिमा अमेरिका, आनंद रक्षित द्वारा सोला से बनाई मूर्ति जापान, पंकज पाल द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई मूर्ति चीन और देवाशीष मंडल द्वारा थर्माकोल से बनाई दुर्गा प्रतिमा नाइजीरिया के लिए रवाना हो गई है।

मूर्तिकार इंद्रजीत पाल ने बताया कि दुगार्पूजा के लिए होली के बाद से ही मूर्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। पहले बांस व लकड़ी की फराटियां काटी जाती हैं और फिर पुआल की आकृति की बंधाई होती है। गंगाजल, गोबर, गोमूत्र और यौनकर्मियों के आंगन से मंगाई गई थोड़ी सी मिट्टी को मिलाया जाता है। उसके बाद पुआल की बनी आकृति पर चढ़ता है मिट्टी का आवरण। इन मूर्तियों को पूर्ण रूप लेते-लेते छह से सात महीने लग जाते हैं। एक अन्य मूर्तिकार ने बताया कि अब तक यहां बनी मूर्तियां दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में जा चुकी है। यहां बनी मूर्तियों को दुर्गोत्सव के समय पूजा पंडालों में देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि कुम्हारटोली की जिन तंग गलियों में यहां के मूर्तिकार जिस तरह से मूर्तियों को मूर्त रूप देते हैं, उनकी माली हालत उतनी ही तंग है। कुम्हारटोली की संकीर्ण गलियों में ईश्वर भक्ति जीवंत रूप में नजर आती है, जिसे यहां के सैकड़ों मूर्तिकार, लेकिन आर्थिक अवस्था और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में दुखी नजर आते हैं वे मूर्तिकार जो माहिर हैं मुंह बोलती मूर्तियां बनाने में।

'अब तो यहीं जीना-मरना है, कहीं और नहीं जाना'

वंदना
कालूवाला (फिरोजपुर)।

असीं तां पानी दे परिंदे हां..सानूं पानी तो कादा डर...कई तूफान, कई बाढ़ां आईयां ते गइयां पर असी न इस मिट्टी नू छड्ड के गए न ही एनूं छड्ड के जावांगे (हम तो पानी के परिंदे हैं...कई तूफान, बाढ़ें आईं-गईं..पर हम इस मिट्टी को न छोड़ कर गए कभी और न ही जाएंगे)।

अपने गांव के लिए राशन लेकर कश्ती पर सवार होकर जा रहे कालूवाला के निवासी चूड़ सिंह ने यह बात कहते हुए आंखों के कोरों तक आए आंसू पोंछते हुए मल्लाह को आवाज लगाई और कश्ती पर सवार हो चले गए, लेकिन प्रशासन और सरकार केलिए कई सवाल छोड़ गए।

कालूवाला गांव पंजाब के सीमावर्ती जिले फिरोजपुर के भारत-पाक सीमा के दस किलोमीटर के दायरे के गांवों में से ही एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे देश के बाकी भागों से अलग करती है। पाकिस्तान के साथ सरहद से सटा कालूवाला इस तरफ से देश का आखिरी गांव है और इसके निवासी गांव से बाहर आने-जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तीन तरफ से सतलुज दरिया और चौथी तरफ से पाकिस्तान सीमा के साथ लगी कंडियाली तार से घिरे टापूनूमा इस गांव के लोगों के लिए बाकी देश से जुड़ने का एकमात्र साधन बेड़ी (बड़ी कश्ती) ही है। आजकल पहले बीबीएमबी और फिर पाकिस्तान द्वारा सतलुज में पानी छोड़ने से यहां तटबंद ही बह गया और मिट्टी खिसकने से दरिया करीब 30 फुट चौड़ा हो गया है और गांव वालों की फसलें इसकी जद में आ गई हैं।

पंजाब

इस गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं जिनका मुख्य काम खेती ही है। इसके अलावा टेंडीवाला और निहालेवाले से भी कई किसान रोजाना यहां खेती करने के लिए कश्ती से आते हैं और शाम को लौट जाते हैं। हमारा घर, फसल, जीविका तो यहीं हैं। प्रशासन हर बार हमें यहां से जाने को कह देता है। कहां जाएं और क्यों जाएं। सरकार को कुछ देना हो तो यहां भी दे सकती है। अब तो यहीं जीना-मरना है। कहीं और नहीं जाना है।
- मल्लाह इंदरजीत सिंह

ग्रामीणों ने बताया कि जून से लेकर सितंबर महीने तक वे लोग बाकी देश से संपर्क के लिए पूरी तरह बेड़ों पर ही निर्भर रहते हैं। इस दौरान दरिया में पानी इतना बढ़ जाता है और उसका बहाव इतना तीव्र हो जाता है कि नाव से दरिया पार करने में 40 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद घुटनों से भी उपर तक सिल्ट और कीचड़ से गुजरने के बाद वे अपने गांव में पहुंच पाते हैं। इन महीनों के अलावा बाकी दिनों में सीमा सुरक्षा बल द्वारा यहां आरजी तौर पर पुल लगाया जाता है जिसका ग्रामीण कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर तो तब भी बेड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं।

गांव में डिस्पेंसरी न होने से मरीज को अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी कसरत से कम नहीं है। रात के समय तो किसी की तबीयत खराब हो जाए तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि कश्ती सुबह ही आती है। उसके फेरे भी सीमित होते हैं। क्योंकि ज्यादा कश्तियां नहीं हैं। मल्लाह (कश्ती चलाने वाले) को बदले में लोग उन्हें पैसे की बजाय धान और अनाज आदि देते हैं। यह भुगतान फसल की तरह ही छह माह बाद ही होता है।

इस बार भी यही हालात हैं। गांव के तीनों तरफ का पानी 30-35 फुट तक है। बहाव इतना तेज है कि बीच में भंवर बनने से कश्ती को आर-पार जाने आने में 4-5 घंटे लग रहे हैं। बाढ़ पीड़ित अपने टूटते घरों को छोड़ दूसरों के सुरक्षित घरों में पहुंच गए हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि गांव के नंबरदार बचन सिंह ने कई लोगों को अपने घर में शरण दे रखी है। बाढ़ के कारण लाइट बंद है। नंबरदार बचन सिंह ही जनरेटर के जरिए रात के समय कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई करते हैं ताकि लोग आराम से सो सकें। इसी तरह पानी भी आजकल वहीं से आ रहा है क्योंकि सप्लाई के पानी में प्रदूषित पानी मिल जाने से वह पीने के काबिल नहीं रहा।

चूड़सिंह, मलकीत सिंह, जीत सिंह काले सिंह और अमर सिंह के घर बाढ़ के पानी में जमींदोज हो गए हैं। कई घरों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं और लोग पेड़ों के नीचे बैठ कर दिन काट रहे हैं। पानी भी प्रदूषित होने से पीने के काबिल नहीं रहा। बोरवैल से ही लेकर लोग पानी पी रहे हैं।

बेचिराग रहा है कालूवाला

सिंचाई विभाग के एसडीओ सुरिंदर शर्मा बताते हैं कि करीब 20-25 साल पहले कालूवाला गांव (फिरोजपुर) बेचिराग था। जिन गांवों में ग्रामीण रहते नहीं थे सिर्फ उनकी फसलें ही थीं, उन्हें बेचिराग की श्रेणी में माना जाता है। आसपास के गांवों टेंडीवाला, मुठियावाला, निहालेवाला आदि गांवों के लोगों की वहां जमीन थीं और वे रोजाना फसल की देख रेख के लिए जाते थे और शाम होते ही बेड़े से ही वापस लौट जाते। लेकिन रात के समय पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जंगली सूअरों के इस क्षेत्र में घुस आने से उन्हें अपनी जान और फसलों का खतरा लगा रहता था। इसी से बचने के लिए धीरे-धीरे कुछ ग्रामीणों ने वहां रहना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे वहां की आबादी 300 के करीब हो गई। गांव में 50-60 घर बन गए।

बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेड़े का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन टेंडीवाला, निहालवाला के कई किसान अभी भी रोजाना ही वहां जाते हैं। इस गांव के एक तरफ बीएसएफ के शामोके चौकी है जहां से सतलुज का पानी इसमें प्रवेश करता है और दूसरी तरफ कस्सोके चौकी है जहां मुख्य क्रीक (नाले) के जरिए पानी इसमें मिल जाता है।

अयोध्या मामला : राजीव धवन को धमकी देने वालों को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुसलिम पक्षकारों की पैरवी करने के कारण वरिष्ठ वकील राजीव धवन को कथित रूप से धमकी देने वाले दो व्यक्तियों को मंगलवार को नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस भूमि विवाद पर 18वें दिन सुनवाई शुरू होते ही राजीव धवन की अवमानना याचिका पर ये नोटिस जारी किए। पीठ अवमानना के इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगी।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। प्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक व ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने पूर्व सरकारी अधिकारी एन षणमुगम और राजस्थान के निवासी संजय कलाल बजरंगी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी।

उनका आरोप है कि मुसलिम पक्षकारों की ओर से पैरवी करने की वजह से उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन षणमुगम से 14 अगस्त, 2019 को उन्हें एक पत्र मिला। जिसमें उन्हें

● उनका आरोप है कि मुसलिम पक्षकारों की ओर से पैरवी करने की वजह से उन्हें धमकी दी जा रही है। धवन ने यह भी कहा है कि उन्हें राजस्थान के निवासी संजय कलाल बजरंगी से वाट्सऐप संदेश मिला है और वह भी न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।

मुसलिम पक्षकारों की ओर से पेश होने की वजह से धमकी दी गई थी। धवन ने यह भी कहा है कि उन्हें राजस्थान के निवासी संजय कलाल बजरंगी से वाट्सऐप संदेश मिला है और वह भी न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक व्यक्ति धमकी भरे व्यवहार के साथ उन पर अदालत परिसर और घर तक टिप्पणी करते रहते हैं।

उन्होंने याचिका में कहा कि इस तरह से पत्र भेजकर कथित अवमाननाकर्ता ने आपराधिक अवमानना की है क्योंकि वह शीर्ष अदालत में एक पक्षकार की ओर से पेश होकर अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले वरिष्ठ वकील को धमकी दे रहा है और उसे इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था। धवन ने अदालत से अनुरोध किया है कि अदालत के समक्ष पेश तथ्यों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 129 और अदालत की अवमानना कानून की धारा 15 के तहत इसका स्वतः संज्ञान लिया जाए और इन दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की जाए।

चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान-2

बंगलुरु, 3 सितंबर (भाषा)।

चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से लैंडर 'विक्रम' के अलग होने के एक दिन बाद इसरो ने मंगलवार को बताया कि उसने यान को चंद्रमा की निचली कक्षा में उतारने का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही शनिवार को चांद की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिग के लिए लैंडर को कक्षा से नीचे उतारने की एक अंतिम प्रक्रिया ही शेष है। इसरो ने कहा कि लैंडर पर लगी प्रणोदक प्रणाली को पहली बार इसे नीचे की कक्षा में लाने के लिए सक्रिय किया गया। इससे पहले इसने स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा शुरू कर दी थी।

भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी मैक-थ्री एम1 द्वारा 22 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित 3,840 किलोग्राम के चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान के मुख्य ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की यात्रा के सभी अभियानों को अंजाम दिया गया है।

मेधा पाटकर ने भूख हड़ताल खत्म की

भोपाल, 3 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के दूत एवं पूर्व मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहार से बातचीत के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने सोमवार देर रात अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

पाटकर पिछले नौ दिनों से अनशन पर थी। वह बड़वानी जिले के छोड़ा बड़दा गांव में नर्मदा नदी पर गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध (एसएसडी) से मध्य प्रदेश में विस्थापितों के उचित पुर्नवास और बांध के दरवाजे खोल पानी की निकासी करने की मांग कर रही थी।

शेयर बाजार लुढ़के, रुपए में भी तेज गिरावट

मुंबई, 3 सितंबर (भाषा)।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अप्रिय खबरों का सिलसिला जारी रहने से मंगलवार को शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट आई।

सूचकांक और निफ्टी दोनों दो फीसद से अधिक टूट गए। अंतर बैंक विदेशी विनियम बाजार में रुपया भी 97 पैसे टूटकर 72.39 प्रति डॉलर के नौ माह के निचले स्तर पर आ गया।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के निराशाजनक आंकड़ों, बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सुस्त पड़ने और वाहन कंपनियों की अगस्त की बिक्री में 10 फीसद से अधिक की गिरावट से निवेशकों ने घबराहटपूर्ण बिकवाली की जिससे बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 770 अंक नीचे आ गया। निफ्टी भी 225 अंक टूटकर बंद हुआ। बिकवाली से निवेशकों की बाजार हैसियत 2.55 लाख करोड़ रुपए घट गई।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक कारोबार के दौरान 867 अंक तक नीचे आने के बाद अंत में 769.88 अंक के नुकसान से 36,562.91 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 225.35 अंक के नुकसान से 10,797.90 अंक रह गया। आइसीआइसीआइ बैंक, टाटा स्टील, वेदांता, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के शेयर 4.45 फीसद तक गिर गए। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 1.65 फीसद तक की गिरावट आई। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 97 पैसे के नुकसान से 72.39 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

एमके वेल्थ मैनेजमेंट के शोध प्रमुख जोसफ थॉमस ने कहा कि पहली तिमाही के जीडीपी की वृद्धि दर पांच फीसद पर आने और बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सुस्त पड़ने से बाजार में गिरावट आई। नकारात्मक वैश्विक संकेतकों, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के रुख से भी धारणा प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि रोजगार के निचले स्तर और वित्त की उपलब्धता नहीं होने से विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में कमजोर घरेलू खपत की स्थिति बनी है। सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण की घोषणा की है। इससे इन बैंकों के शेयर टूट गए। विशेषज्ञों के मुताबिक इस कदम से निवेशकों में यह संदेश गया है कि सरकार न केवल बैंकों में नई पूंजी डाल रही है बल्कि वह उनके कार्य संचालन में भी सुधार चाहती है।

पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है।

विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। ईडी ने 20 अगस्त को पुरी को बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने शुक्रवार को पुरी की हिरासत अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। पुरी की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की मांग करते हुए एजंसी ने अदालत को बताया था, 'जांच के दौरान दस्तावेजों का एक बड़ा रेकॉर्ड इकट्ठा किया गया है और समय की कमी के कारण इनके सिलसिले में अभी पूछताछ नहीं हो सकी है।

आइएनएक्स मामला : चिदंबरम 5 सितंबर तक जेल नहीं भेजे जाएंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिलती दिखी। उनको गुरुवार तक तिहाड़ जेल भेजे जाने की संभावना टल गई। दरअसल, सीबीआइ को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वह उन्हें अपनी ही हिरासत में रखे जबकि जांच एजंसी ने जोर दिया कि आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में अब और रखे जाने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 73 वर्षीय नेता से कहा कि वह निचली अदालत में दायर अंतरिम जमानत याचिका के लिए गुरुवार तक जोर नहीं दें। यह याचिका सोमवार को दायर की गई थी। चिदंबरम की सीबीआइ हिरासत की अवधि गुरुवार तक बढ़ाने के शीर्ष न्यायालय के आदेश के महज एक घंटे बाद उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत ने उन्हें और दो दिनों के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया। गुरुवार का दिन कांग्रेस नेता चिदंबरम के लिए अहम होगा, जब न्यायाधीश कुहाड़ द्वारा पांच चरणों में सुनाई गई 15 दिनों की रिमांड की अवधि खत्म हो जाएगी।

सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एअरसेल-मैक्सिस मामलों में चिदंबरम एवं उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को ही विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के भी अपना आदेश सुनाए जाने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें हिरासत में सौंपने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।

चिदंबरम इस राहत के लिए अपनी याचिका पर अंतरिम जमानत पा सकते हैं या सीबीआइ रिमांड की अवधि खत्म होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। एक संबद्ध विषय में, शीर्ष अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि वह चिदंबरम की उस अलग याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। चिदंबरम ने इस याचिका में आइएनएक्स मीडिया धनशोधन के प्रवर्तन निदेशालय के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे रखी है। कांग्रेस नेता को 21 अगस्त की रात गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले ही दिन निचली अदालत में पेश किया गया था।

राज्य में अब हालात में तेजी से सुधार

पेज 1 का बाकी

बाद राज्य में स्थिति से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों कोछोड़ कर अन्य में लागू नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ 13 या 14 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू है और कोई गोलीबारी नहीं हुई है, ना ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और न ही कोई हताहत हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।' यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की, जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन रोजाना आधार पर मीडिया को ब्योरा दे रहे हैं।

मंगलवार को कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में दिन के समय की पाबंदियां हटा दी गई लेकिन बाजार बंद रहे और 30 वें दिन भी सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहे। श्रीनगर में अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि घाटी के 90 प्रतिशत इलाकों में दिन के समय में पाबंदियां नहीं हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन के समय की पाबंदियां हटा दी गई हैं।

इस बीच जम्मू क्षेत्र के रियासी में मंगलवार को सेना में भर्ती की सात दिवसीय रैली शुरू हुई जिसमें विभिन्न जिलों के 29,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद यह पहली ऐसी भर्ती रैली है। जम्मू स्थित जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि यह उत्साह शांति और प्रगति को गले लगाने की स्थानीय युवाओं की इच्छा का संकेत है। भारतीय सेना का उग्रवाद निरोधक बल (वर्दी) जम्मू क्षेत्र के सात जिलों - डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन और रियासी - के युवकों को रोजगार देने के लिए जम्मू भर्ती कार्यालय के मार्फत यह रैली कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने कहा, 'जम्मू क्षेत्र के 29,000 से अधिक आकांक्षी युवाओं ने पंजीकरण करवाया है और उनकी इस रैली के दौरान शारीरिक और मेडिकल फिटनेस टेस होने की संभावना है।

पत्रकार के समर्थन में उतरे विपक्षी दल

पेज 1 का बाकी

हैं। वहीं, मामले के तूल पकड़ने पर मंगलवार को प्रदेश सरकार ने कहा कि एफआइआर की समीक्षा की की जाएगी। इस बीच, मामले में आरोपी पत्रकार पवन कुमार जायसवाल ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि खबर में कुछ भी बनावटी नहीं है और उन पर मामला दर्ज किया जाना 'पत्रकारिता पर हमला' है।

उधर, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ कोई भ्रष्टाचार या तथ्य उजागर करने के कारण पत्रकार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा तो वह इस मामले को देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूरे प्रकरण में जो लोग दोषी पाए गए, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है । जहां तक एफआइआर की बात है उसकी हम विवेचना कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मिर्जापुर में हाल में एक प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को नमक-रोटी खिलाए जाने की खबर छापने वाले पत्रकार और ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि समेत कई लोगों के खिलाफ सरकार की छवि खराब करने के कथित कुत्सित प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने स्कूल प्रशासन की गड़बड़ी उजागर करने वाले पत्रकार पर मामला दर्ज किये जाने का विरोध करते हुए प्राथमिकी रद्द किये जाने की मांग की है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि मिर्जापुर में बच्चों के निवाले छीनने वालों का काला सच उजागर करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर मुकदमा स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता पर प्रहार है। सत्ता का अहंकार भरा ये कदम भ्रष्टाचार के संकल्प को सिद्ध करता है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि मुकदमा रद्द किया जाए।ह्न उधर, पत्रकार के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के विरोध में मिर्जापुर में स्थानीय पत्रकारों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और एफआइआर वापस लेने की मांग की। स्थानीय पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल विध्याचल मंडल के आयुक्त आनंद कुमार से मिला और पत्रकार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। मिर्जापुर प्रेस क्लब के सचिव अजय शंकर गुप्ता ने बताया कि हम चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की जांच की जाए। आयुक्त कुमार ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगेंगे। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा केवल कोई भ्रष्टाचार या तथ्य उजागर करने के कारण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

जल्द बहाल होंगी मोबाइल सेवाएं

पेज 1 का बाकी

प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की।

श्रीनगर जिले के हरवन के एक ग्राम प्रधान जुबेर निषाद भट्ट ने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में मोबाइल फोन सेवाएं अगले 15-20 दिनों में बहाल कर दी जाएंगी और उन सभी को दो-दो लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्रालय बयान के अनुसार शाह ने स्पष्ट किया कि स्थितियां सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा होगी। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि वे किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करें।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा। शाह ने जल्द ही विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू करने का वादा किया और कहा कि सरकार प्रत्येक गांव से कम से कम पांच उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कुपवाड़ा के एक सरपंच मीर जुनैद ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लोग अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कारण खुश हैं, क्योंकि उन्हें अतीत में 'मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों' द्वारा डराया गया था।

मंत्री सिंह ने कहा कि किसी भी परिवार से मुक्त एक नया नेतृत्व जमीनी स्तर पर उभर रहा है और वे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने से खुश हैं। अब केंद्रीय कोष सीधे उन तक पहुंच जाएगा। गांदरबल जिले के एक सरपंच नजीर अहमद ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। पुलवामा के एक सरपंच मनोज पंडित ने कहा कि गृह मंत्री ने उनसे कहा कि उन्हें प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर का दौरा करना चाहिए और लोगों को अनुच्छेद 370 को हटाने के लाभों से अवगत कराना चाहिए। बयान में कहा गया है कि तीनों प्रतिनिधिमंडलों ने अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने के साहसी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को बधाई दी। शाह ने पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए लागू होंगे।

पाकिस्तान में हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण

पेज 1 का बाकी

दूसरा मामला है।' लड़की के भाई ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने कहा, 'कहा जाता है कि अगवा करने में साथ में पढ़ने वाला छात्र बाबर अमन का हाथ है। पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है।' वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और अभी यह पता नहीं चल सका है कि लड़की अपने आप गई है अथवा उसे अगवा किया गया है।' पाकिस्तान में हिंदू लड़की को अगवा करके किसी मुस्लिम युवक से शादी कराने से पहले जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के अनेक मामले सामने आते रहते हैं।

जबरन धर्मांतरण के विरोध में हिंदू समुदाय के नेता तथा अन्य लोगों ने सिंध में विरोध प्रदर्शन किया। पिछले सप्ताह 19 साल की एक सिख लड़की को अगवा कर उसे इस्लाम में धर्मांतरित कर एक मुसलमान युवक से उसका विवाह करा दिया गया था।

सीबीआइ हरीश रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी

नैनीताल, 3 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ 2016 में सामने आए स्टिंग वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगा। इस वीडियो में रावत सत्ता में बने रहने के लिए अपने खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए कथित रूप से सौदेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जांच एजंसी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की अदालत को मंगलवार को सूचित किया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टिंग वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी।

कांग्रेस नेता शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया

पेज 1 का बाकी

में कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल धनशोधन का मामला दर्ज किया था। शिवकुमार 30 अगस्त को पहली बार ईडी के सामने पेश हुए थे। बीते गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्हें एजंसी के सामने पेश होना पड़ा था। शिवकुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि 2017 में गुजरात की राज्यसभा सीटों पर चुनाव के दौरान विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाने के कारण राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है।

वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुए आठ अपाचे हेलिकॉप्टर

पेज 1 का बाकी

वायुसेना के पुराने होते एमआई-35 बेड़े की जगह लेंगे और हेलिकॉप्टरों की अंतिम खेप मार्च 2020 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। आठ अपाचे हेलिकॉप्टर जुलाई में भारत में पहुंचे, जिन्हें आज वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया। भारतीय वायुसेना के पायलटों के पहले बैच को अपाचे उड़ाने के लिए अमेरिका में 2018 में प्रशिक्षण दिया गया। एएच-64 ई अपाचे हेलिकॉप्टर विश्व के अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में से एक है और इसे अमेरिका समेत कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं।

अपाचे हेलिकॉप्टर को उड़ाने के लिए दो पायलट होने जरूरी हैं। इसकी ऊंचाई 60 फुट है और चौड़ाई करीब 50 फुट है। अपाचे हेलिकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए दो इंजन होते हैं, इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। अपाचे हेलिकॉप्टरों में पूर्ण एकीकृत डिजिटल कॉकपिट है जो इनकी मिशन क्षमता में वृद्धि करता है। यह किसी इलाके की टोह लेने, सुरक्षा, शांति अभियानों और हर तरह की स्थिति में घातक हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बोइंग ने एक बयान में कहा कि भारत अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदने वाला 16वां देश है और वह हेलिकॉप्टर का अत्याधुनिक संस्करण हासिल कर रहा है।

इन हेलिकॉप्टरों को उड़ता टैंक कहा जाता है। भारत का अमेरिका और बोइंग कंपनी से 4168 करोड़ रुपए में 22 अपाचे खरीदने का करार हुआ था। 2020 तक ये सभी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इनमें से 11 पाक सीमा के साथ पठानकोट और 11 चीन सीमा के साथ असम के जोरहाट में तैनात किए जाएंगे।

हरियाणा चुनाव के लिए 'आप' ने तैनात किए प्रभारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 'आप' ने 12 प्रभारियों की तैनाती की है।

ये प्रभारी आगामी चुनाव में पार्टी की नीति के तहत प्रचार व प्रचार अभियान को तेज करेंगे। इस प्रभारितयों की तैनाती हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद व कार्यालय सचिव व हरियाणा सह प्रभारी, राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।

पहली ही सूची में 'आप ' ने 12 सीटों के लिए प्रभारी तय किए हैं। इन प्रभारियों में अनूप संधू (असंध), राजकुमार पहल (जुलाना), लक्ष्य गर्ग (फतेहाबाद), मंजीत रंगा (उकलाना), मनोज राठी(हांसी), मुनीपाल अत्री (गढ़ी सांपला किलोई), अनीता छिकारा (बहादुरगढ़), अश्विनी दुल्हेड़ा (बेरी), अजय शर्मा (महेंद्रगढ़), करण सिंह डागर (होडल), धरमवीर (बड़खल) व हरेंद्र भाटी(बल्लभगढ़) शामिल हैं।

ओएनजीसी में आग, चार की मौत

पेज 1 का बाकी

की अपील की और स्थिति के नियंत्रण में होने का आश्वासन दिया है।

सीआइएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साइट पर गैस रिसाव का पता लगाने की कोशिश करने के दौरान हुए विस्फोट में कर्मियों की जान गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उरण क्षेत्र स्थित ओएनजीसी गैस प्रसंस्करण संयंत्र में आग सुबह छह बजकर 47 मिनट पर लगी, जिस पर दो घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना में चार लोग मारे गए और अन्य तीन घायल हुए हैं। सीआइएसएफ की उपमहानिरीक्षक ने बताया कि मृतकों की पहचान सीआइएसएफ के दमकल कर्मी एरना नायक, सतीश प्रसाद कुशवाहा और एमके पासवान के तौर पर हुई है। इनके अलावा ओएनजीसी के डीजीएम सीएन राव की भी घटना में जान चली गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओएनजीसी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), रिलायंस ग्रुप, नवी मुंबई नागरिक निकाय और तलोजा में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की तरफ से दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। ओएनजीसी ने एक ट्वीट में कहा कि उरण संयंत्र के जल निकासी क्षेत्र में मंगलवार सुबह आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने दो घंटे के भीतर उस पर काबू पा लिया। ओएनजीसी की मजबूत संकट शमन तैयारी ने इस बड़ी आग पर जल्द काबू पाने में मदद की। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में उसने कहा था कि उरण तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र के जल निकासी क्षेत्र में आग लग गई। ओएनजीसी, दमकल विभाग और संकट प्रबंधन दल बचाव कार्य में जुटे हैं।

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉनसन ने सदन में खोया बहुमत

पेज 1 का बाकी

तैयार हैं। गर्मियों के लंबे अवकाश के बाद सांसदों के साथ होने वाली चर्चा के लिए जॉनसन के हॉउस ऑफ कामंस पहुंचते ही फिलिप ली ने दल-बदल कर लिया। जॉनसन ने जैसे ही सदन को संबोधित करना शुरू किया, ब्रैकनेल सांसद फिलिप ली विपक्षी दल की सीट पर जा कर बैठ गए।

ली ने एक बयान में कहा, जिस पार्टी में मैं 1992 में शामिल हुआ वह मेरी पार्टी नहीं रही, मैं आज उसे छोड़ रहा हूं। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी पर राजनीतिक रूप से चीजों को प्रभावित करने, धौंस देने और झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया।

पूर्व न्याय मंत्री ने कहा कि सरकार असैद्धांतिक तरीके से ब्रेक्जिट को नुकसान पहुंचा रही है और लोगों के जीवन एवं आजीविका को जोखिम में डाल रही है।

रैगिंग और अपमान से गुजर कर पाया सम्मानित पेशा

पेज 1 का बाकी

में आए। लेकिन मैं पहली टीवी पत्रकार हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं इस स्थान से जुड़कर सौभाग्यशाली महसूस करती हूं। पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और मैं इस काम की गंभीरता को समझती हूं।' उसने यह बताया कि जब वह मंगलुरु में मेडिसिन की पढ़ाई के लिए गईं, तब कैसे उसे मुश्किल स्थिति से जूझना पड़ा।' उसने कहा, 'मेरी रैगिंग की गई और मुझे अपमानित किया गया। मुझे छह महीने बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं बंगलुरु चली गई जहां मैंने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई। उसके लिए मेरे माता-पिता अब भी मुझसे नाराज हैं। अब मैं आशा करती हूं कि एक दिन जरूर वे समझेंगे।' इग्नू से बीए (साहित्य) करने के बाद सादिया ने तिरुवनंतपुरम से इलेक्ट्रोनिक पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। सादिया ने कहा, 'पत्रकारिता संस्थान में मित्रों ने मेरा सहयोग किया। मैं प्रथम श्रेणी से पास हुई। कुछ मीडिया घराने मुझे नौकरी पर रखने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन कैराली ने मेरी पात्रता पर गौर किया और मुझे मौका दिया। उसने कहा कि समाज द्वारा तैयार किए अवरोधों को तोड़ना मुश्किल होता है।

उसने कहा, 'हम किसी के भी दास नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि हम अपनी अपनी सीमाओं से बाहर आएं और अपने हिसाब से बनें। यदि जीवन में कुछ मुश्किलें हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ कदम उठाना सदैव बेहतर होता है। हमें मौकों का इस्तेमाल करने और कठिन मेहनत करने की जरूरत है।

epaper.jansatta.com

एक ही अपराध के लिए दो प्राथमिकियां दर्ज नहीं की जा सकतीं : अदालत

ठाणे, 3 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने कहा कि एक ही अपराध में एक से अधिक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। अदालत ने हत्या के प्रयास और दंगे के लगभग 25 वर्ष पुराने मामले में आरोपी 10 लोगों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस पंधारीकर ने गुरुवार के अपने आदेश में कहा कि हर जांच का अंतिम उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि क्या अपराध किया गया है और अगर यह हुआ है तो यह किसने किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तात्या पटेल और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता केशरीनाथ म्हात्रे के परिवार निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने का व्यवसाय करते थे। पटेल परिवार के सदस्य और कुछ अन्य लोग 10 फरवरी, 1994 को म्हात्रे के ठाणे जिले के काशी गांव में स्थित घर पर आए और उन्हें एक ठेकेदार को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने म्हात्रे के मकान पर कोई ज्वलनशील पदार्थ भी फेंका, जिससे मकान का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से तीन अभी फरार हैं, जबकि चार लोगों की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शुद्धिपत्र (ई–नीलामी बिक्री सूचना)

दिनांक 31.07.2019 को जनसत्ता हिन्दी समाचार पत्र (दिल्ली संस्करण) में ई–नीलामी सूचना प्रकाशित की गई है। भूमि: मैसर्स भूपेश कुमार शिक्षण एवम विकास संस्थान, शाखा तिलक रोड, देहरादून की सम्पत्ति नं0 3 का खसरा नं0 1053, माप 0.0401 हेक्टेयर बुटिया मलबा प्रकाशित हो गया है जिसे सही न पढ़ा जाये इसके स्थान पर विक्रय विलेख के अनुसार सही खसरा नं0 1053, माप 0.401 हेक्टेयर पढ़ा जाये। ई–नीलामी की अन्य सभी नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

दिनांक: 03.09.2019 प्राधिकृत अधिकारी

चोर होने के संदेह में बस ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई, मौत

पालघर, 3 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर में कुछ लोगों ने चोर होने के संदेह में 32 वर्षीय एक बस ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई की, गुजरात के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पालघर पुलिस के प्रवक्ता हेमंत काटकर ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में छह लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को बोइसर इलाके में ड्राइवर रंजीत पांडेय एक बस के समीप खड़ा था। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि वह गाड़ी की बैट्री चुराने और उसकी टायर से हवा निकालने की फिराक में है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल पांडेय को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे गुजरात के वलसाड के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने रविवार को दम तोड़ दिया।

जायदाद के लालच में दादा की हत्या की

बांदा, 3 सितंबर (भाषा)।

बांदा से सटे चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र में जायदाद की लालच में एक व्यक्ति ने अपने दादा की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक बलवंत चौधरी ने मंगलवार को बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा गांव में रामदास आरख (70) अपनी 15 बीघा भूमि में बोई फसल की रखवाली करते हुए दो/तीन सितंबर की रात को खेत में बनी झोपड़ी में सोए थे। सुबह उनका गला कटा शव पड़ा मिला। पूछताछ के दौरान परिजन ने बताया कि रामदास अविवाहित थे और अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन अपने दूसरे रिश्तेदारों को देना चाह रहे थे। उनके भतीजे जगतपाल का बेटा प्रेमचंद्र, जिससे नाराज था और कई बार जमीन खुद के नाम करवाने को लेकर झगड़ा भी कर चुका था।

इसी सप्ताह से शुरू होगा 'अर्पित' कार्यक्रम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

उच्च शिक्षण संस्थाओं के सभी सेवारत शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (अर्पित) 2019 इसी सप्ताह से शुरू हो रहा है जिसमें विभिन्न विषयों के विकास, शैक्षणिक उन्नयन और संशोधित पाठ्यक्रम के अनुपालन के तरीकों पर खास जोर दिया जाएगा। 'अर्पित' के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का पहला चरण इस साल मार्च में पूरा हुआ।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा
रहना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 फोन नंबर : 011–25755124, ई–मेल आईडी : iob1997@iob.in

शुद्धि पत्र

यह जनसत्ता मैसर्स एच. जी. रिटेल सोल्यूशंस प्रा. लि. के संबंध में फाइनेंशियल एक्सप्रेस (इंग्लिश) और जनसत्ता (हिंदी) में क्रमशः 30.08.2019 और 31.08.2019 को प्रकाशित ई–नीलामी नोटिस के संबंध में है। जिसमें क्रमांक नं. 12 के तहत एक सुधार नीचे दिया गया है–
(ii) लॉट – 1 के लिए कब्जे के प्रकार को सांकेतिक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
अन्य सभी नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के मामले में
तथा
युनवेग रेटोग्रैव्योर प्राईवेट लिमिटेड "कम्पनी" जिसका पंजीकृत कार्यालय: "पीडी–ब्लॉक- 106 डी, पीतमपुरा, नई दिल्ली डीएल 110034 आईएन" में है, के मामले में। - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 15 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा ("ईओजीएम") में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ- पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: "पीडी–ब्लॉक- 106 डी, पीतमपुरा, नई दिल्ली डीएल 110034 आईएन"

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
युनवेग रेटोग्रैव्योर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
नाम: लिली ल्यू
निदेशक
DIN: 08289830

तिथि: 2 सित., 2019
स्थान: फरीदाबाद

रीअल ग्रॉथ कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN-L70109DL1995PLC064254
पंजी. कार्या.: 1601, आरजी ट्रेड टावर, प्लॉट नं. बी–7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
वेबसाईट: www.realgrowth.co.in ईमेल: rgcel1995@gmail.com, फोन नं.: 011–47770500, फैक्स: 011–47770599

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(आँकड़े लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष के लिये
		30.6.2019 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	5071.77	5023.74	5349.72	21173.63
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(93.10)	(23.78)	(26.93)	72.80
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(93.10)	(23.78)	(26.93)	72.80
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(93.16)	(19.40)	(18.77)	57.36
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(84.06)	(13.49)	(19.14)	63.26
	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	400.00	400.00	400.00	400.00
	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
	मूल (रु. में)	(2.33)	(0.48)	(0.47)	1.43
	तरल (रु. में)	(2.33)	(0.48)	(0.47)	1.43

टिप्पणी:
1. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 2 सितम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों पर गैर-संशोधित अभिमत प्रकट किये हैं।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (इंड ए एस) तथा लागू होने वाली सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त व्यवहारों तथा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
3. जहाँ भी जरूरी हुआ, कम्पनी अधिनियम, 2013 के संशोधित अनुसूची के अनुसार पूर्व के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

रीअल ग्रॉथ कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज लि. के
बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
(दीपक गुप्ता)
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN:01890274

स्थान: दिल्ली
तिथि: 2.9.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK
दिल्ली अंचल कार्यालय
15, एनबीसीसी टावर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66
फोन : 011–28164817 / 28107769 ; फैक्स : (011) 28171554 ई–मेल : legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
दिनांक : 30–08–2019

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 19–06–2019 जारी की थी, जिसमें 1. श्री शिव नंदन (उधारकर्ता), 2. श्रीमती पर्मिला (उधारकर्ता) से ₹ 14,09,078/- (रुपए चौदह लाख नौ हजार अठहत्तर मात्र) + अनपेक्षित ब्याज @ 9.10% प्रति वर्ष, 19–06–2019 की प्रचलित तिथि से शर्तिया दर पर लागू नहीं किया गया ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। (सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई थी)।

कर्जदार एवं गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार एवं गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा 30 अगस्त, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

जबकि विशेष रूप से कर्जदार एवं गारंटर को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उपरिवर्णित बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार एवं गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है : आवासीय मकान की समतुल्य बंधक मुस्तासिल नंबर 184, किला नंबर 10, सवाडी 5 कनाल, 3/112 का हिस्सा, 3 मरला, शक्ती कॉलोनी, रेवाड़ी, हरियाणा में माप 93.00 वर्ग गज में स्थित

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 में आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)
शाखा कार्यालय: दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
(1) कर्जदार: श्री संत राम (आवेदक एवं मृतक) श्री जगराम पुत्र स्व0 हरि दास के माध्यम से एवं स्व0 संत राम के अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारी, मकान नं.308, सेक्टर–17बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ0प्र0–201012 और श्री संत राम (मृतक) के अन्य सभी कानूनी वारिस जिनके पते अज्ञात हैं। (2) श्री श्री राम पुत्र स्व0 हरिदास (सह–आवेदक) मकान नं.एल–25, रेलवे रोड, गाजियाबाद, उ0प्र0–201001 एवं फ्लैट नं.बी–39/1, राजधी होम्स, निकट मॉच–बम्हेटा (आनंद अस्पताल के पीछे) लाल कुआं, गाजियाबाद, उ0प्र0–201002	आवासीय सम्पत्ति का साम्यिक बंधक जो बिना छत अधिकार के भूतल पर (फ्लैट का पिछला हिस्सा) प्लॉट नं. 52 (पुराना नं.63) पर बिल्डर फ्लैट, अर्जुन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001. सम्पत्ति का क्षेत्र: 43.10 वर्ग मीटर एवं कवर्ड क्षेत्र: 700 वर्गफीट। स्वामित्व: श्री संत राम (मृतक) पुत्र स्व0 हरि दास, जो घिरा है:– उत्तर: एक ही इमारत पर दुकानें दक्षिण: अन्य सम्पत्ति पूर्व: प्लॉट नं.51 पश्चिम: प्लॉट नं.53	29.05.2019 को एनपीए 02.09.2019 को बकाया ₹.10,32,759.61 (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 02.09.2019
प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

RattanIndia
रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(CIN: L40101DL2010PLC210263)
पंजीकृत कार्यालय : एन. नं. 9, छठी मंजिल, सैंक्टम हाउस, नई दिल्ली -110016
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाईट: www.rattanindia.com/nl ई-मेल: ir@rattanindia.com

9वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) की 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2019 को दोपहर 12.00 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उन्हें भेज दी गई है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर स्थानांतर बुक्स एजीएम के लिए बुधवार, 18 सितम्बर 2019 से गुरुवार, 26 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, अपने तैयार संदर्भ के लिए एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.rattanindia.com/nl और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट जहां कंपनी के शेयर सूचीबध्द हैं यानि बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर अपलोड कर दिये गए हैं और पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय के समय में निरिक्षण कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रिकॉर्ड करने लिए कट ऑफ तिथि गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2019 रहेगी। एजीएम नोटिस www.rattanindia.com/nl तथा https://evoting.karvy.com (यह वेबसाईट दूरस्थ मतदान के लिए कार्वी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्वी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अध्यासक कंपनी सचिव श्री संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते है, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एजीएम सूचना के साथ है https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, सहायक-महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 तथा evoting@karvy.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032 पोस्ट पर लिख भी सकते है।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
सही/-
आर. के. अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2019

RattanIndia
रतनइंडिया पावर लिमिटेड
(CIN: L40102DL2007PLC169082)
पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, मांडावाली, नई दिल्ली - 110037
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाईट: www.rattanindia.com/rpl, ई-मेल: ir@rattanindia.com

12वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2019 को सुबह 10.00 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उन्हें भेज दी गई है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर स्थानांतर बुक्स एजीएम के लिए बुधवार, 18 सितम्बर 2019 से गुरुवार, 26 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, अपने तैयार संदर्भ के लिए एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.rattanindia.com/rpl और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट जहां कंपनी के शेयर सूचीबध्द हैं यानि बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर अपलोड कर दिये गए हैं और पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय के समय में निरिक्षण कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रिकॉर्ड करने लिए कट ऑफ तिथि गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2019 रहेगी। एजीएम नोटिस www.rattanindia.com तथा https://evoting.karvy.com (यह वेबसाईट दूरस्थ मतदान के लिए कार्वी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्वी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अध्यासक कंपनी सचिव श्री संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते है, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एजीएम सूचना के साथ है https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, सहायक-महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 तथा evoting@karvy.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032 पोस्ट पर लिख भी सकते है।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-
ललित नारायण मठपति
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, भूपेश्वरा गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की" धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खाते के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणी/ों/सह ऋणी/ों/ गारन्टर बंधककर्ता/ों (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणी/ों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार राशि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं कराये हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 पाराग्राफ 4 व 14 के अन्तर्गत कब्जा उठाने हेतु रवाना होगा। जिसमें जनता वालों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की कार्रवाई तथा सरफेसी विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आम ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य की ब्याज तथा खर्चा एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करायें। इसके अतिरिक्त आम ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना भुगतान में निर्दिष्ट आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टा द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 6 (2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उठाया सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री का आयोजन के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

| ऋणी/सहऋणी/बन्धककर्ता/गारन्

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

निविदा

बैंक ऑफ बड़ौदा देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 हेतु हाउसकीपिंग एवं सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण एवं आवेदन फार्म बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के ऐच्छिक अनुभाग में उपलब्ध किए गए हैं।

किसी प्रकार के परिशिष्ट, संशोधन अथवा परिवर्तन होने पर इसे वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा. आवेदकों से अनुरोध है कि वे अंतिम प्रस्तुति से पूर्व इसे देख लें।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 24.09.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक है. आवेदन शुल्क – रु. 1000/- प्रति आवेदन (गैर-रिफंडेबल) है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 04.09.2019

सहायक महाप्रबंधक
(जीएडी)

Karur Vysya Bank
Smart way to bank

द करूर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

संदर्भः अधोलिखित 1) श्री सैकुल, पुत्र उमर मोहम्मद तथा 2) श्रीमती शकीरा, पत्नी सैकुल, दोनों निवासीः एफ-113, शुभाश्रय, भिवाडी, ग्राम-इशरोडा, भिवाडी-301707 को भेजी गई श्री सैकुल की ऋण खाता में बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना

जैसा कि आप ने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को उपरोक्त ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा यह खाता 29.5.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक ने 7.8.2019 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपकी रु. 9,01,689.79 (रुपये नौ लाख एक हजार छः सौ नवासी तथा पैसे उन्यासी मात्र) की बकाया राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था। सूचना की एक प्रति एफ-113, शुभाश्रय, भिवाडी, ग्राम-इशरोडा, भिवाडी-301707 के परिसर में भी चिपकाई गई है।

जैसा कि पंजी. डाक/कूरियर से हमारे द्वारा भेजी गई सूचना सर्व नहीं हो सकी तथा वापस लौट आई। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि एससीओ-05, पायल सिनेमा के निकट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-14, गुड़गांव-122001, हरियाणा में बैंक में आएं तथा बकाया ऋणों, बैंक के पास चार्ज्ड प्रतिभूतियों आदि का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिये अपने हित में सूचना की प्रति प्राप्त करें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 28.7.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पास नीचे वर्णित हाइपोथेकेट/गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

आवासीय फ्लैट नं. एफ-113, शुभाश्रय, भिवाडी, ग्राम-इशरोडा, भिवाडी-301707

तिथि: 4.9.2019
स्थान: भिवाड़ी

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परियोजना) सी.एल. जोन का कार्यालय
सिंघोरा कलां, शक्ति नगर, नई दिल्ली-110052
टेली. नं.011-23654558

म.ई.ईभा./टीसी/सीएलजेड/2019-20/01 दिनांक: 30.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.सं.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम के खर्चा	प्रारंभ तारीख	समाप्ति समय
1.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध का प्रारंभ	30.08.2019	अपराह्न 17.30 बजे
2.	निविदा दस्तावेज जारी करने का प्रारंभ	04.09.2019	अपराह्न 17.31 बजे
3.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध का अंत	17.09.2019	अपराह्न 17.00 बजे
4.	निविदा दस्तावेज जारी करने का अंत	18.09.2019	अपराह्न 17.30 बजे
5.	निविदा दस्तावेज समाप्ति की तारीख एवं समय	20.09.2019	अपराह्न 14.00 बजे
6.	लागत खुलने की तारीख एवं समय	20.09.2019	अपराह्न 14.15 बजे

कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (परियोजना)/सिविल लाइन जोन द्वारा क्र.सं. 1 पर कार्य के निष्पादन हेतु (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत अनुमोदित वर्ग चार अभिकर्ताओं एवं क्र.सं. 2 पर विद्यालय भवन के पुनर्वास कार्य के निष्पादन हेतु विभेदीकृत एजेंसियों (खुली बोली भी) से मद दर/प्रतिशत दर निविदा कॉल अभिलेख माध्यम से वेबसाइट https://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.1, कार्य का नाम: सिविल लाइन जोन में मुखर्जीपुर क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय जनता विहार का निर्माण। उप-शीर्ष: चार दीवारी, आम डैक का निर्माण और विविध कार्य। FTC No.19/24/XL-VII-Edu./PC-201, लेखा शीर्ष: XL-VII-Edu., निविदा राशि: रु. 2,12,28,654/-, धरोहर राशि: रु. 4,24,600/-

क्र.सं.2, कार्य का नाम: सी-17/एन/सीएलजेड में नगर निगम प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में छत और मुख्य भवन का वर्गीकरण तथा मुद्दीकरण। FTC No.19/24/XL-VII-Edu./PC-201, लेखा शीर्ष: XL-VII-Edu., निविदा राशि: पार्ट 'ए' रु.1,43,09,091/- पार्ट 'बी' / मद दर, धरोहर राशि: रु.4,29,300/-

मद संख्या 1 के लिए निविदा लागत 1500/- रुपए तथा मद संख्या 2 के लिए 1000/- रुपये है। मद संख्या 1 के लिए कार्य पूरा करने का समय 6 महीने तथा मद संख्या 2 के लिए 12 महीने है। सभी मदों के लिए दर मान्य रहने की अवधि छः महीने है।

- हस्ता. -
अधिशासी अभियंता (परियोजना) सीएलजेड

R.O. No. 78/North/DPU2019-20

मिडईस्ट इन्टीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड

CIN:L74899DL1992PLC050216

पंजीकृत कार्यालयः मेस्को टावर्स एच 1, जमरुदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

फोन नं.: 011-40587085, वेबसाईटः www.mescosteel.com

वित्त वर्ष 2011-12 के लिये अप्रदत्त लाभांश (अंतिम) तथा एसे अंडरलाइंग शेयरों जिस पर वित्त वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले लगातार 7 वर्षों में लाभांश अप्रदत्त/दावा-रहित रहा है, का आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष) में अंतरण

प्रिय शेयर धारकों,

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तथा 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी तथा उसके बाद समय-समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2006 (नियमावली) के प्रावधानों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

नियमावली में अन्य बातों के अलावे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष खाता (आईईपीएफ खाता) में ऐसे सभी शेयरों के अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा शेयरधारकों द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है।

ऐसे सभी शेयरधारकों जिनका वित्त वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाली अवधि के लिये कम्पनी की अप्रदत्त लाभांश खाता में उनके फोलियो/डीपी आईडी, क्लाइन्ट आईडी के समक्ष अप्रदत्त लाभांश पड़ी है तथा साथ हीं जिनका शेयर आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत है, की सम्पूर्ण सूची कम्पनी की वेबसाईट पर निवेशक सम्पर्क खंड के दावे रहित लाभांश खंड में प्रकाशित है।

भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखें कि कम्पनी उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र(नों) की जगह आईईपीएफ में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिये नवीन शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अविचारणीय माना जायेगा। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुसार आईईपीएफ खाता में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि 15 अक्टूबर, 2019 तक कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई वैद्य दावा प्राप्त नहीं होता है तो नियमावली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण/आईईपीएफ खाता में नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद तत्स्थनीय शेयरों तथा दावा-रहित लाभांश (26 सितम्बर, 2012 को कम्पनी द्वारा घोषित) का अंतरण करेगी।

यदि इस विषय में शेयरधारकों का कोई प्रश्न हो, वे कम्पनी के रस्ट्रिार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा. लि. से डी-153/ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली, दिल्ली, 110020, ईमेलः admin@skylinerta.com पर सम्पर्क करें।

निदेशक मंडल के ओदश से
मिडईस्ट इन्टीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रीता सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 30.08.2019

सिक्योर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

545, कीर्तन वाली गली, छोटी बजरिया, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.)
ई-मेलः agar@bol.net.in, वेबसाईटः www.secureindustriesltd.in, फोन नं. 011-23262982, CIN: U74120UP1989PLC019383

30वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कम्पनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में भजगोविन्दम बैंक्वेट, वोल्गा प्लेस, वसंत रोड, गाजियाबाद- 201001 (उ.प्र.) में
2. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 (''नियमावली'') के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई (''रिमोट ई-वोटिंग'') सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर उसी पद्धति में मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। 30वें एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.secureindustriesltd.in पर भी उपलब्ध है:
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात 24 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धति या डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा 30वें एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान 25 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा में शुरू होगी। तथा 27 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी, उसके वाई एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। 30वें एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है; तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य एनएसडीएल की वेबसाईट पर उपलब्ध help एवं FAQ/s खंड देखें अथवा evoting@nsdl.com पर ई मेल करें जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी समस्याओं को संबोधित किया जायेगा।
4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की इक्विटी शेयरों के लिये शेयर अंतरण पुस्तकें 26 सितम्बर, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित)तक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिये अधिकृत सदस्यों के नामों को सुनिश्चित करने के लिये बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
सिक्योर इंडस्ट्रीज के लिये
हस्ता./-
निदेशक

तिथि: 20.8.2019

रूद्राभिषेक एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L74899DL1992PLC050142

पंजी. कार्यालयः 820, अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 3.30 बजे अप. में वाईडब्ल्यूसीए बिल्डिंग, कॉन्स्टैंशिया हॉल, 1, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001 में आयोजित की जायेगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 26 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम एवं लाभांश की घोषणा तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में सूचना में संलग्न विवरण तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 28वीं एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को उनके डाक के पते पर/ कम्पनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (डीपी'ज)/ रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आर एंड टी एजेन्ट) के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी गई है। सूचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.repl.global से भी डाउनलोड की जा सकती है।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2019 को सदस्यों/ लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग एवं सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान प्रक्रिया का संचालन करने के लिये कम्पनी श्री प्रदीप देवनाथ, मै. प्रदीप देवनाथ एंड क., कम्पनी सेक्रेट्रीज के कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। एजीएम स्थल पर मतदान की प्रक्रिया भौतिक मत पत्र द्वारा संचालित की जायेगी।

यदि ऐसा जरूरी हो, कोई भी सदस्य डुप्लिकेट वार्षिक रिपोर्ट के लिये कम्पनी से अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप श्री विकास गुप्ता, कम्पनी सचिव से secretarial@replurbanplanners.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
रूद्राभिषेक एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
विकास गुप्ता
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 3.9.2019

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

आईजीएल भवन, प्लॉट नंबर 4, अम्बेडकर सेंटर, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-110075
फोन: 46874000, फैक्स: 25171003, ई-मेल: investors@igl.co.in, वेबसाइट: www.igloonline.net
सीआईएन: L10102DL1998PLC095694

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को 11.30 बजे एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण का कार्य पूरा कर लिया है और यह उपलब्ध कंपनी की वेबसाइट www.igloonline.net पर उपलब्ध है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके अधीन लागू नियमों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, आगामी वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के प्रयोजन के लिए, यदि घोषित किया जाता है, तो शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 से मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 तथा संशोधित के नियम 20 और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को कार्यों निष्पादन प्रतिभूति लिमिटेड ("कार्वी") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वोटिंग करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा दे रही है।

विवरण निम्नानुसार है:

- रिमोट ई-वोटिंग या मतदान के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ तिथि (यानी रिकॉर्ड तिथि) 17 सितम्बर, 2019 है। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या निपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2019 को दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग/बैलट पेपर की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- यह व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हैं तथा कंपनी का सदस्य बना है और कट-ऑफ तिथि को लाभकारक है, वह फॉलियो नं./डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उपयोग करते हुए evoting@karvy.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए कार्वी के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 21 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी और 23 सितम्बर, 2019 को सायं 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- कंपनी द्वारा बैठक में भी वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और बैठक में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं किया है, उनको वार्षिक आम बैठक में वोट करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने से पहले वोट किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु वे फिर से वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों के मामले में, श्री रमेश देसाई, (यूनिट: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 पर या ई-मेल आईडी: evoting@karvy.com, दूरभाष: 040-67162222 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वोटिंग के परिणामों की घोषणा संबद्ध विनियमावली के तहत निर्धारित अनुसार की जाएगी और अपरिवर्तित कंपनी की वेबसाइट और कार्वी की वेबसाइट पर प्लेस किए जाएंगे। ई-वोटिंग के संबंध में पूछताछ के मामले में https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल और सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") देखें या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए टोल फ्री नं. 1800-3454-001 पर संपर्क करें।

हस्ता/-
एस. के. जैन
(कम्पनी सचिव)

दिनांक: 02.09.2019
स्थान: नई दिल्ली

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड

सीआईएन: U99999DL2001PLC110398
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 1, 210-जस्टिस चंदावर, दूसरी मंजिल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, नेहरू विहार फेज-4, दिल्ली- 110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फैक्स: 0120-2328010
ईमेल आईडी: cs@indiaexpocentre.com, www.indiaexpomart.com

18वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 26 सितम्बर 2019 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे गवर्नमेंट सर्वेंट कोपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कल्याण केंद्र, 3, पॉलिमर मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057 में आयोजित की जा रही है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सूचना के साथ सभी पंजीकृत सदस्यों के ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। इसकी भौतिक प्रतियां स्वीकृत रूप में अन्य सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

यह कंपनी की वेबसाइट www.indiaexpomart.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एजीएम की नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डेपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। बिजनेस से संबंधित दस्तावेज एजीएम की तारीख तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी दिन निर्धारित कारोबारी घंटे के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। एजीएम की भौतिक प्रतियों की सूचना प्रेषण का कल, 02 सितम्बर 2019 को पूरा हो चुका है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार, नियम जैसा कि संशोधित, कंपनी ने सदस्यों को नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। कृपया ई-वोटिंग पर निर्देशों के बारे में एजीएम की सूचना देखें।

रिमोट ई-वोटिंग 21 सितम्बर 2019, शनिवार को सुबह 10.00 बजे (भारतीय मानक समय/आइएसटी) शुरू होगी और 25 सितम्बर 2019, बुधवार को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय/आइएसटी) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त समय और तारीख के बाद नहीं दी जाएगी।

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट-ऑफ तारीख 19 सितम्बर 2019 मुकर्रर है।
- एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में और / या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरीज और सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचियों के अनुसार, कट-ऑफ डेट पर, यानी 19 सितम्बर, 2019 को होगा, बैठक में उपलब्ध दूरस्थ ई-वोटिंग या मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए और बैठक में अनुमोदित होने पर लाभांश के हकदार होने का हकदार है।
- कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है या कंपनी का सदस्य बना है अथवा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया है, तो फोलियो नंबर का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in या cs@indiaexpocentre.com पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- कंपनी बैठक के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से उन सदस्यों को मतदान की सुविधा प्रदान करेगी जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है।
- बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी स्थान के लिए आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न की सहायता ले सकते हैं। किसी प्रकार की शिकायत के लिए, आप एनएसडीएल की प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से 022-24994545 या टोलफ्री नंबर 1800-222-990, ईमेल: pallavid@nsdl.co.in अथवा evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित शिकायतों का भी समाधान करेंगी।
- आवश्यक नियमों के तहत निर्धारित कर मतदान का परिणाम घोषित किया जाएगा और इसे उपरोक्त कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
अनुपम रानी
कंपनी सचिव

सितम्बर 04, 2019
दिल्ली

शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः 13/1207, कलाश्री रोड, राजापुरा-247001, (उ.प्र.)

नियम-8(1) अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.05.2019 जारी कर ऋणकर्ता 1. श्री श्रवण सैनी पुत्र श्री इन्दिरा सैनी 2. श्री राम कुमार पुत्र श्री मुलाराम 3. श्रीमती पुनम देवी पत्नी श्री हरी सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 6,77,634.97/- (रुपये छः लाख सतहत्तर हजार छः सौ चौंतीस एवं सत्तानवे पैसे मात्र) ऋणभुगतान हेतु राशि को वापस लौटाने में विफल रहे अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ता/ गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.08.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित राशि का व्यवहार न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवहार राशि रु. 6,77,634.97/- (रुपये छः लाख सतहत्तर हजार छः सौ चौंतीस एवं सत्तानवे पैसे मात्र) से तथा 28.03.2019 से अनुबंधित दर पर ब्याज का भार तथा (सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (8) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद, लागू की गई कोई भी लागतें) लागत के अधीन शिवालिक मर्केंटाइल बैंक को-ऑपरेटिव बैंक लि. के भार के अधीन होगा।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

बैंक लाकर्स नोडल, पनीत पलाजा कनौट, हजरतगंज- लखनऊ, गाजियाबाद जिला का स्थित फ्लैट 37.02 वर्गमीटर क्षेत्रफल सम्पत्ति जो कि श्रवण कुमार सैनी पुत्र इन्दिरा सिंह के नाम से है।

सम्पत्ति का विवरण
उत्तर: गली — पूर्व: श्री हरीश कालोनी का प्लाट
दक्षिण: पब्लिक सड़क — पश्चिम: हरीश अकादमी का प्लाट

नोट: कोई भी नोटिस इससे पहले जो कि धारा 13(4) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत जारी किया गया है उसे अमान्य माना जाएगा।

दिनांक: 28.08.2019
स्थान: गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड

(सीआईएन: U23200DL1974PLC029058)
पंजीकृत कार्यालयः 212ए, 216 एवं 222, द्वितीय तल, इंद्रप्रकाश, 21, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन नंबर: +91 11 43570200, फैक्स: +91 11 23717203
वेबसाइट: www.kplintl.com, ई-मेल: info@kplintl.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के अनुपालन में उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कर देगी, जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष अथवा अधिक से लाभांश अदत्त रहा है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है। उक्त शेयर उन शेयरधारकों के हैं, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए तथा किसी भी अनुवर्ती वर्ष के लिए लगातार सात या अधिक वर्षों हेतु लाभांश की मांग नहीं की गई है।

आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी उन शेयरधारकों को उनके संबंधित उपलब्ध पते पर विशिष्ट सूचना पहले ही भेज चुकी है जिनका लाभांश लगातार सात (7) या अधिक वर्षों हेतु मांगा नहीं गया है। उक्त सूचना में, उनके के साथ, आईईपीएफ को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण भी दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ("आईईपीएफ नियमावली") के नियम 6(3) के निबंधनों में, एक विवरण, जिसमें नाम पता, फोलियो नंबर तथा आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या दी गई है, हमारी वेबसाइट पर शेयरधारकों की जानकारी तथा अनुवर्

SBI

एस्ट्राइज़ व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E & TA) विभाग,
स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र-4

कृपया "एस्ट्राइज़ आर्किटेक्चर (ई) टूल के प्राप्ति, संस्थापन, संरक्षण और रखरखाव" के लिए आरएफपी सं. एसबीआई/डीआईटीसी/एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर/2019/2020/617 दिनांकित 25/07/2019 का संदर्भ लें, **शुद्धिपत्र-4** बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज़' के अंतर्गत उपलब्ध है

हस्ता/-
प्रमुख (E & TA)

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 04.09.2019

यूनिमोड ओवरसीज लिमिटेड

304ए/10178, तीसरा तल, रविन्दर प्लाजा, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ई–मेलः unimodeoverseaslimited@gmail.com वेबसाइट www.unimodeoverseas.in
सीआईएन.: L51909DL1992PLC048444 फोन नं: 011–43685156

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूनिमोड ओवरसीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को अप. 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय रविन्दर प्लाजा, चौथा तल, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सूचना में वर्णित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और इसके कम्पनी की वेबसाइट www.unimodeoverseas.in पर भी प्रकाशित किया गया है। सदस्यों को 3 सितम्बर, 2019 को स्वीकार्य पद्धति के माध्यम से भौतिक प्रतियां भी भेज दी गई हैं। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है।

वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।
ख) रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय : 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे
ग) रिमोट ई–वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे
घ) एजीएम के स्थान पर वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 है।
ङ) कोई व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है वह ई–मेलः evoting@nsdl.co.in या beetalrta@gmail.com (आरटीए, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.) पर अपना फोलियो नं./डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी आदि दर्शाते हुए अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, ऐसा शेयरधारक यदि ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
च) 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
छ) सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वह एजीएम में अपना वोट दे सकते हैं। कम्पनी ने इस संबंध में एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर की व्यवस्था की है।
ज) सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वे भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
झ) सदस्यगण जिनका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग (27 सितम्बर 2019 से 29 सितम्बर, 2019 के बीच) के साथ ही 27वीं एजीएम में वोट देने के लिए योग्य होंगे।
ञ) 27वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.unimodeoverseas.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।
ट) किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण एनएसडीएल वेबसाइट https://www.evoting@nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर हेल्प एवं एफएक्यू सैक्शन को देख सकते हैं या एनएसडीएल से टेलीफोन नं. 022–24994587 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते यूनिमोड ओवरसीज लिमिटेड
हस्ता./–
संजीव पाहवा
निदेशक
डीआईएनः 02876785

तिथिः 03.09.2019
स्थानः नई दिल्ली

पुरूषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एल–7, मेंज फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली–110016
सीआईएन.: L65910DL1988PLC033799 वेबसाइटः www.purshottaminvestofin.in
ई–मेलः purshottaminvestofin@gmail.com फोनः 011–46067802,

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे नं. 33बी, राधे मोहन ड्राइव, गांव–फतेहपुर बेरी, दिल्ली–110074 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।

30वीं एजीएम के आयोजन की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 05.09.2019 को या उससे पूर्व उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं उन सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में भेजी गई हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों उन सदस्यों को कम्पनी की बैठक में सम्पादित कामकाज पर ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है जिन्होंने कट–ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण किये हैं । सदस्यगण बैठक के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने एनएसडीएल को नियुक्त किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार है:

1. रिमोट ई–वोटिंग अवधि बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी।
2. 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी की शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी।
4. कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2019 को शेयर अधिग्रहित करता है और वह evoting@nsdl.co.in or sm@masserv.com पर अनुरोध भेजकर लागइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
5. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in एवं www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
6. ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए आप www.evoting@nsdl.co.in पर डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध एफएक्यू एवं ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। या टोल फ्री नं 1800.222.990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
7. सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। बैलेट की सत्यता के बारे में पर्यवेक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में सदस्यगण जिन्होंने ई–वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाया है वह कम्पनी की एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं जो कि एजीएम के स्थान पर वितरित किया जाएगा।

पुरूषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड
हस्ता./–
अंकित गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. ए55201

तिथिः 03.09.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
विअन एक्स एक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	विअन एक्स एक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	27 जुलाई, 1995
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1995PTC07191
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सुट # 4, 502, 5वां तल, सहयोग बिल्डिंग-58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	23 अगस्त, 2019 (माननीय एनसीएलटी से आईआरपी से 30 अगस्त, 2019 को सूचना प्राप्त की)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	18 अगस्त, 2019
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नामः श्री गोपाल लाव बसेर पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00553/2017-2018/11677
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पंजी. पताः मकान सं. एम 356, प्रथम तल, आर्चिड आईलैण्ड, सेक्टर 51, गुड़गांव, हरियाणा, 122001 ई–मेलः gopal.baser@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः रीसर्जेन्ट रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल एलएलपी, 905, 09 वां तल, टावर सी, यूनीटेक बिजनेस जोन, द क्लोज साउथ, सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा-122018 ई–मेलः cirp.wianxximpex@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13 सितम्बर, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वित्तीय क्रेडीटर्स
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. श्री वृज नंदन कालरा-IBBI/IPA-003/IP-N00014/2017-18/10103 2. श्री अनुराग निरबाहाया-IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-18/11468 3. श्री अनिल तायल-IBBI/IPA-001/IP-P01118/2018-19/11818
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) www.ibbi.gov.in ख) www.resargentrp.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 23 अगस्त, 2019 को (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली से आईआरपी ने 30 अगस्त, 2019 को सूचना प्राप्त की) विअनएक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा विअन एक्स एक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 13 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे क्रमशः ऑपरेशनल क्रेडीटर्स, वित्तीय क्रेडीटर्स, कर्मियों अथवा कर्मचारियों, कर्मियों एवं कर्मचारियों के समूह के प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं अन्य क्रेडीटरों द्वारा भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव) विनियमन 2015 के विनियमन, 7,8, 8ए, 9 एवं 9ए के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्रों बी, सी, सीए, डी, ई एवं एफ, जैसा भी मामला हो, में जमा किये जा सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- लागू नहीं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./- गोपाल लाल बसेर
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00553/2017-2018/11677

तिथिः 01 सितम्बर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Registered Office: GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027
Landline: (91)-11-45613685 CIN: L74899DL1995PLC064065
Web: http:/www.newlightapparels.com E-Mail: newlightapparels@gmail.com

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2019 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027 to transact the business set out in the said notice.

The notice along with annual report has been dispatched to all the members at their registered address or e-mail ids on or before 03rd September, 2019 and the same is also available on the website of the Company at www.newlightapparels.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the said notice. The remote e-voting period begins on Wednesday, 25th September, 2019 at 9.00 am and ends on Friday, 27th September, 2019 at 5.00 pm. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 21st September, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing/ conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September, 2019 to 28th September, 2019 for the purpose of the AGM of the Company year ended 2019.

By order of the Board
For New Light Apparels Limited
Sd/-
Shilpa Bansal
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 03rd September, 2019
Place: New Delhi

धाम होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN No.: U51109UP1995PLC057371
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 82, सेक्टर–44, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा–201301 (उ.प्र.)
सम्पर्क सं.: 0120-4351000, फैक्सः 0120-4234862
ई–मेल आईडीः corporate_expro@jpl.com

22वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **धाम होल्डिंग्स लिमिटेड की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 10:30 बजे पूर्वा. में प्लॉट–12, सेक्टर–44, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश** में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुपालन में एतद्द्वारा पुनः **सूचित** किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित)** तक बंद रहेंगी।

उनके अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को कट–ऑफ तिथि है, को शेयर धारित करने वाले अपने सदस्यों की कंपनी की एजीएम में निष्पादित की जाने वाली व्यवसायों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण धाम के कार्यालय स्थल से क्रमशः के स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में विवरण इस प्रकार है:

1. एजीएम सूचना प्रेषण की पूर्णता की तिथि: **02 सितम्बर, 2019**
2. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **मंगलवार, 24.09.2019 को 9:00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 26.09.2019 को 5:00 बजे अपरा. में बंद होगी।**
3. **26 सितम्बर, 2019 को 5:00 बजे सायं** के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बना है तथा जो कट–ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को कंपनी का सदस्य है, वह www.evotingindia.com अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा कंपनी को अनुरोध भेज कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
5. एजीएम की सूचना में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी उल्लेख की गई है। जो सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.cdslindia.com/r-voting/evotingInstanceAccResults.aspx पर उपलब्ध है।
6. यदि ई–वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो, आप www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध frequently asked questions ("FAQs") तथा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा श्री राकेश दलवी, सहा. प्रबंधक, सीडीएसएल, ए–विंग, 25वीं मंजिल, मराठा मंदिर महल, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई–400001, ई–मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई–वोटिंग हेल्पलाइन नं. 1800-200-5533 (टोल फ्री) से सम्पर्क करें।
7. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किए होने के बावजूद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी मतदान की वैधता पर पर्यवेक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

जिन सदस्यों के पास रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो एजीएम में विशिष्ट किए जाने वाले मतपत्र को जमा कर कंपनी की एजीएम में अपना मतदान कर सकते हैं।

निदेशक मंडल की आदेश से
धाम होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./–
राकेश मथुर
निदेशक
DIN: 00008336

स्थान: नोएडा
दिनांक: 03.09.2019

Punjab & Sind Bank

Branch Office: SD College, Ghaziabad

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.05.2019 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0 गोकुल ट्रेडर्स प्रो0 श्री बालेश्वर प्रसाद गोयल पुत्र श्री चन्द्रभान (उधारकर्ता) और श्रीमति सुजानी देवी पत्नि श्री बालेश्वर प्रसाद गोयल (गारण्टर) और श्रीमति रोली गुप्ता पत्नि श्री राकेश कुमार (गारण्टर) खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 662132/– (रूपये छः लाख बासठ हजार एक सौ बत्तीस केवल) जमा करने की तिथि तक पर ब्याज दिनांक 01.05.2019 तक जमा करने को कहा गया था। तीन रूपये 685909/– (रूपये छः लाख पिचानवे हजार नौ सौ नौ केवल दिनांक 01.08.2019 से ब्याज) दिनांक 01.08.2019 तक ब्याज सहित जमा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि जमा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28 अगस्त 2019 को निम्नलिखित वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से सम्पत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गाजियाबाद को देय धनराशि रू.– 685909/– (रूपये छः लाख पिचानवे हजार नौ सौ नौ केवल) जमा करने की तिथि 01.08.2019 तक कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

सम्पत्ति भूमि और इमारत सी– 386, सैक्टर–4, आजाद नगर कौशांबी, गाजियाबाद 201010– 201005 **जिसकी सीमाएं– उत्तर** में प्लॉट नं. 388, **दक्षिण** में रोड 60 फिट चौड़ा, **पूर्व** में सी–385 का रिमेनिंग हिस्सा और **पश्चिम** में 30 फिट चौड़ा रोड।

दिनांक: 28.08.2019
स्थान: गाजियाबाद।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आईएम + कैपिटल्स लिमिटेड

CIN: L74140DL1991PLC340407
पंजी. कार्या.: 510, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 2.30 अप. में वाईडब्ल्यूसीए बिल्डिंग, कॉन्स्टैशिया हॉल, 1, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जायेगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 26 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में सूचना में संलग्न विवरण तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 28वीं एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को उनके डाक के पते पर/कम्पनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (डीपी'ज)/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरएंडटी एजेन्ट) के पास पंजीकृत ई–मेल पते पर भेज दी गई है। सूचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट **www.imcapitals.com** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमनों के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी लिंक इन्टाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) की ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कम्पनी की 28वीं एजीएम के आमंत्रण की सूचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई–वोटिंग) से अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि ई–वोटिंग 23.9.2019 (9.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी तथा 25.9.2019 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। कृपया ध्यान रहे कि उक्त तिथि एवं समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान करने के लिये कृपया **http://instavote.linkintime.co.in** देखें।

जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2019 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई–वोटिंग एवं सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतदान प्रक्रिया का संचालन करने के लिये कम्पनी श्री प्रदीप देवनाथ, मै. प्रदीप देवनाथ एंड क., कम्पनी सेक्रेट्रीज के कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे imcapitalslimited@gmail.com पर अनुरोध भेजकर यूजर–आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम स्थल पर मतदान की प्रक्रिया भौतिक मत पत्र द्वारा आयोजित की जायेगी। रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद भी कोई सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन सभा में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

यदि ऐसा जरूरी हो, कोई भी सदस्य डुप्लिकेट वार्षिक रिपोर्ट के लिये कम्पनी से अनुरोध कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों अथवा समस्याओं को नामः सुश्री शिखा मेहरा चावला, पदनामः कम्पनी सचिव को imcapitalslimited@gmail.com पर संबोधित किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेश से
आईएम + कैपिटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
शिखा मेहरा चावला
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3.9.2019

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED

Regd. Office: Shop No. 1 & 3, E-14/6, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002
CIN- L65910UP1993PLC070612
Email ID: annainfra@gmail.com; **Ph. No.** 0562-2528050
Website: www.annainfrastructures.com

NOTICE

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held at Shop No. 1 & 3, E-14/6, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 on Monday, 30th September, 2019 at 2 PM onwards to transact ordinary business as set out in the notice of 27th AGM dated 13th August, 2019. The said notice along with proxy form, attendance slip and Annual Report together with Financial Statement have been dispatched to all Members at their registered address by prescribed mode and electronically to those Members who have e-mail address on 3rd September, 2019. The same is available on the website of the Company mentioned above.

BOOK CLOSURE: Notice is further given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24-Sep-2019 to 30-Sep-2019 (both day inclusive) for the purpose of AGM.

E-VOTING

The details regarding the E-voting required by the Rules of the Companies Act, 2013 are given hereunder:

1. Date of completion of Dispatch of Notice: 3rd September, 2019.
2. Date & time of commencement of e-voting: 10:00 A.M (IST) on Friday, 27.09.2019.
3. Date & time of end of e-voting: 5:00 P.M (IST) on Sunday, 29.09.2019.
4. E-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M (IST) on Sunday, 29.09.2019and any Form received thereafter would be strictly treated as if reply has not been received.
5. The Notice of Annual General Meeting along the Form and instructions for e-voting are also available on the website of CDSL www.evotingindia.com and on the website of the company www.annainfrastructures.com. Shareholders who do not receive the Notice may download it from the abovementioned websites or may request for the copy of the same in writing to the Company Secretary at the abovementioned e-mail id.
6. For any grievances/queries/clarification(s) relating to voting by electronic means, shareholders are requested to contact Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Share Register and Transfer Agent (RTA) at telephone No- 011-29961281-84 or write RTA at beetal@beetalfinancial.com.

For and on behalf of
Anna Infrastructures Limited
Sd/-
Kanchan Agarwal
(Company Secretary)

Date: 03/09/2019
Place: Agra

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.
**CIN: L25209D

बैंक अधिकारी संघों की विलय पर कल दिल्ली में बैठक

हैदराबाद, 3 सितंबर (भाषा)। विभिन्न बैंकों की अधिकारी यूनियनें सरकारी बैंकों के विलय के फैसले का विरोध कर रही है और इसी के मद्देनजर उनकी पांच सितंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। आल इंडिया आंध्रा बैंक आफिसर्स एसोसिएशन ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विलय के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाएंगे।

जेपी समूह की अधूरी परियोजनाओं का मामला

सुप्रीम कोर्ट का एनबीसीसी से जवाब तलब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनबीसीसी से जवाब मांगा कि क्या वह जेपी समूह की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परिवर्तित प्रस्ताव देने का इच्छुक है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को नोटिस जारी कर गुरुवार तक इस विषय पर जवाब मांगा है।

केंद्र की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी माधवी दीवान ने कहा कि विभिन्न दावेदारों के साथ केंद्र की तीन बैठकें हुई हैं और फैसला किया गया है कि वह जेपी समूह को कर में रियायत देने और किसानों का मुआवजा बढ़ाने के लिए तैयार है बशर्ते एनबीसीसी को अधूरी परियोजनाएं पूरी करने दिया जाए। जेपी समूह की ओर से वरिष्ठ वकील फली एस नरिमन और अनुपम लाल दास ने कहा कि एनबीसीसी को अगर परिवर्तित प्रस्ताव देने की अनुमति दी जाती है तो उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समूह को भी अपना प्रस्ताव देने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह बकाएदारों की रकम लौटाना चाहती है और सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।

नरिमन ने कहा कि एनबीसीसी के प्रस्ताव पर गौर करते समय उसके इस विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने इस मामले में यथास्थिति की अवधि अगले आदेश तक बढाने के साथ ही इस मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को नकदी संकट से जूझ रहे जेपी इंफ्राटेक के लिए नई बोलियां लगाने की अनुमति देने संबंधी राष्ट्रीय कंपनी विधिक अपीलीय न्यायाधिकरण के 30 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली जेपी समूह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही पर एक हफ्ते के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

आइडीबीआइ में नौ हजार करोड़ की पूंजी डालने को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

सरकार ने मंगलवार को आइडीबीआइ बैंक में 9,000 करोड़ की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी। इसका मकसद बैंक की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाना है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आइडीबीआइ बैंक में एक बार में पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है। यह पूंजी सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से डाली जाएगी।

उन्होंने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए में से सरकार एक बार में 4,557 करोड़ रुपए आइडीबीआइ बैंक में डालेगी। एलआइसी भी 4,700 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। सरकार ने मंगलवार को ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ईंधन में मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले एथनॉल के दाम में वृद्धि की घोषणा भी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सी-हैवी सीरे से निकलने वाले एथनॉल का दाम 43.46 रुपए लीटर से बढ़ाकर 43.75 रुपए लीटर और बी-हैवी सीरे से निकलने वाले एथनॉल का भाव 52.43 रुपए से बढ़ाकर 54.27 रुपए लीटर किया गया है। गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप से तैयार किए जाने वाले एथनॉल का भाव 59.48 रुपए लीटर तय किया गया है। सरकार ने कहा है कि एथनॉल के बढ़े हुए दाम आने वाले चीनी सत्र 2019- 20 के लिए होंगे और ये दाम एक दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे।

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT DATED JUNE 5, 2019 WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

INTERNATIONAL PAPER APPM LIMITED

Registered Office: Rajahmundry - 533 105, East Godavari District, Andhra Pradesh, India
Telephone:+91 883 2471831; Facsimile: +91 883 2461764; Website: www.ipappm.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 99,42,510 (NINETY NINE LAKHS FORTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND TEN ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES, HAVING FACE VALUE OF INR 10 (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 25% (TWENTY FIVE PERCENT ONLY) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF INTERNATIONAL PAPER APPM LIMITED ("TARGET COMPANY"), FROM THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY WEST COAST PAPER MILLS LIMITED PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) AND 4 AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("SEBI SAST REGULATIONS") AT A PRICE OF INR 452.60 (INDIAN RUPEES FOUR HUNDRED FIFTY TWO AND SIXTY PAISA ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), PAYABLE IN CASH IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SEBI SAST REGULATIONS ("OFFER/OPEN OFFER")

This Corrigendum is being issued by ICICI Securities Limited, the manager to the Offer (**"Manager"/"Manager to the Offer"**), for and on behalf of the Acquirer in respect of the Offer to the eligible public shareholders of the Target Company, pursuant to revisions/amendments in the schedule of activities relating to the Offer.

This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the detailed public statement dated June 5, 2019 (**"DPS"**), unless otherwise specified.

This Corrigendum is being issued pursuant to changes/amendments in the schedule of major activities relating to the Open Offer and the Offer Price as disclosed in the draft letter of offer dated June 13, 2019 (**"DLoF"**), in terms of the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) letter dated August 7, 2019 bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DCR-1/OW/P/2019/20151/1 conveying comments on the DLoF and SEBI letter dated August 26, 2019 bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/21942/I granting extension of time to proceed with the Open Offer related formalities pending receipt of approval from Competition Commission of India.

This Corrigendum is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the Draft Letter of Offer, unless otherwise defined.

1. **Statutory and other approvals:**

In case of delay in receipt or non-receipt of any statutory approvals disclosed in paragraph 7 of the DLoF then in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI SAST Regulations, SEBI may, if satisfied that non-receipt of approvals was not due to any wilful default or negligence on the part of the Acquirer, grant an extension for the purpose of completion of the Open Offer subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the validly tendering shareholders at such rate as may be specified by SEBI. Where the statutory approvals extend to some but not all the shareholders, the Acquirer will have the option to make payment of the consideration to such shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer. In this regard, SEBI has vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/21942/I dated August 26, 2019 has permitted the commencement of the Tendering Period not later than 12 (twelve) Working Days from the date of receipt of the CCI Approval. As required under the SEBI Extension Letter, the Manager to the Offer has on August 27, 2019, intimated the Stock Exchanges about the receipt of the SEBI Extension Letter. Further, as required by the SEBI Extension Letter, the Offer Price would be paid together with interest computed at the rate of 10 percent per annum on the Offer Price from September 25, 2019 *(being the date for completion of payment of consideration calculated in accordance with the SEBI SAST Regulations from the date of receipt of the SEBI Observation Letter)* till October 11, 2019 *(being the date of the actual payment to the Eligible Public Shareholders who successfully tender their Equity Shares in the Offer)*. The interest computed at 10 percent per annum on the Offer Price over such period is INR 1.97 (One Rupee and Ninety Seven Paisa only) per Equity Share.

2. **Details of Firm Financial Arrangements:**

(a) The total consideration for the Offer, assuming full acceptance of the Offer i.e. for the acquisition of up to 99,42,510 (Ninety Nine Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Ten only) Equity Shares at the Offer Price of INR 452.60 (Indian Rupees Four Hundred Fifty Two and Sixty Paisa only) per Equity Share, is INR 449,99,80,026 (Indian Rupees Four Hundred and Forty Nine Crore Ninety Nine Lakhs Eighty Thousand and Twenty Six only) (**"Maximum Consideration"**).

(b) The Acquirer has confirmed that it has adequate financial resources to meet the obligations under the Offer. The Acquirer, the Manager and ICICI Bank Limited, a banking corporation incorporated under the laws of India, acting through its branch office at Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai (**"Escrow Bank"**), have entered into an escrow agreement dated May 29, 2019 for the purpose of the Offer (**"Escrow Agreement"**). Pursuant to the Escrow Agreement and in compliance with Regulation 17(1) of the SEBI SAST Regulations the Acquirer has opened an escrow account named "WCPML-IPAPPML-OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT" (the **"Escrow Account"**) bearing account number 000405119526. The Acquirer has made a cash deposit of a sum of INR 112,49,95,011 (Indian Rupees One Hundred and Twelve Crores Forty Nine Lakhs Ninety Five Thousand and Eleven only) in the Escrow Account (**"Cash Escrow"**) which is an equivalent to 25% (Twenty Five percentage) of the value of the Maximum Consideration. The Manager is duly authorised by the Acquirer to realise the value of the Escrow Account and operate the Escrow Account in terms of the SEBI SAST Regulations.

3. **The Public Shareholders are requested to kindly note the following revisions/amendments in the schedule of major activities relating to the Offer:**

The revised schedule of activities pertaining to the Offer is set out below:

Name of Activity	Original schedule of activities (Day and Date)	Revised schedule of activities (Day and Date)
Date of Public Announcement (PA)	Wednesday, May 29, 2019	Wednesday, May 29, 2019
Date of publishing of the DPS in the newspapers	Thursday, June 6, 2019	Thursday, June 6, 2019
Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, June 13, 2019	Thursday, June 13, 2019
Last date for public announcement of the competing offer(s) as per the first detailed public statement*	Thursday, June 27, 2019	Thursday, June 27, 2019
Last date for receipt of the SEBI observations on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Thursday, July 4, 2019	Wednesday, August 7, 2019**
Identified Date#	Monday, July 8, 2019	Tuesday, August 27, 2019
Last date by which the Letter of Offer is to be dispatched to the Eligible Public Shareholders, whose name appears on the register of members on the Identified Date	Monday, July 15, 2019	Wednesday, September 4, 2019***
Last date for upward revision of the Offer Price and/or Offer Size	Thursday, July 18, 2019	Monday, September 9, 2019
Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation to the Eligible Public Shareholders of Target Company for this Offer	Thursday, July 18, 2019	Monday, September 9, 2019
Date of publication of Offer Opening Public Announcement in the newspapers in which the DPS was published	Friday, July 19, 2019	Wednesday, September 11, 2019
Date of Commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday, July 22, 2019	Thursday, September 12, 2019
Date of Closure of the Tendering Period (Offer Closing Date)	Friday, August 2, 2019	Wednesday, September 25, 2019
Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration for accepted tenders or return of unaccepted/rejected Equity Shares	Tuesday, August 20, 2019	Friday, October 11, 2019
Last date for filing of final report with SEBI	Tuesday, August 27, 2019	Friday, October 18, 2019

** There was no competing offer to the Acquirer's Offer.*

***Actual date of receipt of SEBI's final observation in relation to the Draft Letter of Offer*

**** Being seventh Working Day from the date of receipt of CCI Approval.*

#The Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Eligible Public Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Eligible Public Shareholders of the Target Company (registered or unregistered), are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period.

Note: The above dates wherever they appear in the DPS should be read accordingly.

4. **Other Information:**

4.1. All other terms and conditions of the Open Offer as set out in the DPS and/or in the DLoF remain unchanged

4.2. The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the DPS and also the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations and subsequent amendments thereof.

4.3. This Corrigendum to the DPS will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

MANAGER TO THE OFFER

ICICI Securities

ICICI SECURITIES LIMITED
SEBI Regn. No.: INM000011179
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400020, Maharashtra, India
Tel: +91 22 2288 2460, **Fax:** +91 22 2282 6580, **Email ID:** ipappm.openoffer@icicisecurities.com
Contact Person: Rupesh Khant/Arjun A Mehrotra

Signed for and on behalf of West Coast Paper Mills Limited

Sd/-
Shree Kumar Bangur
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : September 3, 2019

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि.
पंजी. कार्यालयः 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092
टेली.: 011-49901667; **CIN: U65993DL1982PLC013738**

वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी पंजीकृत कार्यालय 106 (1ला तल), मधुबन टावर, ए-1, बी.एस.ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 22 सितम्बर, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक कम्पनी की एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। वार्षिक साधारण सभा की सूचना, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग के विवरण निर्धारित पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेज दी गई है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये कम्पनी की वेबसाईट **www.maryadainvestment.in** पर उपलब्ध हैं तथा निरीक्षण के लिये कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो, वे उसे कम्पनी की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा उसकी प्रति के लिये कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अनुरोध कर सकते हैं। यह कम्पनी सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा अपने सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसायों को ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एजीएम की सूचना में वर्णित सभी व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 सितंबर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कट-ऑफ तिथि, 21 सितंबर, 2019 को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में कंपनी का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, उन्हें कट-ऑफ तिथि के बाद मेल या डाक द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए मै. रवि शंकर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रैट्रीज, दिल्ली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/समस्या सुश्री हर्षिका अग्रवाल, कंपनी सचिव, मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड, 106 (1ला तल), मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग नई दिल्ली-110092, टेली. 011-49901667 को संबोधित की जा सकती है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
हस्ता/-
पवन कुमार अग्रवाल
निदेशक
DIN: 00079230

तिथिः 2 सितंबर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

MORGAN VENTURES LIMITED

CIN: L70109DL1986PLC025841
Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar IV, New Delhi 110024
Phone: 011-26432601/02/03, **Email: secretarial@goyalgroup.com**

AGM NOTICE

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 28th Day of September, 2019 at 10.00 A.M. at 53, Friends Colony (East), New Delhi-110065 India to transact the business, as set out in the AGM Notice dated 14.08.2019. The Notice along with Proxy Form, Attendance Slip and Annual Reports, inter-alia containing Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statements has been dispatched to all the Members at their registered address or E-mail and is also available on the website of the Company at www.morganventures.in and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Monday, the 23rd Day of September, 2019 to Saturday, the 28th Day of September, 2019for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

(A) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in Notice in the Annual General Meeting dated 14.08.2019.

(B) Day, Date and Time of Commencement of e-voting Wednesday, 25.09.2019, 09.00 a.m.

(C) Day, Date and Time of ending of remote e-voting Friday, 27.09.2019, 05.00 p.m.

(D) Cut-off. Date 21.09.2019

(E) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off.date i.e. 21.09.2019 should follow the instructions for e-voting as mentioned in the AGM Notice which is available on the Company's website.

The Members are requested to note that

1. Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after Friday, 27.09.2019, 05.00 p.m.
2. The facility for voting through ballot shall be made available at the venue of AGM.
3. The members who will be attending the meeting and who have not cast their votes through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through Ballot at AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
4. Member holding share as on 23.09.2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or email-secretarial@goyalgroup.com

The results of the e-voting/ voting at AGM ballot shall be declared on or before 28.09.2019. The Results declared, along with the Scruitinizer's Report shall be placed on the Company's website and communicated to the Bombay Stock Exchange where the Company's shares are Listed.

By Order of the Board of Directors
For Morgan Ventures Limited
Sd/-
Naveen Bhatnagar
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 02.09.2019

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

[illegible]
CIN: L74110DL1983PLC010671, फोन नं. 011-49943955
वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com, ईमेल: complianceo@kotiaenterprises.com

सूचना

[illegible]

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./-
[illegible]
प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
3 सितम्बर, 2019

Brilliant Portfolios Limited

Address: B-09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110088 **Tel.:** 011-45058963
Email: brilliantportfolios@gmail.com **Website:** www.brilliantportfolios.com
CIN: L74899DL1994PLC057507

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Twenty Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on **Monday, 30th September, 2019 at 11:00 a.m. at B – 09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi–110088** to transact the business as set out in the Notice of said AGM.

The Notice of the AGM and attendance slip has been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the company or the depository participant(s) unless: the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of the AGM and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail ids with the company or the depository participant(s).

The copy of Notice of the AGM will also available on the website of the Company at **www.brilliantportfolios.com** and on the website of NSDL i.e. **www.evoting.nsdl.com**, members, who do not receive the notice of AGM, may download it from the company's website or may request for the copy of the same by writing to the Company Secretary at the registered office of the company or at **brilliantportfolios@gmail.com**. The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the registered office of the company during business hours on any working day.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules of the Act, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by the National Securities Depository Limited (NSDL).

The e-voting period shall commence on Friday, 27th September, 2019 at (09:00 a.m.) and ends on Sunday, 29th September, 2019 at (05:00 p.m.). Once the vote on a resolution is casted by the member, the member is not allowed to change it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) as on 23rd September, 2019 (Cut-off date) members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The Notice of the AGM will also available on the website of the Company at **www.brilliantportfolios.com** and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. The procedure of electronic voting is available in the notice of the Annual General Meeting as well as in the email sent to the members by NSDL, NSDL website **http://www.evoting.nsdl.com**. The Company has appointed Kundan Agrawal & associates (Company Secretaries Firm) (Membership No. – F-7631, COP No. – 8325) to act as Scrutinizer for conducting the e-voting and voting through Ballot/Polling paper in fair and transparent manner.

The entry to the meeting venue will be regulated by attendance slips, which have been sent along with the Notice of AGM to the members. Members who have received attendance slip by electronic mode are requested to print the attendance slip and submit the duly filled in attendance slip at the registration counter to attend the AGM.

Please note that duplicate attendance slip will not be issued.

By the Order of the Board
For Brilliant Portfolios Limited
Sd/-
Ashish
(Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 03.09.2019

NIIT एनआईआईटी लिमिटेड

CIN: L74899DL1981PLC015865
पंजी. कार्यालयः 8, कालकाजी एक्सटेंशन, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019
फोन: 011-41675000, फैक्स: 011-41407120
वेबसाइट: www.niit.com ईमेल: investors@niit.com

डाक मतदान सूचना

[illegible]

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड की ओर से
हस्ता./-
दीपक बंसल
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 03 सितम्बर, 2019

इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालय: 2–बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना

शाखा– पदरौना शाखा

दिनांक नोटिस की तिथि बकाया कर्जदारों	उधारकर्ता / प्रोपराइटर / बंधककर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता एवं खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण
दिनांक नोटिस की तिथि 24.06.2019 बकाया रु. 23,50,581/– दिनांक 24.06.2019 तक + ब्याज दि. 24.06.2019 से	ऋणकर्ता– मेसर्स सहारा ईंट उद्योग प्रोपराइटर मोहम्मद गोमल सिद्दीकी पुत्र शेख शिबली, मकबरा, लक्ष्मीपुर, कासया, कुशीनगर – 274402 प्रोपराइटर– मोहम्मद गोमल सिद्दीकी पुत्र शेख शिबली, निवासी 345 के, ग्राम मिश्रौली, पदरौना, कुशीनगर – 274304 जमानतकर्ता / बंधककर्ता– श्रीमती गुलशन बेगम पत्नी श्री शिबली, 345 के, ग्राम मिश्रौली, पदरौना, कुशीनगर – 274304 लोन खाता सं. 6342554413	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड अराजी सं. / गाटा सं. 1142, क्षेत्रफल 0.102 हेक्टेयर स्थित मौजा – मिश्रौली, तप्पा – दानदापुर, परगना – सिधुआ जोकता, तहसील – पदरौना, जिला – कुशीनगर, श्रीमती गुलशन बेगम के नाम चौहद्दी : पूर्व: अन्य की भूमि, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: जाकिर हुसैन एवं अन्य की भूमि, दक्षिण: नहर

आप सभी निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज सहित ऋण (ऊपर अंकित धनराशि + ब्याज व अन्य खर्च अंकित दिनांक से प्रभावी ऋण की अदायगी तक) की अदायगी करने में असफल रहे हैं।

बैंक ने आप सभी पर ऊपर खाते में अंकित बकाया धनराशि की मांग करते हुए ऊपर लिखित तिथि को मांग सूचना उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किया गया, जो कि Unserved वापस कर गया। आप सभी को इस सूचना के 60 दिनों के अन्दर ऊपर अंकित बकाया राशि (तबसित ऋण खाते में बकाया राशि, ब्याज व अन्य खर्च सहित ऊपर अंकित दिनांक से ऋण के भुगतान तक) भुगतान करें। ऐसा करने में असफल होने पर बैंक ऊपर अंकित सम्पत्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा।

हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

यह सूचना बैंक को प्राप्त अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गयी है।

स्थान: लखनऊ | दिनांक: 04.09.2019 | प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

ONE FAMILY ONE BANK

दिल्ली अंचल कार्यालय
15, एनबीसीसी टावर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66

फोन : 011–26164817 / 26197769 ; फैक्स : (011) 26171554 ई–मेल : legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

तिथि : 02–09–2019

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 21–05–2019 जारी की थी, जिसमें 1. मैसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. 14, इंडस्ट्रियल एरिया, बरोटीवाला तहसील–कसौली, जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश 2. यशी गी – श्री ओम मुंद्रा पुत्र एस सी मुंद्रा 78, भूतल नेशनल पार्क, लाजपत नगर –4, नई दिल्ली –110024 3. श्री सिद्धार्थ मुंद्रा पुत्र श्री ओम मुंद्रा 78, भूतल नेशनल पार्क, लाजपत नगर – 4, नई दिल्ली –110024 से रु. 3,78,00,935.28 (शब्दों में तीन करोड़ अठत्तर लाख नौ सौ पैंतीस और अट्ठाईस पैसे मात्र) + 21–05–2019 की प्रभावी तिथि से संविदा दर पर लागू नहीं किया गया ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार एवं गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार एवं गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा 02 सितंबर, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

जबकि विशेष रूप से कर्जदार एवं गारंटर को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को संपत्तियों के संबंध में लेनदेन नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी लेनदेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उपरिवर्णित बकाया राशि के प्रभारधीन होगा।

कर्जदार एवं गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक में बंधक रखी तथा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण और बैंक के द्वारा लिया गया कब्जा निम्नानुसार है :

फ्रीहोल्ड भूमि / परिसर के समतुल्य बंधक, प्लॉट नंबर 14, के रूप में ज्ञात सम्पत्ति को पट्टे पर देने से सम्बन्धित, इंडस्ट्रियल एरिया, बरोटीवाला, तहसील–कसौली, जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित। माप 3250 वर्ग मीटर मेसर्स सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...घरों का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, 1ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली– 110008
ई–मेल: bo4168@pnb.co.in

कब्जा सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 3) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.12.2018 जारी कर ऋणधारक मै. बाला एण्टरप्राईजेज (प्रोप. श्री बाल कृष्ण पसरीचा) 2835/18, सरस्वती मार्ग, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 में तथा ऋणधारकों/ गारन्टरों: श्री बालकृष्ण पसरीचा (प्रॉप. मै. बाला एण्टरप्राईजेज) मकान सं. 53/66, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 तथा साथ ही: 2664, गली नं. 2–3, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 तथा साथ ही 2835/18, सरस्वती मार्ग, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 (ऋणधारक), श्रीमती पूनम पसरीचा, पत्नी बाल कृष्ण पसरीचा, मकान सं. 53/66, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 (गारन्टर) तथा श्रीमती अंजु खुराना, पत्नी श्री नरेश खन्ना, एन–29, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092 (गारन्टर) (यहां के बाद ऋणधारक तथा गारन्टर सामूहिक रूप से ''ऋणधारक'' वर्णित) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.06.2017 को रु. 1,29,88,083.00 (रुपये एक करोड़ उन्नतीस लाख अठासी हजार तिरासी मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, उक्त राशि पर अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 29 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.06.2017 को रु. 1,29,88,083.00 (रुपये एक करोड़ उन्नतीस लाख अठासी हजार तिरासी मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, उक्त राशि पर अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान हाल ही में संशोधित की गई अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व आप बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित नहीं कर सकते हैं।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती पूनम पसरीचा, पत्नी श्री बाल कृष्ण पसरीचा तथा श्रीमती अंजु खुराना, पत्नी श्री नरेश खुराना के स्वामित्व में डीडीए फ्लैट नं. 25, दूसरा तल, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक सी–5 ए, जनकपुरी, नई दिल्ली का इक्विटेबल मार्टगैज।

तिथि: 29.8.2019, स्थान: दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालय: 8वीं मंजिल, अर्जेंशिया टावर्स, जेडब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई हवाई अड्डे के समीप, नई दिल्ली – 110 037
दूरभाष: +91–011–46101210, +91–011–46101211
ईमेल: vivek.jain@asianhotelswest.com, वेबसाइट: www.asianhotelswest.com

सूचना

(कंपनी के समता शेयरधारकों के ध्यान देने हेतु) निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईइपीएफ) प्राधिकरण को कंपनी के समता शेयरों का अंतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियम, 2016 नियमावली, 2016 (नियमावली), यथासमय यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

नियमावली, अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रावधानित करती है कि वैसे शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात वर्षों या अधिक से नहीं किया गया है, उन्हें आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना है।

नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2010–19 के दौरान आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में उन सभी शेयरों को अंतरित कर दिया गया था जिनके संबंध में देय तिथि तक, लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश अदत्त या गैर दावाकृत बने रहे। कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर नवंबर, 2019 के महीने में आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं तथा ऐसे शेयरधारकों की पूरी जानकारी, जिसमें उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी – क्लाइंट आईडी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

यदि कंपनी 31 अक्तूबर, 2019 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई वैध दावा प्राप्त नहीं करती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए संबंधित शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों को देय तिथि तक आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, निम्नलिखित तौर पर आवश्यक कदम उठाएगी:

शेयरधारकों के शेयर धारण के प्रकार के मामले में:

भौतिक तौर पर – कंपनी डिमैटेरियलाइजेशन तथा आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के बदले नए शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करेगी तथा इस तरह जारी होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो कि मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं स्वतः रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर–परक्राम्य समझे जाएंगे।

डिमैटेरियलाइज्ड तौर पर – कंपनी आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते के पक्ष में अपने डीमैट खाते में पड़े शेयरों के अंतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक आगे यह नोट कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरणों को उक्त नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा आईइपीएफ प्राधिकरण को नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना माना जाना चाहिए और माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि नियमों के अनुरूप आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित गैर–दावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित गैर दावाकृत लाभांश तथा तदनुसार शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी अर्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, को नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, का पालन करने के पश्चात् आईइपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न / सूचना / स्पष्टीकरण के मामले में, शेयरधारकों से कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड "कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, दूरभाष संख्या: 040–67161517, फैक्स नंबर: 040–23420814, ई–मेल: suresh.d@karvy.com से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

कृते एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड
हस्ता/–
विवेक जैन
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02 सितंबर, 2019

सार्वजनिक सूचना

इस सार्वजनिक सूचना द्वारा, आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि हमारे मुवक्किल प्लॉट न. 5, रोड़ न. जी–9, डी.एल.एफ. सिटि, फेस–1, गांव सिकंदरपुर घोशी, गुड़गांव, हरियाणा, पे स्थित 420 sq. mtrs की प्रोपर्टी खरीदना चाहते हैं।

हमे यह सूचित किया गया है कि इस प्रापर्टी पर आज दिनांक तक केवल एक ही व्यक्ति का मालिकाना हक है। तथा इस व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रापर्टी के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल भी किया है। यह दोनो व्यक्ति साथ मिलकर अब इस प्रापर्टी में अपने मालिकाना हम को हमारे मुवक्किल के पक्ष में ट्रांसफर करना चाहते हैं।

यदि आम जनता के किसी भी व्यक्ति का इस प्रापर्टी में कोई भी हक या दावा है या इस ट्रांसफर के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित ऑफिस को इस हक, दावा, अपत्ति के बारे में इस सूचना के सात (7) दिन के अंदर सूचित करें। यदि ऐसी कोई सूचना निम्नलिखित को प्राप्त नहीं होती है तो हमारे मुवक्किल इस प्रोपर्टी को अपने हक में ट्रांसफर करवा लेंगे तथा ऐसी किसी सूचना की सुनवाई नहीं करेंगे।

सूरी एण्ड कंपनी
लॉ फर्म
लेट न. 10 एण्ड 12, गोल्फ आपर्टमेंट,
सुजान सिंह पार्क, महाऋशि रमन मार्ग
नई दिल्ली– 110003
फोन न.91 11 43434600ए 41743450.54

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

600 / 1, मुनिसिपल रोड, निकट हनुमान सेतु मन्दिर, लखनऊ–226007
(नाथ सेल उत्तर प्रदेश का भाग)

प्रकाशन द्वारा सम्मन प्रेषित करने और पेशी हेतु सम्मन

ओ. ए. नं. 1024 / 2018 | 10.08.2018

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियमावली 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादियों को उद्घोषणा आदेश / समन)

ओ. ए. नं. 1024 / 2018
कॉर्पोरेशन बैंक, शाखा – मोहाली, पी.सी. नगर
बनाम
श्री राजेश कुमार व अन्य

सेवा में,
1. मैसर्स अल्लाराखा रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय: डी–19, सेक्टर–7, नोएडा, उ.प्र. अपने निदेशक के माध्यम से श्री राम सिंह पुत्र श्री राजबली, निवासी: डी–171, सेक्टर–149, नोएडा, उ.प्र.

प्रतिवादीगण

गत प्रकाशित होने के बाद उक्त नामित आवेदन में आपको स्वयं या अपने अधिकृत एजेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से उपरोक्त आवेदन पत्र बुक फॉर्म में दो सेटों में दस्तावेजों और बचाव पत्र (यदि हो) सहित इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत कराना है, इसकी प्राप्ति आवेदक या वकील / विधिक अधिकृत एजेंट पर होने के बाद, और उसके बाद दिनांक 03.10.2019 को पूर्वा 10.30 बजे न्यायाधिकरण में पेश होना है अन्यथा अर्जी आपकी अनुपस्थिति में ही सुनी जायेगी और फैसला दिया जायेगा।

पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED

(CIN- U51101UP1976PLC004244)
E-mail: mohanshramik@gmail.com
Regd. Office:- FF-3, Plot No-319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK-CLOSURE

Notice is hereby given that the Forty Third Annual General Meeting of Mohan Shramik Udyog Limited will be held at registered office on Monday, the 30th day of September, 2019 at 10.00 A.M. The notice of the meeting setting out ordinary business together with other relevant documents have been sent to the members through e-mail/registered post/speed post/courier, as the case may be.

As per requirement, e-voting facility is being offered using e-voting platform of CDSL enabling shareholders to cast their vote electronically. The e-voting will commence on Friday, the 27th September, 2019 at 10.00 A.M. IST and ends on Sunday, the 29th September, 2019 at 5.00 P.M. IST. The cut-off date for the purpose of e-voting is 23rd September, 2019. The Company has appointed Mr. Ashutosh Kumar Pandey, Company Secretary in whole time practice, as the Scrutinizer to conduct e-voting and poll process in a fair and transparent manner. The Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 28th day of September, 2019 to Monday, the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

For Mohan Shramik Udyog Limited
Sd/-
(Ram Chander)
Director

Place:- Mohan Nagar, Ghaziabad (U.P.)
Date:- 03-09-2019

एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L31901DL2011PLC227284
पंजीकृत कार्यालय: ई–8/1, निचला भूतल भवन मंदिर, खानपुर नगर, नई दिल्ली–110062
कॉर्पोरेट कार्यालय: 08 प्लॉट, आईटी पार्क, सेक्टर 20 ए 20, सेक्टर–142, नोएडा–201304, यू.पी.
टेली नं. 0120–4601400, 401, फैक्स नं. 0120–4601403
ईमेल: investor@advancemeter.com, वेबसाइट: www.advancemeter.in

ईवी वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सदस्यों की ईवी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में वर्णित व्यवसायों के निष्पादन के लिए शनिवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 09.00 बजे टाइम्स क्लब, रामलीला मैदान, बुध रोड, नई दिल्ली–110006 में आयोजित की जाएगी।

ईवी एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दी गई है जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी या संबंधित डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत कराया है और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनको सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां स्वीकार्य मोड से भेज दी गई हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.advancegroup.in पर भी उपलब्ध है।

अधिनियम विशेष अवसर 23 सितम्बर, 2019 को वार्षिक आमसभा या डिपॉजिटरीज/प्रतिभूति के तौर पाकर करने वाले सदस्यगण एजीएम से पहले या बाद किसी भी स्थान से कंप्यूटर डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। कंपनी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की ईवी एजीएम की सूचना में सदस्यगण का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया जा सकता है।
2. रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ होगी और रविवार 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से या एजीएम में मतदान करने के लिए योग्यता निर्धारण करने हेतु कटिंग तिथि 23 सितम्बर, 2019 है।
4. कोई व्यक्ति जो सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, और कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कटिंग तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई सदस्य ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान करने के लिए कर सकता है।
5. सदस्य ध्यान दें कि– (i) रिमोट ई–वोटिंग सत्र को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए 30 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद कर दिया जायेगा और इस तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ii) सदस्यगण द्वारा एक बार मतदान का पंजीकरण कर देने के बाद उसको इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। (iii) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, उनको लिए एजीएम में बैलेट या मतदान पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। (iv) जो सदस्य एजीएम के पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना मत प्रदान कर चुके हैं, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे पुनः अपना मत प्रदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। (v) कोई व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाये गये सदस्य रजिस्टर या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कटिंग तिथि तक दर्ज है, वह ही रिमोट ई–वोटिंग या बैलेट के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। (vi) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.advancegroup.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यगण ई–वोटिंग संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं या ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सीडीएसएल को अपनी पूछताछ भेज कर सकते हैं या श्री राकेश दोषी, ए वी पी (कॉर्पोरेट कार्य) एवं कंपनी सचिव से टेलीफोन 0120–4601400 या ई–मेल investor@advancegroup.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कंपनी के शेयरों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिकाएं शनि एजीएम के प्रयोजन हेतु शनिवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस सहित) बंद रहेंगे।

कृते और बोर्ड के आदेशानुसार
एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड
हस्ता/–
राकेश दोषी
ए.वी.पी. (कॉर्पोरेट कार्य) एवं कंपनी सचिव

दिनांक: 03 सितम्बर, 2019
स्थान: नोएडा

SHALIMAR PAINTS LIMITED

CIN: L24222HR1903PLC066611
Registered Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32, Gurugram, Haryana - 122 001
Corporate Office: First Floor, Plot No. 28, Sector-32, Gurugram, Haryana – 122001
Website: www.shalimarpaints.com, **Email:** cs@shalimarpaints.com
Tel. No.: 0124-4616600; **Fax No.:** 0124-4616699

NOTICE

Notice is hereby given that the 117th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 26, 2019 at 4.00 P.M. at Nirvana Polo Club, Nirvana Community Ground, Opposite Court Yard Market, Nirvana Country, South City-2, Sec-50, Gurugram, Haryana 122001.

The physical copy of the Annual Report including the Notice convening the AGM has been posted to the members on August 31, 2019. The same has been sent by email to those members who have registered their email IDs with the Company/ Depository Participant(s) for communication purposes. The Annual Report including Notice of 117th AGM of the Company is available on the website of the Company and also available for inspection at the registered office of the Company during office hours on working days (except Saturday& Sunday).

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) and Rules made there under, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Shareholders with facility of "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of the AGM), through E- Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to enable them to cast their votes at the 117th AGM.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed September 19, 2019 as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by electronic means. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 19, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.

The remote e-voting period begins on Monday, September 23, 2019 at 9.00 A.M. and ends on Wednesday, September 25, 2019 at 5.00 PM. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The facility for voting through ballot/ polling paper shall be made available at the venue of the AGM. The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. The remote e-voting is available at www.evotingindia.com. Members are requested to refer the instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. In case of any queries or issues regarding remote e-voting, please refer the e-voting manual available www.evotingindia.com under help section.

The Notice of the AGM forming part of the Annual Report is displayed on the website of the Company i.e., www.shalimarpaints.com and on the website of CDSL at https://www.cdslindia.com.

Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose name appear in the Register of Members or Register of beneficial holders as on the cut-off date i.e September 19, 2019 shall view the Notice of the 117th AGM on the Company's website or on the website of the CDSL. Such members shall exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM under "Voting through Electronic means", or by voting at the AGM. Members who have not yet registered their e-mail id or who want to change their e-mail id are requested to approach their respective DPs, Member(s) are requested to keep their e-mail id validated with their DP/RTA, so as to receive all communication electronically including annual report, notices, circulars etc send by the Company from time to time.

In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Shareholders may contact at the following address:
Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Contact No. 1800225533, E-Mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com

NOTICE is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013& Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (SEBI Regulations) that the Register of Members and Transfer Book of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

For any shares-related queries/ correspondence, the Shareholders are requested to contact Beetal Financial & Computer Services Private Limited (Registrar & Share Transfer Agent), at the following address: Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, behind LSC, New Delhi – 110062, Phone: 011-29961281-83 Email: beetalrta@gmail.com

For Shalimar Paints Limited
Sd/-
(Gautam)
Company Secretary

Place: Gurugram (Haryana)
Date: September 03, 2019

द करुर वैस्य बैंक लि.

KVB Karur Vysya Bank

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80, के सामने पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली–110005

संदर्भः अधोलिखित 1) श्री संजीव अगरवाल, पुत्र विजय प्रकाश अगरवाल; 2) श्रीमती प्रीति अगरवाल, पत्नी श्री संजीव अगरवाल, दोनों निवासीः फ्लैट नं. 004, प्लॉट नं. 254/708/1, आदर्श नगर कॉलोनी, गुड़गांव–122001 को भेजी गई श्री संजीव अग्रवाल की ऋण खाता में बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना

जैसा कि आप ने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को उपरोक्त ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा यह खाता 8.7.2019 को

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परियोजना) के.पी. जोन का कार्यालय
सिविक सेंटर अंबेडकर, मावन पार्क, दिल्ली-110052
सं.ईईपीआर./टीसी/केपीजेड/2019-20/02 दिनांक: 30.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.सं.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्तर पर	प्रारंभ तारीख	अंत समय
1.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध की प्रारंभ तारीख	30.08.2019	17.30 बजे
2.	निविदा दस्तावेज जारी करने की प्रारंभ तारीख	04.09.2019	17.31 बजे
3.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध की अंतिम तारीख	17.09.2019	17.00 बजे
4.	निविदा दस्तावेज जारी करने की अंतिम तारीख	18.09.2019	17.30 बजे
5.	निविदा समर्पित की तारीख एवं समय	20.09.2019	12.00 बजे
6.	लागत खोलने की तारीख एवं समय	20.09.2019	12.15 बजे

कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (परियोजना)/केपीजेड द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए (सामान्य विधि) के साथ बंदकृत अनुमोदित तथा पात्र बोलीदाताओं से सीलबंद भाव दर/ प्रतिशत पर निविदाएं केवल वेबसाइट https:www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.: 1, कार्य का नाम: वार्ड सं.78एन/केपीजेड में 1(1) रूप नगर में नगर निगम प्राथमिक विद्यालय हेतु चार दीवारी का निर्माण। FTC No. 19/24/XL-VII-Edu./PC-201 **लेखा शीर्ष:** XL-VII-Edu **निविदा राशि:** पार्ट 'ए' 68,86,021/- रु., पार्ट 'बी' @ आरक्षित मूल्य, **धरोहर राशि (रुपये में):** 1,37,720/- रु.

क्र.सं.: 2, कार्य का नाम: सी-15एन/केपीजेड में एच-ब्लॉक, अशोक विहार में नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में शौच का निर्माण। FTC No. 19/24/XL-VII-Edu./PC-201 **लेखा शीर्ष:** XL-VII-Edu **निविदा राशि:** पार्ट 'ए' 74,50,897/- रु., पार्ट 'बी' @ मद दर पार्ट 'सी' @ आरक्षित मूल्य **धरोहर राशि (रुपये में):** 1,79,450/- रु.

क्र.सं.: 3, कार्य का नाम: वार्ड सं. 71एन/बी नगर में सड़क नं.31 से तुलसी नगर पुलिया और छतर सिंह मार्ग तक कॉलोनी रहेंगे को पहुँच मार्ग का सुधार विकास। FTC No. 19/66/XL-VIII-Z-F(I)/PC-066 **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-Z-F(I) **निविदा राशि:** 2,77,13,087/- रु., **धरोहर राशि (रुपये में):** 5,54,300/- रु.

मद संख्या 1 एवं 2 के लिए निविदा लागत 1000/- रुपए तथा मद संख्या 3 के लिए 1500/- रुपये है। मद संख्या 1 के लिए कार्य पूरा करने का समय 6 महीने तथा मद संख्या 2 और 3 के लिए 9 महीने है। वैध मान रहने की अवधि 90 महीने है।

– हस्ता. –
R.O. No. 77/DP/North/2019-20 अधिशासी अभियंता(परियोजना) केपीजेड

CAPFIN INDIA LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048032
Registered Office:PP-1, Gali No. 10, Industrial Area, Anand Parvat, New Delhi-110005
Tel No.: 011-28782142; E- mail id: capfinindialtd@yahoo.co.in
Website: www.capfinindia.com

Notice

Notice is hereby given that the 27th Annual General meeting of Capfin India Limited will be held on Thursday, 26th Day of September, 2019 at 10:00 A.M. at HR36 – Gali No. 10, First Floor, Anand Parbat Industrial Area, New Delhi - 110005, to transact the businesses as detailed in the Notice, which has been sent in physical/electronic form; as the case may be, to all the shareholders. The Annual Report 2018-19 and Notice of AGM is also available on the website: **www.capfinindia.com**

E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. For this purpose the Company has engaged NDSL for providing e-voting facility. The e-voting platform will be open for voting from Monday, September 23, 2019 (9:00 A.M) and ends on Wednesday, September 25, 2019 (5.00 P.M.), to enable shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut Off date i.e. September 19, 2019 to cast their vote electronically in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. E-voting shall not be allowed beyond September 25, 2019 (5.00 P.M.). Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. Further, the Company has appointed Mr. Deepanshu Bansal, Practicing Chartered Accountant, New Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query pertaining to e-voting you may contact help desk team of NSDL Tel: 18002223990 Email: **www.evoting.nsdl.com**

BOOK CLOSURE

Notice is given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI(Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 of the Listing Agreement, the Registers of Member and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Friday 20th September, 2019 to Thursday, 26th September, 2019 (both days inclusive).

For & on behalf of Capfin India Limited
Sd/-
Rachita Mantry
Director

Date: 02nd September 2019

DELTA LEASING & FINANCE LIMITED

CIN: L67120DL1983PLC016996
Regd. Office: 33 F.I.E., Patparganj Industrial Area, Delhi-110092
Telephone: 011-42420164 Fax No.: 011-27675394
Email: info@deltaleasing.in Website: www.deltaleasing.in

Notice of the 35th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Monday, September 30, 2019 at Shalimar Bagh Club, Plot No.-9, B- Block, Community Centre, Club Road, Shalimar Bagh, Delhi-110088 at 11.30 A.M.** to transact the businesses mentioned in the notice. Notice of the AGM and other annexure has been dispatched to all the members and other persons entitled to receive the same. The copies of aforesaid documents are also available on the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Further Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **27th September, 2019 to 30th September, 2019** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company is pleased to inform that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of the Listing Regulation, the Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote by Electronic means on any or all of the business specified in the aforesaid Notice. E-voting will commence on **Friday, 27th September, 2019 (10.00 am) and ends on Sunday, 29th September, 2019 (5.00 pm).** No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

By order of the Board
For DELTA LEASING & FINANCE LIMITED
Sd/-
(RENU JINDAL)
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01843429

Place: Delhi
Date: September 02, 2019

YOGYA ENTERPRISES LIMITED

Regd. off: 203, Gupta Arcade, Shreatha Vihar Market, New Delhi-110092
Ph. & Fax No. 011-43763300CIN: L51909DL2010PLC208333
Email ID: md@yogya.co.in Website: www.yogya.co.in

NOTICE OF 09th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 09th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th day September, 2019 at 11:00 A.M at the Registered office at 203, Gupta Arcade, Shreatha Vihar Market, New Delhi-110092 to transact the business as set out in the Notice sent to the members to their registered address and also by e-mail whose e-mail address is registered with the Company.

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 25th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive).

By Order of the Board
For Yogya Enterprises Limited
Sd/-
(RAJEEV GUPTA)
Managing Director

Place : Delhi
Date : 03rd September, 2019

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निविदा आमंत्रण सूचना (आईडी: 2019_AAI_31020_1)
[निविदा सं. (AS)-AS-08/2019-20]/ई-पोयथोरगेट-ऑनलाइन रिवर्स आक्शन

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कार्यपालक निदेशक (सी.एन.एस.–पी)–I द्वारा "विभिन्न हवाई अड्डों में टर्मिनल बिल्डिंग के लिए डिजाईन आधारित सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का संस्थापन (तीन वर्षों की ऑनवारंटी वारन्टी तथा तीन वर्षों की व्यापक ए.एम.सी. पुर्जों के साथ)" कार्य हेतु ₹ 8,35,82,284.00 की अनुमानित (पूर्वगणित) लागत पर योग्य निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी जैसे निविदा, शुद्धिपत्र/परिशिष्ट और पंजीकरण हेतु कृपया ई–निविदा साईट/पोर्टल: **http://etenders.gov.in/eprocure/app** ऐवं या टेलीफैक्स नं. +91-11-24697343 या ई–मेल: **gmsas@aai.aero; arktirkey@aai.aero; avtarsingh@aai.aero** पर सपर्क करें।

एन-45/2019-20

PAWANSUT HOLDINGS LIMITED

CIN: L65923DL1984PLC019596
Regd. Office: 415, Usha Kiran Building, Commercial Complex Azadpur, Delhi-110033.
Telephone: 011-45680333, 27578309 Fax No.: 27578309
Email: pawansutholdingsltd@gmail.com Website: www.pawansutholdings.com

Notice of the 35th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Monday, September 30, 2019 at Shalimar Bagh Club, Plot No. - 9, B- Block, Community Centre, Club Road, Shalimar Bagh, Delhi-110 088 at 12.30 P.M.** to transact the businesses mentioned in the notice. Notice of the AGM and other annexure has been dispatched to all the members and other persons entitled to receive the same. The copies of aforesaid documents are available on the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Further Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 27th September, 2019 to 30th September, 2019, both days inclusive for the purpose of Annual General Meeting.

The Company is pleased to inform that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of the Listing regulations, the Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote by Electronic means on any or all of the business specified in the aforesaid Notice. E-voting will commence on **Friday, 27th September, 2019 (10:00 am) and will end on Sunday, 29th September, 2019 (5:00pm).** No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

By order of the Board
For PAWANSUT HOLDINGS LIMITED
Sd/-
(RAM KISHORE BANSAL)
MANAGING DIRECTOR
DIN: 05195812

Place: Delhi
Date: September 02, 2019

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT)

ALPHALOGIC

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Alphalogic Inc (Proprietorship firm of Mr. Anshu Goel at Pune, Maharashtra in the year 2016. With the introduction of two more persons in the business namely Mr. Dhananjay Subhash Goel and Mrs. Neha Anshu Goel on March 17, 2018, we have converted the Proprietorship firm into a Partnership firm. Subsequently we have converted the Partnership firm into a Company in the name and style of Alphalogic Techsys Limited on December 13, 2018 bearing Corporate Identification Number U72501PN2018PLC180757 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Pune, Maharashtra. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 88 of the Prospectus.

Registered office: 405, Pride Icon, Near Columbia Asia Hospital, Kharadi Bypass Road, Pune, Maharashtra-411014, India. **Contact Person:** Shailesh Gadgil, Company Secretary & Compliance Officer;
Tel No.: 0727-6701155, **E-Mail ID:** info@alphalogicinvited.com; **Website:** www.alphalogicinc.com; **CIN:** U72501PN2018PLC180757

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 7,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹84/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 74/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 618.24 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 36,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 84/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 30.912 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE of 6,99,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹84/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹587.328 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.51% AND 25.19% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 84/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 8.4 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPENED ON: AUGUST 26, 2019 and CLOSED ON: AUGUST 28, 2019,
PROPOSED DATE OF LISTING: SEPTEMBER 05, 2019.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. Our Company has received in-principal approval letter dated August 07, 2019 from BSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commenced on or about September 05, 2019.
*Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue Received 158 applications for 872000 Equity Shares and was subscribed to the extent of 1.18 times before rejection (including reserved portion of Market Maker). After considering invalid bids, bids not banked and Technical rejection cases, the Issue was subscribed 1.07 times (including reserved portion of Market Maker) i.e. 140 applications for 790400 Equity Shares. The details are as under: -

Summary of the Valid Applications Received:

Sr. No	Category	Gross Application		Less: Rejections		Valid	
		No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share
1	Retail Individual Applicants	117	187200	12	19200	105	168000
2	Non Retail Applicants	40	646000	6	62400	34	583600
3	Market Maker	1	36800	-	-	1	36800
	Total	**158**	**872000**	**18**	**81600**	**140**	**790400**

Allocation: *The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on August 30, 2019*

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 84/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited The category was subscribed by 1 time. The total number of shares allotted in this category is 36800 Equity shares.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants (after rounding off)	Number of successful applicants	% to total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
1	36800	1	100	36800	100	36800	36800	36800	1	1		1	100	36800	100	0.00
	GRAND TOTAL	**1**	**100**	**36800**	**100**	**36800**						**1**	**100**	**36800**	**100**	**0.00**

B. B.Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 84/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 0.48 times i.e. for 168000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 168000 Equity Shares to 105 successful applicants.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (After rounding off)	% to total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
1	1600	105	100	168000	100	350400	3337.14	1600	1	1	105	100	168000	100	(182400)
	GRAND TOTAL	**105**	**100**	**168000**	**100**	**350400**					**105**	**100**	**168000**	**100**	**(182400)**

C.Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 84/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.10 times i.e. for 585600 shares. Total number of shares allotted in this category is 531200 Equity Shares to 34 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants (after rounding off)	Number of successful applicants	% to total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
1	3200	2	5.88	6400	1.09	5805.46	2902.73	3200	1	1		2	5.88	6400	1.20	594.54
2	4800	3	8.82	14400	2.46	13062.30	4354.10	3200	1	1		3	8.82	9600	1.81	-3462.30
								1600	2	3	1:3	2	0.00	3200	0.60	3200.00
3	6400	5	14.71	32000	5.46	29027.32	5805.46	4800	1	1		5	14.71	24000	4.52	-5027.32
								1600	3	5	1:3:4	3	0.00	4800	0.90	4800.00
4	9600	1	2.94	9600	1.37	7256.83	7256.83	9600	1	1		1	2.94	9600	1.51	743.17
5	9600	5	14.71	48000	8.20	43540.98	8708.20	8000	1	1		5	14.71	40000	7.53	-3540.98
								1600	2	5	3:6	2	0.00	3200	0.60	3200.00
6	11200	2	5.88	22400	3.83	20319.13	10159.56	9600	1	1		2	5.88	19200	3.61	-1119.13
								1600	1	2	2	1	0.00	1600	0.30	1600.00
7	12800	2	5.88	25600	4.37	23221.86	11610.93	11200	1	1		2	5.88	22400	4.22	-821.86
8	14400	1	2.94	14400	2.46	13062.30	13062.30	12800	1	1		1	2.94	12800	2.41	-262.30
9	20800	1	2.94	20800	3.55	18867.76	18867.76	19200	1	1		1	2.94	19200	3.61	332.24
10	24000	8	23.53	192000	32.79	174163.93	21770.49	20800	1	1		8	23.53	166400	31.33	-7763.93
								1600	5	8	2:4:5:7:8	5	0.00	8000	1.51	8000.00
11	46400	1	2.94	46400	7.92	42089.62	42089.62	41600	1	1		1	2.94	41600	7.83	-489.62
12	48000	2	5.88	96000	16.39	87081.07	43540.98	43200	1	1		2	5.88	86400	16.27	-681.07
13	58200	1	2.94	58200	10.11	53700.55	53700.55	54400	1	1		1	2.94	54400	10.24	699.45
	GRAND TOTAL	**34**	**100.00**	**585600**	**100.00**	**531200.00**						**34**	**100.00**	**531200**	**100.00**	**0.00**

The Board of Directors of the company at its meeting held on August 30, 2019 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE Limited and at a meeting held on August 30, 2019 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated August 20, 2019 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before September 04, 2019. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to September 03, 2019. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated August 20, 2019 ("Prospectus")

INVESTORS PLEASE NOTE: The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED at www.cameoindia.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

CAMEO

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED
"Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India. **Telephone:** +91-44-40020700, 28460390; **Facsimile:** +91-44-2846012
Email: ipoissue@cameoindia.com; **Contact Person:** Mr. R.D. Ramasamy, Director **Website:** www.cameoindia.com;
SEBI Registration Number: INR000003753; **CIN No:** U67120TN1998PLC041613

For ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place: Pune
Date: September 03, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED.

CONCEPT

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

TATA

संपर्क का पता: टावरी पॉइंट, निर्माणाधीन टावर, हीरानंदानी एस्टेट, नई दिल्ली - 110076 पंजीकृत कार्यालय: 11वीं, मंजिल, टॉवर 3, वनिकुटा सिमेन्ट मार्ग, एस्टेट मंत्रालय मार्ग, लोअर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) सपठित नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक **24/01/2019** से 60 दिन के अंदर कुल राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अतः ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित प्रवर्तन नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणी(यों) को विशेषतः तथा सामान्य जनता को सावधान किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई व्यवहार न करें और यदि कोई व्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे बताई गई कुल सूचना दिनांक से ब्याज एवं लागत ब्याज, खर्चे, लागत आदि के अधीन होगा।

ऋण खाता क्रं.	बकायाधारियों /कर्जदारों /जमानती /बंधकदाताओं के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	आधिपत्य की दिनांक
3374097	1. ओमकम कम्युनिकेशन प्रा.लि. वारसे निदेशक श्री पीयूष कुमार अग्रवाल 2. श्री पीयूष कुमार अग्रवाल 3. श्रीमती सीमा अग्रवाल 4. एमपीएस एविएशन प्रा.लि. वारसे निदेशक श्री पीयूष कुमार अग्रवाल	रु. 2,61,20,110/- (रु. दो करोड़ इकसठ लाख बीस हजार एक सौ दस मात्र) दि. 23.01.2018 को	31 अगस्त 2019

सुरक्षित आस्तियों /अचल संपत्तियों / गिरवी संपत्तियों का विवरण: संपत्ति: विंग्स की पूरी दूसरी मंजिल पर स्थित चार बेडरूम सहित चार अटैच्ड बाथरूम, फैमिली लाउंज, किचन, फ्रंट एवं रियर बालकनी, सीढ़ियों में बाथरूम सहित एक सर्वेंट क्वार्टर 26 प्रतिशत अविभाजित/अविभाज्य प्रीहोल्ड भूमि के महत्वपूर्ण स्वामित्व अधिकार सहित संपत्ति के समस्त एवं संपूर्ण भाग भवन का क्षेत्रफल 448.75 वर्ग यार्ड, नं. बी-6, नेक्सट फ्लैट कालोनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, पामपोश इनक्लेव, नई-दिल्ली-110048, **चतुर्दसीमा:** पूर्व: 60 फीट रोड, पश्चिम: 15 फीट सर्विस लेन, उत्तर प्लॉट नं. बी-5, दक्षिण प्लॉट नं. बी-7

दिनांक : 04.09.2019
स्थान : दिल्ली

हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एन : L14106UP1995PLC019017
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर – 128, नोएडा – 201304, उ.प्र.; **दूरभाष :** +91(120) 2470800
कॉर्पोरेट कार्यालय : 'जेए हाउस', 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : +91(11) 49828500; **फैक्स :** +91 11 26145389
वेबसाईट : www.jalindia.com, **ई मेल :** jal.investor@jalindia.co.in

22वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होना तथा रिमोट ई–वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 22वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019** को **11:30 बजे पूर्वा0** में जेपी इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, सेक्टर 128, जेपी विश टाउन, ग्राम सुल्तानपुर, नोएडा–201304, (उ.प्र.) में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम के आमंत्रण की **सूचना तिथि 27 अगस्त, 2019** ("सूचना") में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा, कम्पनी ने ऐसे सभी सदस्यों जिनका नाम **23 अगस्त, 2019** को व्यवसायिक अवधि की समाप्ति पर सदस्यों के अभिलेख/डिपाजिटरीज के अभिलेख में शामिल थे, को **3 सितम्बर, 2019** को प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति पर्ची, एजीएम स्थल की मार्ग दर्शिका तथा **वित वर्ष 2018–19** के वित्तीय विवरणों से शामिल वार्षिक रिर्पोट के साथ सूचना के प्रेषण/ईमेलिंग (कम्पनी डिपाजिटरीज के पास पंजीकृत आईडीज पर) पूरा कर लिया है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली (2014) यथा संशोधित के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 (सूचीयन विनियम) के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकों **सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019** (दोनों दिवस सहित) तक आगामी एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, यथा–संशोधित तथा सूचीयन विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ***www.evotingindia.com*** पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के संदर्भ में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग (ई–वोटिंग) सुविधा उपलब्ध कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश सूचना की टिप्पणी सं0 xxi के अंतर्गत दी गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि निम्नलिखित का ध्यान रखें :

(i) रिमोट ई–वोटिंग **मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार)** में शुरू होगी तथा **बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार)** में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि **शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019** है।

(iii) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि, ऊपर वर्णित, को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभयोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई–वोटिंग अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं, वे कम्पनी की वेबसाइट ***www.jalindia.com*** तथा साथ ही सीडीएसएल के वेबलिंक अर्थात ***https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp*** दोनों पर उपलब्ध सूचना की ट

सिख श्रद्धालुओं को आगमन पर वीजा जारी करेगा पाक : इमरान

लाहौर, 3 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सिख समुदाय के लिए करतारपुर 'मदीना' और ननकाना साहिब 'मक्का' है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार भारत और अन्य देशों से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को बहु-प्रवेश वीजा और 'ऑन एराइवल' वीजा जारी करेगी। न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार खान ने कहा कि सरकार पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान सिख श्रद्धालुओं को अधिकतम संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

खान ने यहां सोमवार को गवर्नर हाउस में एक सिख सम्मेलन में कहा, 'मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहु-प्रवेश वीजा जारी किए जाएंगे...यह हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको हवाईअड्डे पर वीजा देंगे।' उन्होंने कहा, 'करतारपुर आपका मदीना है और ननकाना साहिब आपका मक्का है। हम (मुसलिम) किसी को मक्का या मदीना से दूर रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते।' सम्मेलन में पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर, संघीय और प्रांतीय कैबिनेट के सदस्य और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप व अन्य देशों के सिख तीर्थयात्री शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान प्रस्तावित करतारपुर गलियारे के माध्यम से देश में हर रोज पांच हजार सिख श्रद्धालुओं को आने की अनुमति देगा।

> ●इमरान खान ने कहा कि करतारपुर आपका मदीना है और ननकाना साहिब आपका मक्का है। हम (मुसलिम) किसी को मक्का या मदीना से दूर रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

पाकिस्तान ने भारत से दवाओं के आयात को मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

जीवनरक्षक दवाओं की कमी के बाद पकिस्तान ने मंगलवार को भारत के साथ आंशिक व्यापार बहाल कर दिया है। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो टीवी के अनुसार, पाकिस्तान ने भारत से जीवनरक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दी है।

पाकिस्तान बड़ी मात्रा में भारतीय दवाओं का आयात करता है। जीवन रक्षक दवाओं से लेकर सांप-कुत्ते के जहर से बचाने वाली दवाओं तक के लिए वह काफी हद तक भारत पर निर्भर है। जुलाई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने 16 महीनों के दौरान भारत से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेबीजरोधी व विषरोधी टीकों की खरीदारी की थी। पाकिस्तान भारत को ताजे फल, सीमेंट, खनिज और अयस्क, तैयार चमड़ा, प्रसंस्कृत खाद्य, अकार्बनिक रसायन, कच्चा कपास, मसाले, ऊन, रबड़ उत्पाद, अल्कोहल पेय, चिकित्सा उपकरण, समुद्री सामान, प्लास्टिक, डाई और खेल का सामान निर्यात करता था, जबकि भारत से निर्यात किए जाने वाले जिंसों में जैविक रसायन, कपास, प्लास्टिक उत्पाद, अनाज, चीनी, कॉफी, चाय, लौह और स्टील के सामान, दवा और तांबा आदि शामिल हैं।

भारत व मालदीव ने संधि पर हस्ताक्षर किए

माले, 3 सितंबर (भाषा)।

भारत और मालदीव ने मंगलवार को आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग व द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन (आइओसी) के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए मालदीव गए हुए हैं। उन्होंने पैराडाइज आइस्लैंड रिजॉर्ट में शाहिद से मुलाकात की। मई में विदेश मंत्री बनने के बाद यह मालदीव की उनकी पहली यात्रा है।

किशोर ने परिवार के सभी पांच सदस्यों की हत्या की

मियामी, 3 सितंबर (एएफपी)।

अमेरिका के अलबामा प्रांत में किशोर ने परिवार के सभी पांच सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस को बुलाया व अपना अपराध स्वीकार कर लिया। स्थानीय कानून प्रवर्तन एजंसियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अलबामा के एल्कमोंट में स्थित घर में तीन पीड़ितों के शव मिले जबकि दो अन्य की मौत क्षेत्रीय अस्पताल ले जाते हुई। लाइमस्टोन काउंटी के शेरिफ ने ट्विटर पर कहा, '14 वर्षीय किशोर ने घर पर अपने परिवार के सभी पांच सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की है।'

पाक की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं

इस्लामाबाद, 3 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा कि देश की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बयान प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान, भारत के साथ कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा।

लाहौर स्थित गवर्नर हाउस में सोमवार शाम को सिख समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और अगर तनाव बढ़ता है तो दुनिया को खतरे का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बिना कुछ स्पष्ट किए कहा, 'हमारे तरफ से कभी पहल नहीं होगी।' कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में नाकाम होने के बाद इमरान लगातार भारत के साथ परमाणु युद्ध की संभावना की धमकी दे रहे हैं। इमरान ने यह कहा कि संघर्ष से मामले सुलझाने के बजाय और समस्याएं पैदा होंगी। मैं भारत से कहना चाहता हूं कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं होगा। युद्ध में विजेता भी खोने वाला होता है। युद्ध कई अन्य समस्याओं को जन्म देती है।

पाक में ईशनिंदा कानून में सुधार हो : आसिया बीबी

इस्लामाबाद, 3 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान में ईशनिंदा के जुर्म में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट से बरी की जानी वाली ईसाई महिला आसिया बीबी ने पाकिस्तान में ईशनिंदा के कठोर कानून में सुधार की मांग की है। आसिया पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तानी में ईशनिंदा के जुर्म में आजीवन कारावास अथवा मौत की सजा का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आसिया की सजा पलटे जाने के बाद देश के कट्टरपंथी तबके से उन्हें लगातार मौत की धमकी मिल रही थी। चार बच्चों की मां आसिया अब कनाडा में है। संडे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार आसिया ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे अनेक मामले हैं जहां उचित जांच के बिना अथवा सबूतों के बिना लोगों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप लगाए जाते हैं।

इज़राइल के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा रद्द की

यरुशलम, 3 सितंबर (भाषा)।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को देश में मध्यावधि चुनाव का हवाला देकर नौ सितंबर की भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी। वह एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके बताया कि दोनों नेताओं ने फोन पर बात की और वे इस बात पर सहमत हुए कि कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा 17 सितंबर में होने वाले चुनाव के बाद होगी।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी
जल सदन: लाजपत नगर: नई दिल्ली-110024
एन.आई.टी.सं. 15/एस एंड पी/(2019-20)

प्रैस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रावण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रावण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटी जीएस की अंतिम तिथि/समय
1.	दिल्ली के विभिन्न भागों (फेज-I) में फ्लोटिंग रैफ्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 8 नग जलाशयों का पुनरुद्धार (पुनर्आमंत्रित)	वस्तु दर	2019_DJB_179418_1 2.9.2019 से	30.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/327

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (सी) एसएंडपी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2018 की अवधि तक NPA खाती) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 12.09.2019

Meerut - Abu Lane: MUL-492, 558, 1329, 1399, 1401, 1428, 1566, 1568, 1713, **Meerut - Kumar Plaza:** MUL-100, 137, 878, **Meerut - Delhi Road:** MUL-1372, 1417, 1467, 1490, 1494, 1620, 1628, 1694, 1825, 1901, 1906, 1935, 1979, **Meerut - Shastri Nagar:** MUL-905, 946, 949, 1062, 1090, 1113, 1114, 1243, 1251, **Meerut-Garh Road:** MUL-234, 1177, 1284, 1561, **Meerut - Mawana Road:** MUL-899, 923, 1004, 1098, 1218, 1240, **Meerut - Partapur:** MUL-904, 1167, 1220, 1266, 1273, 1285, 1326

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 12.09.2019

Meerut - Kumar Plaza: MUL-1369, **Meerut - Shastri Nagar:** MUL-945, 1487, **Meerut - Partapur:** MUL-1255

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड से ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 13.09.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., First Floor, Vaishali Corner, Pinnacle Tower, Garh Road, Meerut - 250004** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 10.09.2019

Pilibhit - (UP): MGL-66, 78, 97, 121, 157, 204, 238, 249, 263, 375, MSL-2740, 2777, MUL-11, 23, 90, 91, 96, 109, 156, 394, 478

नीलामी की तिथि: 11.09.2019

Gulaothi: MSL-5, MUL-36, 42, 75, 109, 115, 132, 162, 165, 182, 237, 245, 333, 365, 550, 658, 724, 837

नीलामी की तिथि: 12.09.2019

Dhampur - (UP): MGL-315, 562, 604, 749, MSL-3154, MUL-20, 32, 68, 72, 112, 154, 218, 259, 265, 312, 359, 434, 717, 808, 1013

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 10.09.2019

Pilibhit - (UP): MGL-260,267,MUL-374,426,653

नीलामी की तिथि: 12.09.2019

Dhampur - (UP): MUL-1459

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड से ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2018 की अवधि तक NPA खाती) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 10.09.2019

Jhalrapatan - (RA): MSL-896, MUL-380, 530, 575, 631, 731, 781, **Jhalwar - (RA):** MUL-359, 411, 467, 603, 652, 660, 762, 777, 821

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 11.09.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., above Oriental Bank of Commerce, Bus Stand Road, Jhalrapatan - 326023** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 14.09.2019

Kota - Mahavir Nagar: MHL-83, MUL-672, 677, MWS-228, 344, 408, 624, 808, 908, 1152, 1484, 1536, 1927, 1939, 2027, 2123, 2163, 2354, 2528, **Kota - Gumanpura:** MUL-1674, MWS-325, 343, 406, 413, 618, 863, 1107, 1118, 1310, 1325, 1516, 1559, 1569, 1702, 1886, 2047, **Kota - Cad Circle:** MUL-2046, 2144, 2185, 2305, 2474, 2499, 2601, 2639, 2756, 2779, 2858, 2980, 3021, 3221, **Kota - Nayapura:** MUL-1577, 1645, 1692, 1751, 1793, 1912, 1925, 1926, 1989, 1999, 2104, **Kota - Aerodrome Circle:** MWS-180, 227, 279, 309, 340, 341, 345, 394, 436, 439, 469, 576, 577, 590, 618, 677, 706, 1189, 1464, **Kota - Baran Road - (RA):** MUL-661, 713, 745, 756, 817, 821, 847, 893

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 16.09.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र **Plot No. 640, Dadabari Road, Shastri Nagar, Near Cad Circle, Kota - 324009** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 10.09.2019

Ramganj Mandi - (RA): MUL-808, 824, 840, 877, 889, 896, 917, 972, 1014, 1090, 1096, 1315, 1358, 1391, 1402, 1610, 1617, 1702, 1753

नीलामी की तिथि: 12.09.2019

Baran - (RA): MUL-1324, 1507, 1513, 1658

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Bundi - (RA): MGL-922, 1070, 1484, 1485, 1486, MSL-5348, 5787, 5855, MUL-98, 280, 397, 487, 597, 633, 751, 754, 1265, 1386, 1420, 1460, 1723, 1784, 1813, 1843, 1927, 1929

नीलामी की तिथि: 14.09.2019

Deoli - (RA): MSL-3384, 3560, MUL-524, 577, 593, 627, 665, 750, 765, 821, 893, 900, 1009, 1031, 1090

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Bundi - (RA): MTL-1369, MUL-1640

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड से ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	**Khairwala International Limited**
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	22nd February, 1992
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs - ROC - Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of Corporate Debtor	U51900DL1992PLC052248
5.	Address of the Registered office and Principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Address: 4273-B Gali Nahu Ji Pahari Dhiraj DELHI Central Delhi DL 110006 Factory address: 2 Km Stone, Khair Somna Road, Kasba Khair, District Aligarh, U.P. 202138 and Village-Rasulpur, Kasba Khair, District Aligarh, U.P. 202138
6.	Insolvency commencement date of the Corporate Debtor	09th May, 2019
7.	Date of invitation of Expression of Interest	4th September, 2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be obtained at www.primusresolutions.in under Primus Public Announcements
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details can be obtained at www.primusresolutions.in under Primus Public Announcements
10.	Last date for receipt of Expression of Interest	15th September, 2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective Resolution Applicants	20th September, 2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	25th September, 2019
13.	Date of issue of final list of prospective Resolution Applicants	27th September, 2019
14.	Date of issue of Information Memorandum, evaluation matrix and request for Resolution Plans to prospective Resolution Applicants	25th September, 2019
15.	Manner of obtaining request for Resolution Plan, evaluation matrix, Information Memorandum and further information	Shall be shared in electronic form to all the Prospective Resolution Applicants eligible to receive the same under Regulations 36B(1) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016
16.	Last date for submission of Resolution Plans	25th October, 2019
17.	Manner of submitting Resolution Plans to Resolution Professional	Details will be provided at the time of issue of Request for Resolution Plan.
18.	Estimated date for submission of Resolution Plan to the Adjudicating Authority for approval	30th October, 2019
19.	Name and Registration number of the Resolution Professional	Mr. Harjeet Singh Rekhi Reg.No.:IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Mr. Harjeet Singh Rekhi **Address Registered with the Board:** C3/33, 2nd Floor, Janakpuri, New Delhi, National Capital Territory Of Delhi, 110058 **Email Registered with the Board:** hsrekhi2@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	**Address for Correspondence:** Primus Insolvency Resolution and Valuation Pvt. Ltd., C4E/135, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: kil@primusresolutions.in
22.	Further Details are available at or with	This can be obtained by sending a request email at kil@primusresolutions.in
23.	Date of publication of Form G	4th September, 2019

Date: 04.09.2019
Place : New Delhi

Harjeet Singh Rekhi
Resolution Professional- Khairwala International Ltd.
Reg.No.:IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Personal) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	Unmati Fortune Holdings Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	20.08.2011
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No of corporate debtor	U74900DL2011PLC221125
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Registered Office:** 560 G.T ROAD, 1st Floor Shahdara Opposite UCO Bank Delhi, East Delhi DL 110032 IN **Corporate Office:** B-117 Sector 67, Noida 201301 UP
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	27.03.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	20.03.2020**
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Sanjoy Gupta IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-18/10252
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-1,New Delhi, Delhi,110048 E-mail ID- sanjoygupta@aaainsolvency.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-1,New Delhi, Delhi,110048 E-mail:unmatifortune@aaainsolvency.com
11.	Last date for submission of claims	18.09.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Home Buyers (Real Estate Investors)
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Ghanshyam Kaushik 2. Pawan Kumar Garg 3. Praveen Kumar Garg
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	A. Relevant Forms Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads B. Details of authorized representatives are available at: Web link: www.aaainsolvencyandbankruptcy.in Physical Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-1,New Delhi, Delhi,110048 (Note: As the website of the Corporate Debtor is not in control, hence IRP is using the website of his IPE)

**The date of closure of CIRP has been calculated as 330 days from the date of commencement of the Insolvency as per the latest amendment dated 16th August, 2019, subject to the Hon'ble NCLT's order, which will be applicable in this case as 137 days have been lost as a result of the stay granted by the Hon'ble NCLT, consequent to the Supreme Court order.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Unmati Fortune Holdings Limited on 27.03.2019

The creditors of Unmati Fortune Holding Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 18.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representation from among the three insolvency professionals listed against entry No 13 to act as authorised representative of the class in Form CA.

The claims may be submitted in their specific forms B, C, D and E from the website https://ibbi.gov.in/download/forms in terms of Regulation 7 & 9 of The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 by the Operational Creditors (except Workmen and Employees), Financial Creditors, Workmen or Employees and Authorised Representatives of Workmen and Employees, respectively, as the case may be.

Note: The CIRP in this case was stayed vide Hon'ble NCLT order dated 27.03.2019. Thereafter, subsequently the same bench stayed the matter vide order dated 09.04.2019 consequent to the supreme court judgement. Now, the case has been revived vide Hon'ble NCLT order dated 20-08-2019. We understand the claimants are too many in this case. They have not got full time to comply, giving 8-9 days for filing of their claim.

Therefore, we are making the Public Announcement again and hence we are providing 14 days time for receiving the claims.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 03.09.2019
Place: New Delhi

Mr. Sanjay Gupta
Interim Resolution Professional
AAA Insolvency Professional LLP
IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-18/10252

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

सीआईएन : L18101DL1989PLC034528
पंजीकृत कार्यालय : सीडी-14, नेहरू प्लेस, कालकाजी पोस्ट ऑफिस के सामने, नई दिल्ली-110019
ई-मेल : company.affairs@ribatextiles.com, वेबसाइट : www.ribatextiles.com
फोन नंबर : +91 11 26238686, फैक्स नंबर : +91 11 26485227

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सीडी-14, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी पोस्ट ऑफिस के सामने, नई दिल्ली-110019, भारत में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर तथा जिनका ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत है, उनके ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा। ई-मेल हार्ड अथवा भौतिक प्रति के रूप में एजीएम की सूचना का प्रेषण 03 सितम्बर, 2019 को पूर्ण किया जा चुका है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 और सेबी एलओडीआर 2015 (उनके सांविधिक संशोधनों) अथवा पुनर्अधिनियमन सहित, जो अभ्यर्थी रूप से लागू है) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में वर्णित सभी व्यवसाय मदों के निष्पादन हेतु सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। सदस्यगण जनरल नोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए वोटिंग के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग द्वारा) वोट कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा **शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे आरम्भ होगी तथा शनिवार, 29 सितम्बर, 2019 को अप. 5.00 बजे** समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

केवल वह व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसका नाम **निर्धारण तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज होगा।

कोई व्यक्ति, जिसने उक्त सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित किए हैं तथा सदस्य बना है, रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेन्ट सिंकरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैटल हाउस, तृतीय तल, 99, मकानगीर, बीएच- लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दाखा खरुआसराय मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062 से प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में दी गई है, जो सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी द्वारा एजीएम में मतदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित ऐसे सदस्य जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग का परिणाम कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के दिन अथवा उसके पश्चात घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम तथा स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट सदस्यों की सूचना हेतु कम्पनी की वेबसाइट पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर अपलोड की जाने के अतिरिक्त सूचित एक्सचेंज को सूचित की जाएगी।

यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह अथवा समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें। हेल्पडेस्क से जनवरी शीनवर 1800-200-5533 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(वीरेन्द्र कुमार गर्ग)
अध्यक्ष एवं पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 00202164

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 03-09-2019

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
त्रिस्टॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	त्रिस्टॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
2	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	03-04-2003
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / लिमिटेड देयता पहचान संख्या	U72200DL2003PTC119728
5	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: सी-207, शालीमार एन्क्लेव नई दिल्ली-110017
6	कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में दिवाला आरम्भ तिथि	अगस्त 28, 2019
7	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	फरवरी 24, 2020
8	अंतरिम सम

'बाबरी मस्जिद के अंदर 1949 में नजर बचाकर रखी गईं मूर्तियां'

नई दिल्ली, 3 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुसलिम पक्षकारों ने मंगलवार को दावा कि 22-23 दिसंबर की दरम्यानी रात अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने के लिए 'सुनियोजित' और 'नजर बचा के हमला' किया गया जिसमें कुछ अधिकारियों की हिंदुओं के साथ मिलीभगत थी और उन्होंने प्रतिमाओं को हटाने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 18वें दिन सुनवाई की। इस दौरान मुसलिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ को बताया कि फैजाबाद के तत्कालीन उपायुक्त केके नायर ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद मूर्तियों को हटाने की इजाजत नहीं दी।

धवन ने पीठ को बताया, 'बाबरी के अंदर देवी-देवताओं की प्रतिमा का प्रकट होना चमत्कार नहीं था। 22-23 दिसंबर 1949 की दरम्यानी रात उन्हें रखने के लिए सुनियोजित तरीके से और गुपचुप हमला किया गया।'

आदिवासी युवती को सरेआम परेड कराकर पीटा

अलीराजपुर (मध्य प्रदेश), 3 सितंबर (भाषा)।

दूसरी बिरादरी के आदिवासी युवक से कथित प्रेम संबंधों के चलते एक युवती को अलीराजपुर जिले के टेमाची गांव में अर्द्धनग्न अवस्था में सरेआम घुमाने और बेरहमी से उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया है। यह घटना शनिवार को हुई और मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि, पुलिस ने अब तक इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। जोबट के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आरसी भाकर ने बताया कि यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

अंचल कार्यालय : बुलंदशहर

पता : यमुनापुरम, बुलन्दशहर, यू.पी. – 203001

मो: 9897912444, फोन: 05732–281724, ई–मेल: cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत जनसाधारण हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना, अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेषतः उधारकर्ताओं, बन्धककर्ताओं और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बन्धक/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल सम्पत्तियों, जिनका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा पंजाब नैशनल बैंक अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, को निम्न नामित उधारकर्ताओं, बन्धककर्ताओं और गारंटरों द्वारा पंजाब नैशनल बैंक अर्थात् प्रतिभूति ऋणदाता को भुग्तेय निम्न वर्णितानुसार राशि की वसूली के लिए, को विक्रय तिथि **19.09.2019** पर **''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ है''** के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा संलग्न सूची के अनुसार होगी। ज्ञात भारग्रस्तताओं, यदि कोई होती हैं, के साथ अचल सम्पत्ति का एक अल्प विवरण निम्नानुसार वर्णित है।

विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए कृपया **1) www://pnbindia.in, 2) www://pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app** में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

ई–नीलामी का विवरण

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
16.09.2019 (सोमवार) पूर्व. 12:00 बजे से पूर्व. 16:00 बजे तक	**17.09.2019** (मंगलवार) पूर्व. 16:00 बजे तक	**19.09.2019** (बृहस्पतिवार) पूर्व. 12:00 बजे से पूर्व. 14:00 बजे तक

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं बैंक शाखा	संपत्ति(यों) के स्वामी का नाम/बंधककर्ताओं के नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	बंधक रखी गई संपत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि (इएमडी)	सर्फेसी एक्ट के धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सर्फेसी एक्ट के धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	**श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह** शाखाः औरंगाबाद, बुलन्दशहर	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री योगेन्द्रपाल सिंह	दिनांक 01.10.18 से रु. 16,36,133.01 तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	एक आवासीय भूखंड 157.49 वर्ग मीटर का स्थित है न्यू आबदी, (अजीजाबाद), परगना बरन, कस्बा औरंगाबाद तहसील और जिला बुलंदशहर, यू.पी. – 202402 चौहदीः पूर्व की ओर बंधी रास्ता 18 फीट, चौड़ी, पश्चिमः कब्रिस्तान, उत्तरः प्लॉट ऑफ वेंडर, साउथः लैंड ऑफ मनोज एंड राजू आदि संपत्ति, सब–रजिस्ट्रार बुलंदशहर के कार्यालय में पंजीकृत है, बाहि नं. 1, जिल्द नं. 4212 में पेज 75–116 क्रमांक 3093 दिनांक 06.05.2015 को दर्ज है।	रु. 15,00,000/- (रु. पन्द्रह लाख मात्र)	रु. 1,50,000/- (रु. एक लाख पच्चास हजार मात्र)	15.10.18	07.02.19 (सांकेतिक कब्जा)
2.	**मै. श्री कोरुगेटर्स – प्रो. श्रीमती सीमा सोलंकी** शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सीमा सोलंकी	दिनांक 01.07.2018 से रु. 79,50,872/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	आवासीय हाउस नं 5/117 क्षेत्रफल 200.00 वर्ग गज, गली नंबर 2, गोलर रोड, अलीगढ़ में स्थित है। चौहदीः उत्तरः हाउस पुष्पा देवी, साउथः हाउस जय नारायण, पूर्वः बॉम्बे वाला पेच, पश्चिमः रास्ता 8 फीट चौड़ा	रु. 51,45,000/- (रु. इक्यावन लाख पैंतालिस हजार मात्र)	रु. 5,14,500/- (रु. पाँच लाख चौदह हजार पाँच सौ मात्र)	01.08.2018	10.01.2019 (सांकेतिक कब्जा)
3.	**मै. यूटुक पैकेजिंग प्रो. श्रीमती प्रत्युश प्रभा पत्नी श्री संकोच चौहान** शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	प्रत्युश प्रभा एवं श्रीमती सीमा सोलंकी	दिनांक 01.07.2018 से रु. 50,92,342/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	"प्लॉट नंबर 79ए, 79बी, 80, 81, ब्लॉक–सी, वसंत विहार कॉलोनी, खसरा नंबर 49, अलापुर गादिया, खैर बायपास रोड पीएंडटी कोइल, अलीगढ़, यूपी –202001 क्षेत्रफल 340.71 वर्ग मीटर है। चौहदीः– उत्तरः संकौच चौहान की संपत्ति दक्षिणः सड़क 14.0 फीट चौड़ी, पूर्वः सोसाइटी के सदस्य का प्लॉट, पश्चिमः सड़क 23.0 फीट चौड़ा नोटः ईएम, बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर बनाया गया, मूल शीर्षक कर्म बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।	रु. 18,80,000 (रु. अट्ठारह लाख अस्सी हजार मात्र)	रु. 1,88,000/- (रु. एक लाख अट्ठासी हजार मात्र)	14.09.18	10.01.19 (सांकेतिक कब्जा)
4.	**मै. ए एस ट्रेडिंग कंपनी प्रो. अय्यूब पुत्र जफरुद्दीन** शाखाः डेपुटी गंज, बुलंदशहर	श्री इरफान खान पुत्र श्री शमशाद खान एवं श्री इमरान खान पुत्र श्री शमशाद खान	दिनांक 01.10.2018 से रु. 10,45,332/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	वाणिज्यिक–सह आवासीय भवन, डबल मंजिला, 1686.66 वर्ग मीटर की भूमि पर निर्मित, हीरपुर, सियाना रोड, टाउन बुलंदशहर, परगना बारां, तहसील और जिला बुलंदशहर, उ.प्र .– 203001 में स्थित है। चौहदीः– नोर्थ–वेस्ट मेन रोड टू सियाना, नोर्थ–ईस्ट हाउस ऑफ श्री पंकज/राजेश ,साउथ–ईस्ट प्राइमरी स्कूल, साउथ–वेस्ट सेवा डेयरी, किताब नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1758 में, पेज 308/309 में क्रमांक संख्या 1500 दिनांक 03.03.1983 को बुलंदशहर के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।	रु. 1,35,00,000/- (रु. एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)	रु. 13,50,000/- (रु. तेरह लाख पच्चास हजार मात्र)	22.10.18	07.02.2019 (सांकेतिक कब्जा)
5.	**मै. मदीना क्रोकरी हाउस प्रो. मो. इमरान** शाखाः खुर्जा, बुलंदशहर	श्री मंजूर अहमद पुत्र श्री मो. जान	दिनांक 01.10.2018 से रु. 12,72,970.50 तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	प्लॉट एरिया 103.56 वर्ग मीटर पर आवासीय मकान नंबर 105, मोहल गोविंद देव (अंदर गली में), मुगलपुरा, खुर्जा, जिला बुलंदशहर यू.पी.–203131 में स्थित है। चौहदीः– पूर्वः भाना जैन की मकान, पश्चिमः 12 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः 12 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः साहिबान की मकान	रु. 7,50,000/- (रु. सात लाख पच्चास हजार मात्र)	रु. 75,000/- (रु. सत्तर हजार मात्र)	17.07.2018	17.11.18 (सांकेतिक कब्जा)
6.	**मै. यादव पशुधान प्रो. श्री नीतू यादव** शाखाः बरल, बुलंदशहर	श्री नीतू यादव पुत्र श्री राम चन्द यादव	दिनांक 01.04.2016 से रु. 9,59,897/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	"आवासीय प्लॉट का क्षेत्र 418.30 वर्ग मीटर ग्राम बराल परगना अगोता, तहसील और जिला बुलंदशहर, यू.पी. –245408 चौहदी इस प्रकार है, पूर्वः वेंडर का प्लॉट, पश्चिमः राजेंद्रपाल का घर, उत्तरः रस्ता 8 फीट चौड़ा, दक्षिणः काले सिंह का घर सब–रजिस्ट्रार, बुलंदशहर के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द सख्यां 3994 में पेज 317–352 पर क्रमांक संख्यां 7031 को दिनांक 04.10.2014 को पंजीकृत है।	रु. 8,70,000/- (रु. आठ लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 87,000/- (रु. सत्तासी हजार मात्र)	16.11.18	16.02.19 (सांकेतिक कब्जा)
7.	**मै. इमरान खान पुत्र श्री नसीम अंसारी** शाखाः खुर्जा, बुलंदशहर	श्री नसीम अहमद अंसारी पुत्र श्री हाजी नाजी कौम	दिनांक 01.04.2018 से रु. 10,75,660.60/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	आवासीय संपत्ति हाउस नंबर 63, सेक्टर 11, मोहल्ला स्लमनखान (भूरी वली गली), खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उ.प्र .– 203131 में स्थित है। क्षेत्रफल 60.35 वर्गमीटर। चौहदीः ईस्ट.–हाउस ऑफ हाफिज जी, वेस्ट –हाउस ऑफ कलुवा एंड हाउस ऑफ मिस्टर अलीम भाई, नोर्थ– गली/ रास्ता, साउथ– हाउस ऑफ बब्बू भाई	रु. 9,70,000/- (रु. नौ लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 97,000/- (रु. सत्तानबे हजार मात्र)	05.05.18	17.11.18 (सांकेतिक कब्जा)
8.	**मै. गगन बुक डिपोट – प्रो. श्री उमा शंकर पुत्र श्री राम चन्द्रा** शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री उमा शंकर शर्मा	दिनांक 01.01.2018 से रु. 13,71,706.33/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	आवासीय मकान, कुल क्षेत्रफल 62.70 वर्ग मीटर स्थित है हाउस. नं. 19/196, गगन बुक डिपो, बापू नगर, खेत नंबर 303 गंभीरपुरा, गली नंबर 2 में, मनोई डिश के पास, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, यू.पी. 202001 चौहदीः– पूर्व से घिरा हुआ है – प्रेमपाल का घर, पश्चिम – सड़क 12 फीट चौड़ा, उत्तर – संतोष कुमार का घर और दक्षिण – राजेंद्र का घर	रु. 15,77,000/- (रु. पन्द्रह लाख सतहत्तर हजार मात्र)	रु. 1,57,700/- (रु. एक करोड़ सत्तावन लाख सात हजार मात्र)	29.01.2018	27.08.2018 (सांकेतिक कब्जा)
9.	**मै. तनिष्क स्टील** शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	दिनांक 01.04.2018 से रु. 38,03,128/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	औद्योगिक प्लॉट न. 29 से 32 मिनी औद्योगिक एस्टेट, खैर, अलीगढ़, यू.पी. 202138 क्षेत्रफल 512.00 वर्ग मीटर चौहदीः–। पूर्व–औद्योगिक एस्टेट रोड, पश्चिम– प्लॉट नंबर 35, 36, 37 और 38, उत्तर– प्लॉट नंबर 33, दक्षिण– प्लॉट नंबर 38 से घिरा हुआ है।	रु. 14,40,000/- (रु. चौदह लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 1,44,000/- (रु. एक करोड़ चौवालीस लाख मात्र)	03.05.2018	24.07.2018 (सांकेतिक कब्जा)
				औद्योगिक प्लॉट नं. 34 से 36 मिनी औद्योगिक एस्टेट, खैर, अलीगढ़, यू.पी. 202138 क्षेत्रफल 384.00 वर्ग मीट, चौहदी: पूर्वः प्लॉट नंबर 31, 32 और 33, पश्चिम– इंडस्ट्रियल एस्टेट रोड, उत्तर– इंडस्ट्रियल एस्टेट रोड, दक्षिण प्लॉट नंबर 37 से घिरा हुआ है।	रु. 9,90,000/- (रु. नौ लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 99,000/- (रु. निन्यानवे हजार मात्र)	03.05.2018	24.07.2018 (सांकेतिक कब्जा)
10.	**मै. हरिश मोटर्स** शाखाः पहासु, बुलन्दशहर	श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री चन्द्रहास सिंह	दिनांक 01.04.2017 से रु. 43,55,455.36/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	भूमि और भवन स्थित है पहासू देहात, खुर्जा – पहासू – छतारी रोड, कस्बा, पोस्ट और परगना पहासू, तहसील शिकारपुर जिला बुलंदशहर, उ.प्र. 202396 क्षेत्रफल 127.22 वर्ग मीटर, चौहदीः– ईस्ट–खुर्जा – पहासू – छतारी रोड, वेस्ट– कच्चा रास्ता 5.5 मीटर से घिरा हुआ है। नोर्थ– प्लॉट ऑफ वेंडर श्री फहीमूदीन , दक्षिण– प्लॉट ऑफ वेंडर श्री महीमूदीन	रु. 27,00,000/- (रु. सत्ताइस लाख मात्र)	रु. 2,70,000/- (रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र)	04.08.2017	20.06.2018 (सांकेतिक कब्जा)
11.	**मै. हिमांशी आयरन स्टोर** बीओः खुर्जा रूरल, बुलंदशहर	श्री रवि कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार	दिनांक 01.05.2017 से रु. 14,41,825/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	नियर धाकड़ मोड़, बहार चुंगी खुर्जा, परगना और तहसील खुर्जा, जिला में आवासीय संपत्ति हिस्सा गाटा संख्या 1525 बुलंदशहर, यू.पी. 203131 पेपर के अनुसार।माप 262.18 वर्गमीटर और साइट के अनुसार 262.49 वर्गमीटर श्री रबी कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार। (प्रोप) मेसर्स हिमांशी आयरन के नाम है।	रु. 5,85,000/- (रु. पाँच लाख पच्चासी हजार मात्र)	रु. 58,500/- (रु. अट्ठावन हजार पाँच सौ मात्र)	26.07.2017	20.06.2018 (सांकेतिक कब्जा)
12.	**मै. तोमर बिल्डिंग मटेरियल** शाखाः बरल, बुलंदशहर	श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री अंगपाल सिंह	दिनांक 01.05.2015 से रु. 11,33,931/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	आवासीय मकान क्षेत्रफल 72.51 वर्गमीटर के प्लॉट पर निर्मित है। मोहल्ला न्यू ऐबादी विकास कॉलोनी, कस्बा गलौठी। परगना अगोता, तहसील और जिला। बुलंदशहर, उ.प्र 203408 ईस्ट–हाउस ऑफ कुंवर सेन वेस्ट–रस्ता 14 फीट, नोर्थ–एनएच/ओ. श्री पवन यादव, साउथ–रस्ता 14 फीट से घिरा है।	रु. 11,70,000/- (रु. ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 1,17,000/- (रु. एक लाख सत्तरह हजार मात्र)	29.08.2017	03.03.2018 (सांकेतिक कब्जा)
13.	**मै. विजय ट्रेडिंग कं. – प्रो. आदेश कुमार** शाखाः औरंगाबाद	श्री आदेश कुमार, श्री अवधेश कुमार, श्री अर्जुन सिंह एवं श्रीमती रामवती	दिनांक 01.07.2018 से रु. 13,16,487.52 तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	मोहल्ला पावसरा रोड, औरंगाबाद में स्थित आवासीय भवन, जिला बुलंदशहर, यू.पी. – 203901 की माप 13.46 वर्ग मीटर ईस्ट–प्लॉट हरि सिंह, वेस्ट–पावसरा रोड, नोर्थ– पावसरा रोड, साउथ– प्लॉट सगीर अहमद	रु. 7,00,000/- (रु. सात लाख मात्र)	रु. 70,000/- (रु. सत्तर हजार मात्र)	09.08.18	11.12.18 (सांकेतिक कब्जा)
				मोहल्ला सॉफ्टन गढ़ी, औरंगाबाद में स्थित आवासीय भवन, जिला बुलंदशहर, यू.पी. 99.49 वर्ग मीटर की माप ईस्ट–खेत इलियास, वेस्ट– आराजी सेलर, नोर्थ– आराजी मजीदन, साउथ– रोड औरंगाबाद के रूप में हुई।	रु. 6,50,000/- (रु. छः लाख पच्चास हजार मात्र)	रु. 65,000/- (रु. पैंसठ हजार मात्र)	09.08.18	11.12.18 (सांकेतिक कब्जा)
14.	**श्री कमलेश चन्द गुप्ता** शाखाः विक्रम कालोनी, अलीगढ़	श्री कमलेश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रश्मी गुप्ता	दिनांक 01.05.2018 से रु. 80,79,399/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	आवासीय फ्लैट नंबर 4, पहली मंजिल, स्क्वायर टॉवर, जापान हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़, यू.पी. 202001 माप 153.28 वर्ग। मीटर, सब–रजिस्ट्रार कोइल के साथ पंजीकृत, बाहि नंबर 1 पर, जिल्ड नं 12170, पृष्ठ 303/348 पर क्रमांक 8966 दिनांक 10.09.2015 को दर्ज है।, सीम पूर्व – खुला स्थान और दीवार परिसर, पश्चिम : प्रवेश लॉबी, सीढ़ियाँ उत्तर – खुला स्थान, बाउंड्री वाल परिसर, मुख्य द्वार और मार्ग, दक्षिणः अमित कुमार अग्रवाल	रु. 38,90,000/- (रु. अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 3,89,000/- (रु. तीन लाख नवासी हजार मात्र)	07.06.2018	10.10.2018 (सांकेतिक कब्जा)
15.	**मै माँ वैष्णो कोरूगेटर्स – प्रो. श्री संकोच चौहान** शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	दिनांक 01.04.2018 से रु. 94,25,423/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	खसरा नंबर 49, प्लाट नंबर 93, 94, 92 पर स्थित फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, आलापुर गड़िया, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़, यू.पी. 202138 मापने 310.81 वर्ग मीटर चौहदीः– ईस्ट प्लॉट नंबर 79, 80 और 81, वेस्टॅ– प्राइवेट रोड, नोर्थ– प्राइवेट पैसेज, साउथ– प्लॉट नंबर 91 से घिरा हुआ है।	रु. 27,95,000/- (रु. सत्ताईस लाख पन्चानवे हजार मात्र)	रु. 2,79,500/- (रु. दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ मात्र)	21.04.2018	12.07.2018 (सांकेतिक कब्जा)
16.	**इमरान खान पुत्र बाबू खान** शाखाः भूर, बुलंदशहर	श्रीमती नाजिमा बेगम पत्नी श्री बाबू खान	दिनांक 01.04.2018 से रु. 10,92,810.58/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	100 वर्ग मीटर का आवासीय मकान का साम्यिक बंधक जो कि मोहल्ला लाल दरवाजा शिकारपुर जिला बुलंदशहर में है। चौहद्दी : पूर्वः फैजई का मकान, पश्चिमः 8 फुट चौड़ा रास्ता एवं श्री अलीम भाई का मकान, उत्तरः हनीफ का मकान, दक्षिणः 8 फुट चौड़ा रास्ता।	रु. 12,00,000/- (रु. बारह लाख मात्र)	रु. 1,20,000/- (रु. एक लाख बीस हजार मात्र)	24.04.2018	26.07.2018 (सांकेतिक कब्जा)
17.	**मै. अनी डायरी – प्रो. श्रीमती मोनिका बलियान** शाखाः सिविल लाइन्स, बुलंदशहर	श्री देविन्दर सिंह पुत्र श्री कंचन सिंह	दिनांक 01.10.2017 से रु. 11,30,251/- तथा इस पर अग्रिम ब्याज व मूल्य	200.00 वर्ग गज की आवसी संपत्ति जो कि मकान सं 52, हरी एंकलेव, चाँदपुर रोड, बुलंदशहर, यू.पी. 203001 श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री कंचन सिंह के नाम में है।	रु. 60,00,000/- (रु. साठ लाख मात्र)	रु. 6,00,000/- (रु. छः लाख मात्र)	12.10.2017	09.02.2018 (सांकेतिक कब्जा)

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

i) सम्पत्तियां **"जैसा है जहां है आधार तथा जो है जैसा है आधार"** पर बेची जा रही हैं।

ii) यहां ऊपर तालिका में दिया गया प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दिया गया है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

iii) प्रत्याभूत आस्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

iv) नीलामी बिक्री पोर्टल **https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/epublish/app** के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" होगी।

v) बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल **https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/epublish/app** देखने तथा/अथवा **श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, (मोबाइल नंबर 8800305533)** उत्तर प्रदेश–202001 से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

vi) इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी "प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा उपरिवर्णित तिथि तक निम्नलिखित खाता – पंजाब नैशनल बैंक, यमुनापुरम बुलंदशहर, खाता सं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800)" में जमा करनी होगी। ड्राफ्ट कोआपरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिए।

vii) तदुपरांत, **ईएमडी** जमा करने के बाद बोलीदाताओं को **1. ईएमडी जमा का प्रमाण (एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा करने की स्थिति में) अथवा डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति (यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाना निर्धारित है)। 2. आईडी प्रमाण अर्थात पैन कार्ड इत्यादि की स्कैन प्रतियां। 3. आवासीय पते का प्रमाण। 4. (क) बोलीदाता का नाम (ख) मोबाइल नंबर/सम्पर्क नंबर (ग) पता (घ) ई–मेल पता। 5. व्यक्ति से अतिरिक्त बोलीदाताओं को भी ई–बोलीदान हेतु समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं को ये दस्तावेज ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी को ई–मेल पता cobsrsamd@pnb.co.in पर भेजे जाएंगे तथा इन दस्तावेजों (डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति) की स्व सत्यापित हार्ड प्रतियां भी "खाता मैसर्स खैरवाला इंटरनैशनल लिमिटेड में बोली" शीर्षांकित लिफाफे में उपरोक्त शाखा पते पर जमा करनी होंगी।**

viii) इच्छुक बोलीदाताओं को लॉग इन आईडी और पासवर्ड **श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, (मोबाइल नंबर 8800305533) अंचल कार्यालयः बुलंदशहर, यमुनापुरम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–202001 से पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बोलीदान के लिए अनिवार्य है। लॉग इन आईडी और पासवर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि बोलीदाता को लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं होते हैं तो वह उक्त अधिकारी से सम्पर्क करे।**

ix) केवल वे बोलीदाता ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे जो वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड और एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाना निर्धारित है) द्वारा ईएमडी भुगतान की पुष्टि के धारक हैं।

x) प्राधिकृत अधिकारी का किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाई जाती हैं अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी प्रास्थगित/निरस्त/स्थगित करने/रोकने और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम मान्य होगा।

xi) बोलीदाता अपनी बोली **रु. 20,000/– (रु. बीस हजार मात्र)** के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से पहले अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के मूल्य की प्रविष्टि मानवीय रूप से करनी होगी।

xii) नीलामी सुरक्षित मूल्य पर आरंभ होगी तथा बोलीदाता अपनी बोली उपरोक्तानुसार बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा उक्त बिक्री प्रत्याभूत क्रेडिटर द्वारा पुष्टि की शर्त के तहत होगी।

xiii) **सफल बोलीदाता को बोली/बिक्री की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी शामिल नहीं) ऊपर क्रमांक 6 पर वर्णित खाते में अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बिक्री संचालन कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक जमा करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहने पर पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूति पुनः बिक्री की जाएगी।**

xiv) सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा बोली स्वीकार किए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। उक्त 75 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहने पर पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता के सम्पत्ति की अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में सभी दावे अमान्य होंगे।

xv) यदि बैंक की बकाया राशि उनके द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों सहित अथवा बैंक को स्वीकार्य उसका कोई भाग कर्जदार अथवा गारंटर द्वारा/की ओर से बिक्री की नियत तिथि को या पहले जमा किया जाता है, आस्ति की बिक्री निरस्त की जा सकती है।

xvi) सभी कानूनी देय/अनुषंगी प्रभार/अन्य देय राशियां जिनमें पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी, कर इत्यादि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

xvii) बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम में जारी किया जाएगा जिसमें बोली प्रस्तुत की गई है।

xviii) ऐसे बोलीदाता जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है परंतु ई–नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वे **श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, (मोबाइल नंबर 8800305533)** से सम्पर्क कर सकते हैं।

xix) बैंक को अन्य किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामी की जा रही सम्पत्ति के संबंध में सरकार अथवा किसी अन्य को देय किसी प्रभार, ग्रहाणाधिकार, ऋणभार अथवा अन्य किसी देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति पर कानूनी देयताओं, सम्पत्ति कर बकायों, बिजली बिल देयताओं सहित ऋणभारों के संबध में स्वयं स्वतंत्र रूप से पूछताछ करने की सलाह दी जाती है।

xx) बोलीदाता को समुचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक–अप इत्यादि सुनिश्चित करना चाहिए। बैंक इंटरनेट या बिजली फेल होने अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकस्मिकताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xxi) नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी।

तिथिः 02.09.2019
स्थानः बुलंदशहर

प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्याभूत ऋणदाता
पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, बुलंदशहर

epaper.jansatta.com

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

CIN: L15910DL1985PLC021348

Regd. Office: 104, Mukand House, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi 110033

Telephone: 011-27673522, 47030000 **Fax No.** - 011-27676399

Email: info@focusimited.in, **Website:** www.focusimited.in

Notice of the 34th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the **34th Annual General Meeting** of the Members of the Company is scheduled to be held on **Monday, September 30, 2019 at Shalimar Bagh Club, Plot No-9, B-Block, Community Centre, Club Road, Shalimar Bagh, Delhi- 110088 at 12:00 Noon** to transact the business mentioned in the notice. Notice of the AGM and other annexure has been dispatched to all the members and other persons entitled to receive the same. The copies of aforesaid documents are available on the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Further Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **September 27, 2019 to September 30, 2019** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company is pleased to inform that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote by Electronic means on any or all of the business specified in the aforesaid Notice. E-voting will commence on **Friday, September 27, 2019 at 10:00 A.M and will end on Sunday, September 29, 2019 at 5:00 P.M.** Now e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

By order of the Board
For Focus Industrial Resources Limited
Sd/-
(Mamta Jindal)
Managing Director
DIN-00085096

Place: Delhi
Date: September 02, 2019

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. नं.244/2019/डीआरटी-3 के मामले में

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... **आवेदक**

बनाम

श्रीमती नम्रता एवं अन्य ..... **प्रतिवादी**

सेवा में, (डी-2) मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
इसके प्राधिकृत अधिकारी/निदेशक के माध्यम से
इसका पंजीकृत कार्यालयः 197-ई, पॉकेट-4, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091.
इसके अलावाः ए-80, सेक्टर-2, नोएडा, उ0प्र0-201301

चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 05.09.2019 को पूर्वा:10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

23 जुलाई 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।

न्यायालय की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

फार्म ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत}

वेब टेक पैकेजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संगत विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**वेब टेक पैकेजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	05.02.1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं.	U25202DL1998PTC092055
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	मकान नं. 163, तीसरा तल, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली–110065
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	02.09.2019
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	29.02.2020
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	आशु गुप्ता आईबीबीआई/आईपीए–002/आईपी–एन00339/2017–2018/10943
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई–मेल	204ए, दूसरा तल, 23, एसबीआई बिल्डिंग, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, शिवाजी मार्ग, डीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली–110015 ई–मेलः ashugupta.cs@gmail.com
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई–मेल	204ए, दूसरा तल, 23, एसबीआई बिल्डिंग, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, शिवाजी मार्ग, डीएलएफ टॉवर के सामने, नई दिल्ली–110015 ई–मेलः irpwebteck@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	16.09.2019
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	अब तक आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	अब तक आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	वेब लिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads अब तक आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 02.09.2019 (02.09.2019 को आदेश दिनांक 25.07.2019 की कॉपी प्राप्त) को वेब टेक पैकेजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

वेब टेक पैकेजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 16.09.2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत अपने निर्दिष्ट फार्म बी, सी, डी एवं ई में अपने दावे जमा किये जाने चाहिए। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांकः 03.09.2019 हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली आशु गुप्ता अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. नं.246/2019 के मामले में

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... **आवेदक**

बनाम

श्री रवि किरण गंतेला एवं अन्य ..... **प्रतिवादी**

सेवा में, (डी-1) श्री रवि किरण गंतेला, पुत्र श्री जोसफ गंतेला, निवासी मकान नं.545, गली नं.2, गाँव ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301, उ0प्र0।

इसके अलावाः 5-7/4-19, के.एल. राव नगर, 4 लेन, विजयवाड़ा शहर, कृष्णा-520001, आंध्र प्रदेश।

इसके अलावाः बिक्री प्रबंधक, आई.डी.सी. टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, सी-22/26, सेक्टर-57, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301, उ0प्र0। इसके अलावाः C/o. आईडीसी टेक्नोलॉजीज सोल्युशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, 3322-ए, दूसरी मंजिल, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.

इसके अलावाः निवासी माधवारम पुडुगुरल्ला, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश-522413.

(डी-2) सुश्री बैंकटा लक्ष्मी जनमाला, पत्नी श्री रवि किरण गंतेला, निवासी 6-7-6/1, थिरूमलाई स्ट्रीट, पेट्रोल बंक के सामने, टेलर पेटा, विजयवाड़ा (शहर) कृष्णा, आंध्र प्रदेश-520001.....सह कर्जदार

इसके अलावाः 5-7/4-19, के.एल. राव नगर, 4 लेन, विजयवाड़ा शहर, कृष्णा-520001, आंध्र प्रदेश।

(डी-3) मैसर्स शुभकामना बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड, निदेशक के माध्यम से, 197-ई, पॉकेट-4, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091..... विस्टर

इसके अलावाः ए-80, सेक्टर-2, नोएडा, उ0प्र0।

चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 05.09.2019 को पूर्वा:10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

23 जुलाई 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।

न्यायालय की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

फार्म ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत}

यंग माइंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संगत विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	यंग माइंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	09.04.2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं	U74999DL2016PTC298165
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	9ए, दूसरा तल, दाई तरफ हौज खास गांव, दिल्ली नई दिल्ली–110016
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	18.07.2019 (आर्डर 02.09.2019 को प्राप्त हुआ)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	14.01.2020
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	संजय साहनी आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी–पी00341/2017–2018/10642
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई–मेल	जी–11/3, भूतल, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 ई–मेलः casanjaysahni@gmail.com
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई–मेल	जी–11/3, भूतल, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 ई–मेलः cirpyoungmind@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	16.09.2019
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	लागू नहीं
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	वेब लिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ ने 18 जुलाई, 2019 (आर्डर 2 सित 2019 को प्राप्त) को यंग माइंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

यंग माइंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 16 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सीए में वर्ग (लागू नहीं) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ता./–
संजय साहनी
अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
यंग माइंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी–पी00341/2017–2018/10642

दिनांकः 03.09.2019
स्थानः नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय : वसुन्धरा, गाजियाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वसुन्धरा, गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **30/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्रीमती अनीता शर्मा, पत्नी श्री गौतम शर्मा (कर्जदार) एवं श्री गौतम शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा (गारंटर),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.18,86,014/– (अठारह लाख छियासी हजार चौदह रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क,** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 30.08.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.18,86,014/– (अठारह लाख छियासी हजार चौदह रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क,** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वसुन्धरा, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री गौतम शर्मा के नाम में 380 इन्दर गढ़ी निकट सी ब्लॉक, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद–201001 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरी है:

पूर्वः प्लॉट की सीमा पश्चिमः प्लॉट भारत
उत्तरः रोड 15 फीट दक्षिणः स्कूल

स्थानः गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 30/08/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s AMBIENCE PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of corporate debtor	AMBIENCE PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	14th April, 1986
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi, India, under the Companies Act, 1956
4	Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51109DL1986PTC023886
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	L-4, Green Park Extension, New Delhi-110016 India
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	27th August, 2019 (Date of receipt of order 2nd September, 2019)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	12th February, 2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name–Sandeep Chandna Reg No - IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Reg. Add –HOUSE NO.20,GROUND FLOOR, A-BLOCK,SOUTH CITY 2,SECTOR 49,SOHNA ROAD, GURUGRAM,HARYANA 122018 Email –csandeep@live.in
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address – Sun Resolution Professionals Pvt Ltd. 103, National Media Centre, Sheetal Chowk, Nr. Ambience Mall, DLF Cyber City,Gurugram – 122010 Email – sandip@sunresolution.in
11	Last date for submission of claims	09th September, 2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Real estate investors
13	Names of insolvency professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1) CMA Mr.Sandeep Goel- IBBI/IPA-001/IP-N00073/2017-18/10583 2) CMA Mr. Sumit Shukla- IBBI/IPA-001/IP-N00064/2017-18/10550 3) CS Mr.Gopal Lal Bansal IBBI/IPA-001/IP-N00553/2017-2018/11677
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Relevant forms at www.ibbi.gov.in Details of authorized representatives are available at: – Sun Resolution Professionals Pvt Ltd. 103, National Media Centre, Sheetal Chowk, Nr. Ambience Mall, DLF Cyber City,Gurugram – 122010

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Ambience Private Limited on 27th August, 2019.

The creditors of Ambience Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 09th September, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representatives of the class Home Buyers(Real Estate Investors) in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/
Sandeep Chandna
Interim Resolution Professional
Reg No- IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237

Date: 3rd September, 2019
Place: Gurugram

भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा 2-0 से किया क्लीन स्वीप

किंगस्टन, 3 सितंबर (भाषा)।

रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने सोमवार को यहां दूसरे और अंतिम टैस्ट के चौथे दिन चाय से पहले ही वेस्टइंडीज को 257 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीनस्वीप कर लिया। इसके साथ ही भारत एक समय में विश्व क्रिकेट के सिरमौर रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार आठवीं टैस्ट श्रृंखला जीतने में सफल रहा।

भारत के 468 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम जडेजा (58 रन पर तीन विकेट), शमी (65 रन पर तीन विकेट), इशांत शर्मा (37 रन पर दो विकेट) और जसप्रीत बुमराह (31 रन पर एक विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 59.5 ओवर में 210 रन पर सिमट गई।

जीत के साथ विराट कोहली भारत के सबसे सफल टैस्ट कप्तान भी बन गए। उनकी अगुआई में यह भारत की टैस्ट मैचों में 28वीं जीत है। कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है जिनकी अगुआई में भारत ने 27 टैस्ट जीते थे।

वेस्टइंडीज की ओर से शमारा ब्रूक्स ने एक जीवनदान का फायदा उठाते हुए सर्वाधिक 50 रन बनाए जबकि जर्मेन ब्लैकवुड तीन जीवनदान के बावजूद 38 रन ही बना सके। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी भी की। कप्तान जेसन होल्डर ने भी 39 रन बनाए।

इस जीत से भारत को विश्व टैस्ट चैंपियनशिप तालिका में 60 अंक मिले और टीम ने दो मैचों में 120 अंक के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका दो-दो मैचों में समान 60-60 अंक के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

भारत के गेंदबाजों के लिए दिन की शुरुआत खराब रही लेकिन लंच के बाद उन्होंने शानदार वापसी की। सुबह का सत्र भारत के गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों के लचर प्रदर्शन के कारण वेस्टइंडीज के नाम रहा जिसने दो विकेट गंवाकर 100 रन जोड़े। दूसरे सत्र में हालांकि भारत ने जोरदार वापसी करते हुए 65 रन पर छह विकेट हासिल किए। वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 45 रन से की। मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने पहले घंटे में भारतीय गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा जिन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी की।

किंगस्टन के सबीना पार्क क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज से सीरिज जीतने के बाद ट्राफी के साथ कोहली ।

धोनी का रेकार्ड तोड़ सबसे सफल टैस्ट कप्तान बने कोहली

विराट कोहली टैस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिह धोनी को पछाड़कर सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। कोहली की अगुवाई में भारत की यह 28वीं जीत है। कोहली ने 48 मैचों में 28वीं जीत दर्ज की है। धोनी ने अपनी कप्तानी में 60 टैस्ट मैचों में से भारत को 27 में जीत दिलाई थी ।

कोहली ने रिकार्ड अपने नाम होने पर कहा ,'कप्तानी का मतलब आपके नाम के आगे कप्तान लिखा होना भर है। यह टीम प्रयास का नतीजा है। यह दिखाता है कि हमारी टीम कितनी मजबूत है।'

सबसे सफल भारतीय टैस्ट कप्तानों की सूची में सौरव गांगुली तीसरे और मोहम्मद अजहरूद्दीन चौथे स्थान पर है जिन्होंने 21 और 14 मैचों में जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ सबसे कामयाब टैस्ट कप्तान हैं जिन्होंने 53 टैस्ट जीते। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम को 48 टैस्ट में जीत दिलाई। भारत दोनों टैस्ट जीतकर टैस्ट चैंपियनशिप की तालिका में 120 अंक के साथ शीर्ष पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका ने अभी चैंपियनशिप की द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में शुरूआत नहीं की है।

विहारी की बल्लेबाजी के समय सुकून रहता है : कोहली

हनुमा विहारी

कोहली ने कहा कि हनुमा विहारी जब बल्लेबाजी करता है तो ड्रेसिंग रूम में सुकून का माहौल रहता है। पहली पारी में 111 और दूसरी पारी में नाबाद 53 रन बनाने वाले विहारी के बारे में कोहली ने कहा, 'वह आत्मविश्वास से भरा नजर आता है और जब वह बल्लेबाजी कर रहा होता है तो ड्रेसिंग रूप में धैर्य दिखता है। वह हमेशा अपने खेल और गलतियों में सुधार के लिए तैयार रहता है।'

खबर कोना

लिस्बन में पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ पुरस्कार समारोह के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो

कोहली से नंबर वन का ताज छिना

दुबई, 3 सितंबर (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली को आइसीसी टैस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पछाड़कर आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ नंबर एक पायदान पर काबिज हो गए हैं, जबकि गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं । जमैका टैस्ट में पहली गेंद पर आउट हुए कोहली दूसरी पायदान पर खिसक गए जबकि स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टैस्ट में दो शतक और दूसरे मैच में 92 रन बनाकर शीर्ष पर पहुंच गए। अजिंक्य रहाणे चार पायदान चढकर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

निशानेबाजी : मनु भाकर और सौरभ को स्वर्ण

रियो दि जिनेरियो, 3 सितंबर (भाषा) ।

युवा मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने शानदार वापसी करते हुए 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता जिससे भारत ने आइएसएसएफ विश्व कप (राइफल/पिस्टल) में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। भारत के ही अभिषेक वर्मा और यशस्विनी देसवाल ने रजत पदक जीता। आखिरी दिन भारत ने अधिकतम संभावित पदक अपने नाम किए। इस नतीजे के बाद भारत इस साल आइएसएसएफ विश्व कप के सभी चार चरण में शीर्ष पर रहा जिसमें जूनियर विश्व कप शामिल है। भारत ने कुल नौ में से पांच स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य अपने नाम किए।

ओसाका को हरा बेंचिच तो सिलिच को हराकर नडाल क्वार्टर फाइनल में

न्यूयार्क, 3 सितंबर (एएफपी)।

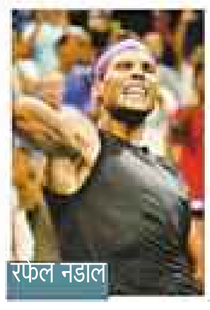

रफेल नडाल

शीर्ष वरीयता प्राप्त गत चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर स्विटजरलैंड की बेलिंडा बेंचिच ने अमेरिकी ओपन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है जबकि क्रोएशिया की डोन्ना वेकिच भी अंतिम आठ में पहुंच गई हैं।

बेंचिच ने 7.5, 6.4 से जीत दर्ज की। इस हार के बाद जापान की ओसाका अगले सप्ताह विश्व रैंकिग में शीर्ष से खिसक जाएंगी। इस साल बेंचिच ने इंडियन वेल्स और मैड्रिड के बाद तीसरी बार ओसाका को हराया है।

वहीं रफेल नडाल ने 2014 के चैंपियन मारिन सिलिच को हराकर अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव चार सेटों का मुकाबला हारकर बाहर हो गए। फ्लशिंग मीडोस पर 2010, 2013 और 2017 में खिताब जीत चुके दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने क्रोएशिया के सिलिच को 6.3, 3.6, 6.1, 6.2 से हराया। नडाल का सामना अब अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्त्जमैन से होगा जिन्होंने ज्वेरेव को 3.6, 6.2, 6.4, 6.3 से हराया।

तीसरा एशेज टैस्ट गंवाने के बाद आस्ट्रेलिया की निगाहें स्मिथ पर

मैनचेस्टर, 3 सितंबर (एएफपी)।

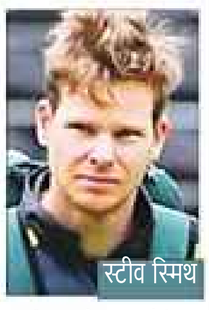

स्टीव स्मिथ

इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रहे चौथे एशेज टैस्ट के लिए स्टीव स्मिथ की आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में वापसी हुई है जबकि जेम्स पेटिंसन को बाहर कर दिया गया है। दूसरे टैस्ट में जोफ्रा आर्चर की गेंद गले पर लगने के कारण स्मिथ तीसरा टैस्ट नहीं खेल सके थे। आस्ट्रेलियाई टीम को स्टीव स्मिथ से काफी उम्मीद है। आस्ट्रेलियाई टीम तीसरा टैस्ट जीतने की राह पर थी लेकिन बेन स्टोक्स ने नाबाद 135 रन बनाकर इंग्लैंड को एक विकेट से जीत दिलाई।

स्टोक्स की इस पारी से अब श्रृंखला 1.1 से बराबरी पर है। आस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि उनकी टीम महान मुक्केबाज मोहम्मद अली के बचपन की एक घटना से सबक लेगी। उन्होंने कहा, 'अली की बाइक बचपन में चोरी हो गई थी और उसने तभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बनने की ठान ली।' कोच ने कहा, 'हमें लगता है कि हमारी एशेज चोरी हो गई है। उन्होंने टैस्ट मैच इस तरह जीता है, मानो हमसे वह चोरी हो गया। अब हमें उसी आग को महसूस करना है और पिछला मैच भुलाकर नए जोश के साथ खेलना है।'

मिताली ने टी-20 क्रिकेट को कहा अलविदा, 50 ओवरों के विश्व कप पर करेंगी फोकस

नई दिल्ली, 3 सितंबर (भाषा)।

सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने मंगलवार को टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह 2021 में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप के लिए वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रही हैं। 36 वर्षीय मिताली ने 32 टी-20 मैचों में टीम की कप्तानी की है। इसमें तीन महिला टी-20 विश्व कप (2012, 2014 और 2016) शामिल हैं ।

मिताली ने कहा, '2006 से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब मैं इस प्रारूप से सन्यास ले रही हूं ताकि 2021 वनडे विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर सकूं ।' मिताली ने टी-20 क्रिकेट में 89 मैचों में 37.5 की औसत से भारत के लिए सर्वाधिक 2364 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 97 रन रहा है। उन्होंने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में टी-20 क्रिकेट में पदार्पण किया था।

मिताली राज

मिताली टी-20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2017 में खेले गए विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने कहा, 'देश के लिए विश्व कप जीतना मेरा सपना है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हूं। मैं बीसीसीआइ को लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय टी-20 टीम को शुभकामना देती हूं।'

मिताली के भविष्य पर उसी समय से कयास लगाए जाने लगे थे जब पिछले साल टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम 11 में उन्हें जगह नहीं मिली थी। उनके बाहर होने पर काफी विवाद हुआ था और मिताली ने कोच रमेश पवार पर उनके करियर को खत्म करने का आरोप लगाया था। पवार को कोच पद से हटाए जाने के बाद डब्ल्यूवी रमन को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया जिसके बाद यह विवाद खत्म हुआ।

वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान शांता रंगास्वामी ने मंगलवार को कहा कि मिताली राज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही फैसला किया क्योंकि इससे उन्हें 2021 एकदिवसीय विश्व कप पर अधिक ध्यान देने में मदद मिलेगी। रंगास्वामी ने कहा, 'देखिए, (टी-20 टीम में) उसे शामिल करने या नहीं करने को लेकर काफी हाय-तौबा मची थी लेकिन वह 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 290, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः 0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।